राजस्थान विधान सभा

तृतीय बैठक, दिनांक ११ फरवरी, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर ४० मिनट पर प्रारम्भ हुआ

(अध्यक्ष, श्री नरोत्तम लाल जोशी, पदासीन)

तारांकित प्रश्न

श्री अध्यक्ष–प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ३०

श्री अवनिकुमार–Is the Finance Minister aware that plenty of counterfeit Jaipur one anna piece coins are current in Rajasthan along with the genuine one anna pieces ?

Is he further aware that the influx of counterfeit coins in the category of legal tenders has caused an inflation in the sphere of small coins ?

If so, will he kindly inform the House as to what drasstic steps have been taken to eradicate this crime of counterfeiting going on in Rajasthan ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–(a) No case of counterfeiting in Jaipur one anna coins has come to the notice so far.

(b) No.

(c) Does not arise.

प्रश्न संख्या ३१

श्री सज्जनसिंह–Will the Minister in charge Forest be pleased to state—

(i) What are the qualifications required for the admissibility to high cadres of forest service ?

(ii) Is Dehradun trained and Balaghat trained personnel at par for senior grade officer appointments ?

(iii) Whether it is within the powers of the Government Department concerned to make such arrangement without consulting the Public Service Commission as per article 7 of the Public Service Commission Ordinance of 1950 ?

(iv) Is it a fact that the officiating arrangement made recently at the time of Shri C. M, Chaudhari, I. F. S., Chief Conservator Rajasthan's going on leave, was not made on his recommendation but from the Secretary of the Department ?

(v) Is it a fact that Shri Ram Pratap Sharma, present officiating Chief Conservator of Forests—

(a) has been recommended for permanency on the post of Chief Conservator of Forests ?

(b) whether this has been proposed by the Head of the Department or by the Departmental Secretary ?

(c) Is it also a fact that Shri Ram Pratap was dismissed by the Matsya Government ?

(d) Is there any instance that any Balaghat trained man has ever been appointed to such senior post ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–Sir, Question No. 31 was addressed to the Minister for Forests and because it was not his subject he directed it to the Chief Minister. The answar is in transit and can be given later on.

श्री अध्यक्ष–To day or on some other date ?

श्री जयनारायण व्यास–I do not think I have got any answer as yet. It can be kept for some other date.

प्रश्न संख्या ३२

श्री सज्जनसिंह–Will the Chief Minister be pleased to state:—

(i) What is the general principle adopted in making officiating appointment of officers when the permanent incumbent goes on leave ?

(ii) Whether for such officiating arrangements, suggestions are invited from the permanent incumbents ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–Officiating arrangements during leave vacancies vary according to the period of leave. When the period is short it is convenient not to disturb the existing arrangements and to appoint the next senior most officer available on the spot to look after the current duties of the incumbent going on leave.

In long-term arrangements, extending over several months, the senior most officer in the cadre who is considered fit for the office is generally appointed. The usual procedure is that the Head of the Department while forwarding the leave application normally indicates whether he should be able to make local arrangements and where this is not possible, a suggestion is made by the Head of Department which is given due consideration before final orders are passed by Government. Normally the incumbent himself does not make any suggestion unless he happens to be the Head of the Department himself.

श्री जसवन्तसिंह (नोखा)–अध्यक्षजी, यदि किसी महकमे के अधिकारी छुट्टी के अलावा किसी दूसरी जगह पर नियुक्त कर दिये जायं और उनकी जगह खाली हो जाय तो वह जगह किसको दी जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–जो जवाब मैंने भाग (१) में दिया है उसी तरह का इन्तजाम होता है।

श्री जसवन्तसिंह–क्या किसी महकमे को एक्सेप्शनल बतलाकर और तरह से नियुक्तियें की जाती हैं? जयपुर में बहुत से महकमों में ऐसी कार्यवाही की गई है।

श्री जयनारायण व्यास–विशेष परिस्थितियों में एक्सेप्शन किया जाता है; इसलिये जवाब में 'जनरल' शब्द काम में लिया गया है।

श्री जसवन्तसिंह–क्या विशेष अवस्था न होने पर भी ऐसी नियुक्तियां की गई हैं ?

श्री जयनारायण व्यास–यदि विशेष अवस्था न होने पर भी कोई ऐसी नियुक्ति की गई है, जब कि उपयुक्त आदमी मौजूद हैं तो ऐसे मामलों को मैं देखने की कोशिश करूंगा।

श्री जसवन्तसिंह–क्या सरकार के ध्यान में नहीं आया है कि कई ऐसी नियुक्तियां की गई हैं जिनके बारे में शिकायतें भी आई हैं ?

श्री जयनारायण व्यास–ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन यह हो सकता है कि जिन आदमियों का नाम नहीं आया है उन लोगों ने विशेष परिस्थितियों में ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया हो।

श्री जसवन्तसिंह–उनके ध्यान की बात नहीं है। क्या सरकार के ध्यान में यह बात नहीं आई है कि कुछ ऐसे स्थानों पर जहां आर. ए. एस. के लोगों की नियुक्ति होनी चाहिये वहां नॉन आर. ए. एस. के लोग काम कर रहे हैं जब कि आर. ए. एस. के लोग मौजूद हैं। सरकार को चाहिये कि सीनियर मोस्ट आर. ए. एस. मौजूद हैं तो उनके स्थान पर नॉन आर. ए. एस. को नियुक्त न करे ?

श्री जयनारायण व्यास–अधिकांशतः आर. ए. एस. की पोस्टों पर आर. ए. एस. के लोग ही लगे हुए हैं। परिस्थितिवश संभव है कहीं नॉन आर. ए. एस. के लोग लगाये गये हैं। अब इन्टीग्रेशन का मसला समाप्त होने वाला है।

Page No.4

श्री जसवन्तसिंह–क्या सरकार के ध्यान में नहीं आया है कि आर. ए. एस. की जगह खाली होने पर नॉन आर. ए. एस. के लोग रखे गये हैं ?

श्री जयनारायण व्यास–ऐसा कोई किस्सा ध्यान में नहीं आया। अगर कहीं पर नॉन आर. ए. एस. का अफसर लगा हुआ है तो वह शासन के हित की दृष्टि से लगा हुआ होगा लेकिन वह स्थाई नहीं होगा।

श्री जसवन्तसिंह–स्थाई और अस्थाई का क्या पैमाना है? छः मास से ऊपर होने आया है फिर भी ऐसे अधिकारी मौजूद हैं।

श्री जयनारायण व्यास–मुझे सम्बन्धित परिस्थिति का पता नहीं है। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं कि यदि कहीं ऐसे नॉन आर. ए. एस. के आदमी आर. ए. एस. के स्थान पर लगे हुए हैं तो उनके स्थान पर उपयुक्त आर. ए. एस. के आदमी लगा दिये जायेंगे। इन्टीग्रेशन का प्रोसेस जल्दी ही खत्म होने वाला है।

प्रश्न संख्या ३३

श्री दुर्लभसिंह–Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) Have the employees of Rehabilitation Department Matsya Union been taken in the permanent services by the Public Service Commission ?

(b) Do the employees of this Department in District Alwar and Bharatpur enjoy the same status ?

(c) If so, why the employees of this Department of Bharatpur have been given preference and taken in the permanent services while those of Alwar District who are senior in service as well as in educational qulifications, have been ignored ?

श्री जयनारायण व्यास–(a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No preference has been given to employees of the Rehabilitation Department of Bharatpur.

प्रश्न संख्या ३४

श्री सरदारसिंह–क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे :-

(१) जुरिसडिक्शनल ठिकानाजात की जुडिसियरी और पुलिस का एकीकरण कब से हुआ ?

(२) इस ठिकाने के कितने ऑफिसरों व अहलकारों की पेन्शन अब तक हो चुकी है ?

(३) इन अवकाश-ग्रहण कर्मचारियों को पूरा वेतन व पेन्शनें दी जा चुकी हैं या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–१ (क) जुरिसडिक्शनल ठिकानेजात सीकर, खेतडी और उनियारा की जुडिशियरी का एकीकरण भूतपूर्व जयपुर गवर्नमेन्ट की विज्ञप्ति नं० ८५०१। जे. बी. ता० २८-१२-४८ द्वारा ता० १६-१-४९ से हुआ। अन्य इकाइयों में ओर्डिनेन्स द्वारा ठिकानों के जुडिशियल अधिकारों की समाप्ति की।

उदयपुर:–जागीरदार्स (अबोलिशन आफ पॉवर्स) ओर्डिनेन्स, १९४८ द्वारा ता० २६-७-४८ से

जोधपुर:–जागीरदार्स जुडिशियल पावर्स (अबोलिशन) एक्ट, १९४८ द्वारा दिसम्बर सन् १९४८ से।

कोटा:–महाराव कोटा तथा कटरी सरकार इन्दरगढ के बाहमी एग्रीमेन्ट ता० २८-४-४८ द्वारा अप्रेल सन् १९४८ से।

(ख) ठिकानेजात की पुलिस का एकीकरण गवर्नमेन्ट ऑर्डर नं० ४६५–६७ ता० २२-११-४९ से हुआ।

२. इन अफसरों और अहलकारों का एकीकरण हाईकार्ट द्वारा विभिन्न न्याय विभागों में एवं शासन विभागों द्वारा मजिस्ट्रेटी अदालतों में हुआ। जिनका एकीकरण नहीं हो सकता था वे अतिरिक्त घोषित किये गये और नौकरी से हटाये गये होंगे। यह सारी क्रिया विभिन्न समय पर होने से सम्पूर्ण सूचना अप्राप्य है।

(३) भाग ('दो') के अनुसार इसका उत्तर है।

श्री सरदारसिंह–क्या ठिकानेजात के कर्मचारियों को, एकीकरण होने के पश्चात् जो पेन्शनें हुई हैं वे उनको बराबर मिल रही हैं या नहीं?

श्री जयनारायण व्यास–उन कर्मचारियों को पेन्शनें मिली हैं और मिल रहीं हैं। हाईकोर्ट से मालुम हुआ है कि वहां पेन्शन का कोई केस बाकी नहीं है। मजिस्ट्रेटी में यदि इस सम्बन्ध में कोई केस हो तो अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरूंसिह–इन ठिकानेजात के किन किन कर्मचारियों को इन्टीग्रेशन के वक्त सरकारी नौकरियों में लिया गया?

श्री जयनारायण व्यास–यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३५

श्री अवनिकुमार–Will the Chief Minister be pleased to state:—

Whether it is a fact that a conference of a number of parties was

Page No.6

convened on the 8th September 1952 at Jaipur to consider the question of the merger of Abu and a part of Abu Tehsil with the State of Bombay ?

श्री जयनारायण व्यास–A conference of scholars and not members of different parties was called at Jaipur on the 8th September 1952 to discuss the various aspects of the question of Abu's restoration to Rajasthan. The Chief Minister called a conference of selected scholars of Rajasthan on the 8th September 1952. In his minutes of the 9th September, 1952 he has stated that the conference was of scholars. In the Resolution passed also it was stated that the conference was of historians and scholars.

श्री अवनिकुमार–Is it in the notice of the Government that no members of other political parties were invited to this conference ?

श्री जयनारायण व्यास–It was not a political conference. It was a conference of historians and scholars and those who belonged to other political parties were invited.

श्री भीमसिंह–Was the conference convened with a view to some cultural, historical or political reserch ?

श्री जयनारायण व्यास–The conference was convened to gather facts and prepare a case for the restoration of Abu to Rajasthan and not for any other historical or cultural business.

एक सदस्य–Does not the Government think that members of other political parties will be able to provide facts as well ?

श्री जयनारायण व्यास–Member of political parties were unable to provide all the facts.

एक सदस्य–Do the Government think that members of political parties cannot provide facts ?

श्री जयनारायण व्यास–I think they were not in a position to provide as many facts as historians and scholars could do. Politicians are politicians and not historians and scholars.

श्री हरिकृष्ण व्यास–Do the Government know that the question of Abu is of interest no cess to others than to the politicians of Rajasthan ?

श्री जयनारायण व्यास–Abu has perhaps attracted the attention of all the people including politicians. Politicians cannot be ruled out. But historical research and scholarly information can be collected by scholars only and politicians do not claim to be historians.

श्री एच. के. व्यास–Were the sponsorers of the conference historians or politicians ?

श्री जयनारायण व्यास–The personnel of the conference are well-known historians and scholars. The political parties in the Assembly will be kept in touch with everything with regard to the question of Abu.

श्री हरिकृष्ण व्यास–My question was, whether the conveners of the conference were historians or politicians ?

श्री जयनारायण व्यास–The conference was convened by the Head of the administration; namely, the Chief Minister himself and the Chief Minister is considered to be above politics and above history.

श्री जसवन्तसिंह–क्या मैं यह जानूं कि हमारे मौजूदा मुख्य मंत्रीजी पोलीटिशियन नहीं हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–जहां तक मुख्य मंत्री का ताल्लुक है उसकी नियुक्ति उसी हैसियत से हुई है। He is the Leader of the House and not Leader of the Party here.

श्री जसवन्तसिंह–यह सवाल तो दूसरा है। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं, जैसा कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया था कि एक स्कोलर्स की समिति को आबू का सवाल सौंपा गया था, कि आबू का सवाल राजस्थान की राजनीति का सवाल है या और कोई दूसरा ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–इस कॉन्फ्रेन्स का मकसद समझने में माननीय सदस्यों को भ्रम हो रहा है। आबू का प्रश्न राजनैतिक है, शासनीय है और यह अध्ययन का प्रश्न भी है। अध्ययन का भाग ही इस समिति को सौंपा गया है। फैसला उनको नहीं सौंपा गया है। पोलिटिशियन्स, पोलीटिकल पार्टीज जैसे कांग्रेस या अन्य दूसरी पार्टियों के समक्ष वे अपना मेटिरियल रखेंगे। फैसला हाउस के हाथ में है न कि उनके हाथ में है। वे तो केवल अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने पर जो कुछ भी होगा वह आपके समक्ष रखेंगे।

श्री जसवन्तसिंह–माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फरमाया है कि हमें भ्रम हो रहा है ; यह ठीक है क्योंकि जो बात हमसे छिपा करके की जाती है वह हमें कैसे मालूम हो सकती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आबू का प्रश्न हमारे राइट का प्रश्न है, पोलिटिकल सवाल नहीं है। कहीं राजस्थान को नीचा भी देखना पड़े।

श्री जयनारायण व्यास–मैं आपकी बात को महसूस करता हूं और अधिकारों को भी महसूस करता हूं। आप अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे। सरकार ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, यह समिति स्कोलर्स की बनाई है। वे आपके सामने मेटिरियल रखेंगे। आप उस मेटिरियल को स्वीकार करें या न करें यह आपके लिये होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास–वे अध्ययन ही करेंगे अथवा इसका कोई फैसला हो चुका है?

श्री टीकाराम पालीवाल (उप-मुख्य मंत्री)–अध्यक्ष महोदय, यह कमेटी मेरे समय में बनाई गई थी और मैं इसका कन्वीनर था। मुझे इसीलिये इसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक मालुम होता है। ऐसा मालुम होता है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों को यह भ्रम हो रहा है कि सरकार ने उनसे कोई बात छिपा कर की है अथवा जहां उनकी आवश्यकता थी उनको उस समिति में न लेकर उन्हें इग्नोर किया गया है, या इस प्रकार का काम किया गया है जो नहीं करना चाहिये था। हाउस के सदस्यों को याद होगा कि पहले सेशन में सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया था और आबू को वापस लेने में विरोधी दल के सदस्य भी सहमत थे। हाउस के सर्व सम्मत निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये सरकार को आवश्यक कदम उठाने पड़े; जैसे केन्द्रीय सरकार को लिखना पड़ा, यह भी एक कार्य था। अपने केस को तैयार करने के लिये मसाला इकट्ठा करना पड़ा, यह भी एक आवश्यक कार्य था। मसाला इकट्ठा करने के लिए ही विशेषज्ञों से अधिक सहयोग लिया जा सकता था और इसीलिये एक कमेटी बनाई गई थी और यह काम विशेषज्ञों के सुपुर्द किया गया। मैं समझता हूं कि इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये यह कदम उठाया गया था और विपक्ष के सदस्य भी इससे सहमत होंगे। ऐसी कोई बात नहीं की गई है जो उनसे छिपाई गई हो।

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३६

श्री अवनिकुमार मुखर्जी–Will the Finance Minister be pleased to state:—

What amount has been drawn by each member of the present Cabinet of the Rajasthan Government in the form of Travelling and Daily Allowance from 1st April, 1952 to 31st December, 1952.

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–Sir, I feel that the question is not happily worded. T. A. is not drawn by the Ministers; but is an expenditure incurred on railway for Ministers. However, the required information is this :—

Name of Minister	*T.A.*	*D.A.*
Shri Jai Narain Vyas, Chief Minister	117/-	225/-
Shri Tika Ram Paliwal, Dy. Chief Minister	2,558/7/-	650/-

Shri Mohan Lal Sukhadia	3,442/5/-	1,187/8/-
Shri Bhogi Lal Pandya	2,076/6/-	945/-
Shri Bhola Nath	387/14/-	1,062/8/-
Shri Ram Kishore Vyas	1,208/2/-	625/-
Shri Ram Karan Joshi	798/11/-	237/8/-
Shri Nathu Ram Mirdha	1,508/6/-	937/8/-
Shri Amrit Dal Yadav	3,375/13/-	1,045/-

श्री अध्यक्ष–नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २७

श्री मोहब्बत सिंह–Will the Chief Minister be pleased to inform:—

What is the progress achieved so far by the Rajasthan Government in the restoration of Abu, and Abu Road area, back to its parent State of Rajasthan and what steps in future will be taken for its early restoration to Rajasthan ?

श्री जयनारायण व्यास–The wishes of this House as expressed in their Resolution on the subject passed on 22nd April, 1952, have been communicated to the Government of India. As indicated in His Highness the Rajpramukh's Address, a Scholars' Committee is collecting the necessary historical, administrative, cultural and other relevent data to substantiate the claim of Rajasthan for Abu. On receipt of the report of this Committee, which is expected very shortly, Government will decide further steps to be taken in the matter.

एक सदस्य–What other steps in the matter, Sir ?

श्री जयनारायण व्यास–That will depend on the nature of the recommendations of the report.

श्री एच. के. व्यास–Is the Government aware of the Resolution passed by the Gujrat Provincial Congress Committee threatening on the question ?

श्री जयनारायण व्यास–I have heard of so many Resolutions from so many Congress Committees, but the resolutions are not before me at the moment.

Page No.10

श्री मोहनसिंह—लेकिन केन्द्रीय सरकार की ओर से इस समस्या को हल करने का क्या प्रबन्ध किया गया? क्या इसकी सूचना आप दे सकेंगे?

श्री जयनारायण व्यास—मेरा खयाल है कि यह प्रश्न आप मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट से पूछेंगे तो ज्यादा बहतर होगा।

श्री जसवन्तसिंह—क्या हम यह नहीं जान सकते कि जो इस मसले से सबसे ज्यादा ताल्लुक रखते हैं उन्होंने क्या तकलीफ उठाई और क्या क्या काम किये जिससे आबू फिर हमें मिल सके?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—जहां तक सरकार का ताल्लुक है अपनी सीमा में बात करती हैं। पर जहां तक इन्फोर्मल्ली बातचीत से ताल्लुक है वह हाउस में नहीं कही जा सकती।

श्री जसवन्तसिंह—क्या इससे मैं यह समझूं कि हाउस को विश्वासपात्र नहीं समझा जा रहा है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्यमंत्री)—हाउस विश्वासपात्र है पर यहां प्रेस भी बैठा है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या मैं यह पूछूं कि हमने यहां सहमत होकर एकमत से प्रस्ताव पास किया पर इसके अलावा उसके बारे में क्या प्रगति हुई वह हमें नहीं बताई जा रही है।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—बिल्कुल हाउस की इच्छा को कैरी आउट (Carry out) किया जा रहा है और कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है इस इच्छा को कैरी आउट करने में। इसके लिये हम केन्द्रीय सरकार एवं सम्बन्धित व्यक्ति को भी कहते रहे हैं। कोई मौका नहीं छोड़ा गया, मैं यह कह सकता हूं।

श्री जसवन्तसिंह—क्या मैं यह पूछूं कि हाउस को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और दूसरी ओर ......

श्री अध्यक्ष—आॅर्डर! the Question of ..

श्री जसवन्तसिंह—सवाल यह पूछ रहा हूं कि हमारी सरकार क्या कर रही है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—मैं बता चुका था कि कोई मौका नहीं छोडा जा रहा है। पर जो इन्फार्मल बातें हो रही हैं वे सरकार के तौर पर नहीं होती हैं। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं। जब हमारे यहां रियासती मंत्री आये थे तो उनके पास इस सम्बन्ध में एक डेप्यूटेशन गया था। प्रायः सब पार्टियों के लोग उसमें थे। उन्होंने भी बातें की थीं। इसी तरह और भी बातें हुई होंगी। पर वह सरकार की बाकायदा बात हो, यह नहीं कह सकते। इसलिये हाउस के सामने वही बात कह सकता हूं जो सरकार के तौर पर हो। ऐसी बात नहीं कह सकता हूं जिसके कहने से या लिखे जाने से हमारा केस कमजोर पडे। यह हमारे हित में ही होगा कि हम बहुत बातें इस सम्बन्ध में न करें।

श्री जसवन्तसिंह—अभी माननीय रियासती मन्त्री के सामने जिस डेप्यूटेशन का जिक्र हुआ उसमें मैं भी था। वहां जो बातचीत हुई उस सम्बन्ध में मैं कह सकता हूं कि वह बात हमारे मायने से सन्तोषजनक नहीं हुई। अगर हमारी सरकार इसी से सन्तोष कर लेती है तो क्या यह सरकार ठीक कर रही है?

श्री जयनारायण (मुख्य मंत्री)–मैं मान सकता हूं कि उन्होंने जो उत्तर दिया है वह सन्तोषजनक नहीं है। पर मेरे मित्र स्वयं एक मुख्य मन्त्री और मन्त्री रह चुके हैं और वे भी जानते हैं कि जो भी बात मन्त्री कहेगा वह नॉन कमिटल लेंग्वेज में ही कहता है। इसी तरह उनका उत्तर भी नॉन कमिटल था। यह जरूर है कि वह उत्तर हमारी दृष्टि से सन्तोषजनक नहीं था।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को जवाब दिया है या नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–केन्द्रीय सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि प्रश्न विचाराधीन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या राजस्थान सरकार अपना कर्तव्य समझती है कि दूसरे इलाके में जो प्रचार हमारे खिलाफ हो रहा है उसका खंडन करने के लिये मसाला तैयार करे ?

श्री जयनारायण व्यास–वही खंडन सरकार की तरफ से होता है जो जिम्मेदारी के साथ होता है सरकार का खंडन गैर जिम्मेदारी के साथ नहीं होता। फैक्टस् और डाटा (Facts and Data) पर होता है और गैर जिम्मेदार बातें होती हैं उनका खंडन करना भी सरकार अपनी शान के खिलाफ समझती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या सरकार समझती है कि कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया प्रचार गैर जिम्मदार होता है ?

श्री जयनारायण व्यास––यह आप कांग्रेस कमेटी के दफतर में पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा। कांग्रेस को इस बारे में कोई सलाह दे यह सरकार का काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष––The question is about the functioning of the Government and the Hon'ble member is seeking information about what the Centre is doing on the question.

श्री जसवन्तसिंह–Certainly not.

श्री अध्यक्ष––That was your main question. Next.

प्रश्न संख्या ३८

Will the Chief Minister be pleased to state:—

(1) How many officers over the rank of Assistant Collector or Assistant Collectors are without any definite posting orders and since when ?

(2) If the reply to (1) is in the affirmative, will he be pleased to state the reasons for not issuing the posting orders, and further state—

Page No.12

(3) Whether the officers concerned are drawing their usual salaries and allowances in the interim period ?

श्री जयनारायण व्यास—(1) Two. One since 22-11-52 and the other since 1-12-52.

(2) The posting of these officers is under consideration of the Government.

(3) Yes.

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या सरकार को मालूम है कि जिनका पोस्टिंग नहीं हुआ उनको अपनी सेलेरी अलाउन्स ड्रॉ करने में कितनी परेशानी होती है ? क्या सरकार ने कभी इस बारे में भी सोचा है ?

श्री जयनारायण व्यास—कभी कभी एकाउन्टेन्ट जनरल की वजह से परेशानी होती है, यह हमारे ध्यान में आया है। जब ध्यान में आता है, तो इन परेशानियों को मिटाया जाता है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—जब वे परमानेन्ट सर्विस में हैं तो ए.जी. को क्यों नहीं कह दिया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—कभी ऐसा होता है कि वे एक जगह पर नहीं रहते हैं। इस पर ऑब्जेक्शन रेज होते हैं और वे आब्जेक्शन मीट कर लिये जाते हैं और मामला ठीक हो जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी आपने कहा कि सरकार की तरफ से नॉन कमिटल जवाब दिया जाता है। क्या यह राजस्थान सरकार के मन्त्रियों के लिये भी लागू होता है।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर !

प्रश्न संख्या ३६ (१७ एल.एस.जी.एम.)

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय बतलाने का कष्ट करेंगे कि-(१) उदयपुर डिविजन में कितने स्थानों पर भूतपूर्व राजस्थान राज्य की तत्कालीन सरकार द्वारा नगरपालिकायें स्वीकार की गई ?

(२) उनमें से कितने स्थानों पर कायम कर दी गई एवं बाकी स्थानों पर कब तक कायम करदी जावेंगी।

श्री रामकरण जोशी—इस संबन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर उत्तर दिया जा सकेगा।

प्रश्न संख्या ४० (१८ एल.एस.जी.एम.)

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि—

नया पंचायत एक्ट बन जाने के पश्चात् कितने समय में सारे राज्य की पंचायतों का नये सिरे से चुनाव हो सकेगा ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—राजस्थान का नया पंचायत विधान पास होजाने पर सब ही पंचायतों की आवश्यकता तो नहीं होगी परन्तु जहां चुनाव की आवश्यकता होगी इस प्रकार के ग्राम पंचायत के चुनाव विधान व उसके अन्तर्गत नियम निकल जाने पर लगभग ६ माह में पूर्ण हो जायेंगे।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या मुख्य मन्त्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में शासन के तमाम विभागों का एकीकरण कब तक हो जावेगा और अब तक नहीं होने का क्या कारण है?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—राज्य के शासन के तमाम विभागों का एकीकरण प्राय: समाप्त हो चुका है। एकीकरण विभाग को समाप्त किया जाकर उसका काम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में मिलाया जा चुका है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ)—क्या शिक्षा विभाग का एकीकरण समाप्त होचुका है?

श्री जयनारायण व्यास—शिक्षा विभाग के कुछ भाग का एकीकरण बाकी है।

श्री मानसिंह—क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग का एकीकरण न होने से, शिक्षा विभाग के मास्टरों का एकीकरण न होने से, उनकी तनख्वाह में पांच रुपये की कमी हो गई है जो इसी माह वापस रिफन्ड करने पड़ रहे हैं?

श्री जयनारायण व्यास—एकीकरण न होने की वजह से हैं या किसी और कारण से, यह में नहीं कह सकता। इस विषय में एक आवेदन-पत्र गत सप्ताह मेरे पास आया था; उसके संबन्ध में जांच हो रही है।

श्री मानसिंह—क्या सरकार इनका एकीकरण शीघ्रातिशीघ्र करना आवश्यक नहीं समझती? जब इन्टीग्रेशन विभाग खत्म किया जा चुका है तो इनका क्या होगा?

श्री जयनारायण व्यास—माननीय सदस्य ने उस आवेदन-पत्र का एकीकरण आम एकीकरण के साथ कर दिया है। मैंने कहा था कि आवेदन-पत्र आया है, उसकी जांच हो रही है। किस संबन्ध में आया है, मालूम होने पर बाद में जवाब दिया जा सकता है।

श्री मानसिंह—शिक्षा विभाग के एकीकरण न होने के कारण ही मैंने प्रश्न किया था।

श्री जयनारायण व्यास—आपकी मालूमात को मैंने महसूस किया तभी तो मैंने यह कहा कि उसकी जांच हो रही है।

प्रश्न संख्या ४२

श्री प्रभूदयाल—क्या बैकवर्ड क्लास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(क) राजस्थान ने हरिजनों के लिये कितनी परसेंट नौकरियां रिजर्व रक्खी हैं?

(ख) क्या वे हरेक महकमे में रखी हैं या किन्हीं विशेष जगहों पर ?

(ग) क्या वह कागजों में ही हैं या सरकार ने अमल किया है ? अगर हां, तो कहां कहां ?

श्री भोगीलाल पंड्या-(क) सरकार ने आज्ञा नं० एफ.२५/४२ जी. (१)ए. ५१ दिनांक १६ सितम्बर, ५१ द्वारा शिड्यूल्ड कास्ट व शड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये सरकारी नौकरियों में निम्नलिखित प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे हैं।

(१)	समस्त स्टेट सर्विसेज व पोस्ट्स	१२ परसेंट
(२)	समस्त सब-ऑर्डिनेट व मिनिस्टीरियल सर्विसेज व पोस्ट्स	साढे बारह परसेंट
(३)	क्लास फोर्थ सर्विसेज व पोस्ट्स	१५ परसेंट

(ख) सुरक्षित स्थान समस्त सरकारी महकमों में रखे गये हैं किन्तु उपर्युक्त आज्ञा सीधे भरे जाने वाली स्टेट सर्विसेज व पोस्ट्स पर ही लागू होती है।

(ग) सरकार की आज्ञा का पालन समस्त राजकीय विभाग कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार ने आज्ञा नं०.२०/५२ जी.ए.ए.५२. दिनांक ६ माच, ५३ द्वारा राजकीय विभागों को आदेश दिया है कि सरकारी खर्च में कमी करने के लिये जो भी योजनाएं अमल में लाई जावें उनके अन्तर्गत छँटनी करते समय शिड्यूल्ड कास्टस् व शिड्यूल्ड ट्राइब्सके हितों को रक्षार्थ कुशलता व सीनियरिटी के नियम का पालन न किया जाय ताकि उनके लिये सुरक्षित स्थान आज्ञानुसार भरे जा सकें।

सरकार को जो आंकडे माह दिसम्बर ५२ तक प्राप्त हुए हैं उनके कथनानुसार राजकीय विभागों में ४,६२५ शिड्यूल्ड कास्टस व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य नौकर होचुके हैं । पुलिस, सिंचाई, मिनिस्टीरियल, टीचर, कोऑपरेटिव इन्सपेक्टर, जुडीशयल पिछडी जाति कल्याणविभाग हैं।

प्रश्न संख्या ४३

श्री प्रभुदयाल-क्या जंगलात मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जंगलों में हरे पेड़ काटने की इजाजत है ? अगर नहीं तो क्या उनके ध्यान में है कि बीकानेर के पास जोहड़ बीड़ नाम की एक जगह है वहां के पेड़ों का क्या हाल है ?

श्री अमृतलाल यादव-जंगलों से हरे पेड़ राजस्थान रिमूवल ऑफ ट्रीज ऑर्डिनेन्स के अनुसार काटे जा सकते हैं जिसके लिये लाइसेन्स लिया जाना आवश्यक है। कहने में जो शरायत की पाबन्दी करनी होती है वह लाइसेंस में दर्ज की जाती है।

जोहड बीड में ५,२०० बीघा रकबा है। यदि किसी ने चोरी से पेड़ काटे होंगे तो उस पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिदेव जोशी-क्या माननीय मन्त्री को यह मालूम है कि उदयपुर में नाहर मगरा है वहां पर भूतपूर्व शासकों की ओर से जंगल काटे जा रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—इस प्रकार की शिकायतें जरूर आई थीं; जांच की जा रही है। बाद जांच उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरिदेव जोशी—क्या उनको भी उसी प्रकार की सजा दी जायगी जैसी कि अन्य व्यक्तियों को।

श्री अमृतलाल यादव—शासकों को जो सुविधाएं हैं वे कॅवेनेन्ट के अनुसार हैं; इसलिये उनके बारे में उसके अनुसार उन के साथ कार्यवाही की जायेंगी।

श्री कानसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब दरख्त साबुत ही गायब होगये तो बिना सबूत के क्या कार्यवाही होगी?

श्री अमृतलाल यादव— जो भी उचित कार्यवाही हो सकेगी, होगी।

श्री रोशनलाल शर्मा:—ऐसी शिकायत आये कितना अर्सा हुआ?

श्री अमृतलाल यादव—मैं इसकी ठीक ठीक तारीख तो नहीं बता सकता; करीब महीना डेढ़ महीन हुआ होगा।

श्री हरिदेव जोशी—क्या सरकार दरख्त काटने से पहले कुछ कार्यवाही नहीं कर सकती?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार द्वारा इस संबन्ध में कानून है लेकिन फिर भी उसका पालन नहीं किया जाता तो उसके लिये सजा मुकर्रर है।

श्री रोशनलाल शर्मा—जैसा कि मन्त्री महोदय ने फरमाया कि जांच की जा रही है,तो क्या उनके खिलाफ केस दायर कर दिया गया है?

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि पहले जांच होती है फिर केस दायर किया जाता है।

श्री हरिदेव जोशी—जैसा कि माननीय मन्त्री ने फरमाया कि भले आदमी चोरी कर लेते हैं, क्या चोरी करने वाले भले आदमी होते हैं?

श्री चन्दनमल वेद—क्या माननीय मन्त्री को विदित है कि स्केयरसिटी एरिया में लोग वृक्ष काट कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं?

श्री अमृतलाल यादव—स्केयरसिटी एरिया में जैसे पहाडी इलाकों में रहने वाले शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कुछ विशेष सुविधा दी गई है। जैसे कि सिर पर लादकर जो लकडी आदि लाई जाती है इसकी सुविधा उनको दीगई है। वे फ्री ला सकते हैं; लेकिन जिस जगह जंगल नहीं है वहां पेड़ काटने की सुविधा नहीं दीगई है।

श्री एच. के. व्यास—आप कौन सी स्केयरसिटी एरियाज की बात कह रहे हैं?

श्री अमृतलाल यादव–में माननीय सदस्य से यह पूछ ही रहा था कि उनका स्केयरसिटी एरिया से क्या मतलब है ? दो तरह के स्केयरसिटी एरिया दोनो तरफ हैं; एक तो जहां घने जंगल हैं और उनको काटा जा रहा है और दूसरा, जहां साधारण वृक्ष हैं।

श्री चन्दनमल वेद–मेरा मतलब अकाल ग्रसित क्षेत्र से था।

प्रश्न संख्या ४४

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या सिंचाई मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे।

(अ) एफ.डी.माईनर की टेल पर मोघा नम्बर ८,९ व एफ.एफ.बी.जिला गंगानगर के मोघा नम्बर ६, ७,८ पर पानी की कमी क्यों रहती है ?

(२) उन चकों में आबपाशी किस हिसाब से हुई है ?

श्री भोगीलाल पंडया–(क) चक नम्बर ८ व ९ एफ.डी.माईनर की टेल पर हैं और इस टेल पर पानी की हालत तसल्ली बख्श है, पानी की कमी नहीं है। रबी १९५१–५२ तक इन चक की आबपाशी नीचे लिखे मुताबिक है–

(१) चक ८ एफ.डी. ६६ प्रतिशत (२) चक ९.एफ.डी. ६˜ प्रतिशत

(ख) एफ.बी.माईनर पर ६,७ व ८ के कोई चक नहीं हैं।

जब गंग केनाल बनाई गई थी तो यह अनुमान किया गया था कि सालाना आबपाशी ६० प्रतिशत होगी। इस अनुमान से ऊपर लिखे चकों में आबपाशी कम नहीं है। अगर किसी सप्ताह इस माईनर की टेल पर रेत जमां होने या किसी और कारण से पानी की कमी हो जाती है तो उसका उपाय किया जाता है।

प्रश्न संख्या ४५

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या खाद्य मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(क) नियमानुसार जो चने की लेवी जो जिला गंगानगर से वसूल की जाती थी वह कितनी थी और उसमें से कितनी वसूल की गई ?

(ख) लेवी कब से बन्द कर दी गई है?

(ग) उस से गंगानगर के किसानों को क्या हानि हुई ?

यह प्रश्न,जैसा कि मैंने लिखकर भेजा था वैसा नहीं रखा गया है, इसलिये मैं इस प्रश्न को पूछना नहीं चाहता। मैं इस प्रश्न को दुबारा लिखकर भेज दूंगा।

Page No.17

श्री हरिदेव जोशी–जब प्रश्न कर्त्ता अपने प्रश्न को विद्ड्रॉ करते हैं तो उसका जवाब देना जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष–जब एक बार प्रश्न कर लिया जाता है तो उसका उत्तर सदन के सामने दिया जायगा।

श्री भोगीलाल पंड्या–जो नकली प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब इस प्रकार है:—

गंगानगर जिले में रबी फसल १९५२–५३ के चने की कुल लेवी ३,६१,२१९ मण वसूल की जानी थी और उस पेटे अबतक ३,५०,६१६ मण वसूल हो चुकी है।

लेवी के चने के लेजाने के लिये किसी को परमिट नहीं दिया गया; यह तो सरकार ही जहां जरूरत होती है वहां ले जाती है। सितम्बर १९५२ से चने की लेवी लेना बन्द कर दिया है। स्टॉकिस्ट, सरकार को निर्दिष्ट लेवी देकर राजस्थान में चना लेजा सकता था ; इससे किसानों को कोई हानि नहीं हुई, बल्कि फायदा हुआ है।

श्री जसवन्तसिंह–मन्त्री महोदय ने यह फरमाया कि सरकार को जहां जरूरत होती है वहां ले जाती है, तो क्या सरकार खुद ले जाती है या अपने ठेकेदारों के मारफत ले जाती है?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)–सरकार खुद लेजाती है, किसी ठेकेदार की मारफत नहीं भेजती है।

श्री जसवन्तसिंह–क्या सरकार ने दुकानें खोल रखी हैं जो वह नाज बेचती हैं? उन पर कौन बैठता है?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)–सरकार ने दुकानें खुलवा रखी हैं।

श्री जसवन्तसिंह–तो कौन मन्त्री महोदय उसको देखकर भेजते हैं?

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)–डूंगरपुर और बांसवाडा के अलावा और कहीं भी चने की आवश्यकता समझी गई या नहीं?

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर, ऑर्डर!

प्रश्न संख्या ४६

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या सिंचाई मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गंगनहर की इस फरवरी के महीने में इतनी लम्बी बन्दी क्यों हो रही है?

(ख) इससे फसल रबी को जो हानि पहुंचेगी उसकी जिम्मेदारी किस पर होगी?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)–गंगनहर हर साल माह जनवरी के आखीर या माह फरवरी के शुरू में सालाना मरम्मत और फिरोजपुर हैड वर्क्स की सफाई वास्ते मुख्य अभियन्ता, पंजाब,

की आज्ञानुसार पंजाब के अभियन्ता बन्द करते हैं, क्योंकि फिरोजपुर से लेकर राजस्थान की हद तक सब काम उन्हीं के जिम्मे हैं, और इस सालाना बन्दी की सूचना गंग केनाल कोलोनी के तमाम चकूक में दी जाती है; ताकि वह अपने पीने का पानी भर लें। यह बन्दी १० से १५ रोज की होती है। इस साल भी गंग नहर की सालाना मरम्मत और फिरोजपुर हैड वर्क्स की सफाई के वास्ते पंजाब अभियन्ताओं ने १ फरवरी से बन्द की है जो कि १० या १२ तारीख तक रहेगी। यह सालाना बन्दी जरूरी होती है और इस बन्दी के वास्ते यही मौका अच्छा होता है, क्योंकि और महीनों में पानी की मांग होती है और फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। यह बन्दी राजस्थान के कर्मचारियों की सलाह लेकर की जाती है और इससे सींचे हुए खेतों को हानि होने की कोई संभावना नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह–यह बन्दी जो की गई है वह राजस्थान स्थापित होने के बाद से चालू हुई है या बीकानेर राज्य के वक्त से चालू है?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)–जब से नहर बनी है तब से नहर की सफाई का काम होता है और पंजाब वाले नहर बन्द रखते हैं।

श्री जसवन्तसिंह–राजस्थान स्थापित होने के बाद से ही यह बन्दी रखी गई है या पहले ही से चालू है?

श्री भोगीलाल पंड्या–पहले से ही।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या यह बन्दी दूसरे महीनों में नहीं रखी जा सकती है?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)–जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सिंचाई विभाग के जो विशेषज्ञ हैं वे सोच समझ कर इन दिनों में रखते हैं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या सरकार को यह पता नहीं है कि इन दिनों बन्दी रखने से फसल रबी को नुकसान होता है?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)–पंजाब और राजस्थान सरकार मिल कर यह तय करती हैं। पंजाब में भी इन्हीं दिनों यह बन्दी होती है।

एक माननीय सदस्य–क्या सरकार इस बात की जांच करायगी कि पंजाब में भी इसी समय बन्दी रहती है, क्योंकि पंजाब में बन्दी इस समय बिल्कुल नहीं रहती है?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)–फिरोजपुर वालों की सूचनानुसार वहां ऐसा होता। अगर और समय उपयुक्त हो सकता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री सन्तोषसिंह–क्या विशेषज्ञों की ही राय मान्य होती है या आपकी भी?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)–विशेषज्ञों की राय पर सोच कर राय दी जाती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या बन्दी करते वक्त वहां के लोगों की राय ली जाती है?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)—लोगों की राय नहीं ली जाती है; लेकिन लोगों की सुविधा का ध्यान जरूर रखा जाता है। यदि लोगों को इस समय असुविधा होती है तो जरूर विचार किया जायगा।

श्री मोतीलाल—फरवरी के महीने में पानी की ज्यादा जरूरत रहती है इसलिये फरवरी में बन्दी किसी तरह से भी अच्छी नहीं होती है।

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)—मैं पहले ही कह चुका हूं कि फरवरी के महीने में और दिनों की अपेक्षा कम पानी की जरूरत रहती है। इसलिये वे लोग इन दिनों को पसन्द करते हैं। यदि इसमें माननीय सदस्य को कोई उज्र हो और इस समय पानी की आवश्यकता ज्यादा समझी जाय तो उस बारे में जरूर विचार किया जा सकता है।

श्री कानसिंह—बन्दी का वक्त आता है तो वह हमारे यहां पानी बन्द करते हैं। इस तरह से वह हमारे यहां के नाज का नुकसान करते हैं। इस बात की.........

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मंत्री)—सुनाई नहीं दिया।

श्री कानसिंह—फिरोजपुर में कन्ट्रोल होता है?

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)—जी, हां।

श्री कानसिंह—तो वह हमारे यहां के पानी को रोक कर वहां ज्यादा पानी लगाते हैं और हमको नुकसान पहुंचाते हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या (सिंचाई मन्त्री)—यह तो अपने हिस्से में जितना पानी है वह मिलता ही है। कन्ट्रोल करके दूसरी जगह ले जाते हैं ऐसा नहीं होता है।

प्रश्न संख्या ४७

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या खाद्य मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे—

(क) क्या गजसिंहपुर मन्डी में जो चने और गेहूं की बोरियों में स्टॉकिस्ट ने मिट्टी मिला कर सप्लाई की है?

(ख) उस विषय में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—इस बारे में जांच कराई जा रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—वह जांच कब तक मुकम्मिल हो जायगी?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)—जांच अपने ढंग से जैसे मुकम्मिल हुआ करती है वैसे हो जायगी। कोशिश की जायगी कि जल्दी होजाय।

श्री सन्तोषसिंह–जांच करने वाले कौन हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)–स्थानीय अधिकारी।

एक माननीय सदस्य–क्या जिन अधिकारियों ने चना खरीदा है उन अधिकारियों ने देखकर खरीदा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)–देखकर खरीदना उनका कर्तव्य था। बहुत से ऐसे होते हैं कि गलती कर जाते हैं तो वे भुगतते हैं।

श्री रामदयाल–क्या जांच वही कर्मचारी कर रहे हैं जिन्होंने यह खराब चना खरीदा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मंत्री)–वह जांच नहीं कर रहे हैं, दूसरे आदमी कर रहे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास–जल्दी से जल्दी जांच करने को कोई मियाद है या नहीं, कोई समय की पाबन्दी है या नहीं।

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)–जांच सरकार अपने ढंग से करती है, लेकिन सप्लाई विभाग में कुछ विशेष व्यक्ति रखे हुए हैं जो जल्दी से जल्दी उन स्थानों पर पहुंचते हैं, जिससे जांच करके वे केसेज ले आवें ताकि उनको जल्दी ही दण्ड दिया जा सके।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या सरकार इसके बारे में "जल्दी" की परिभाषा को तय करने के लिये समय मुकर्रर करेगी कि वह साल या ६ महीने होने चाहिए ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)–यह संभव नहीं है कि साल या ६ महीने मुकर्रर कर दिये जायं। साल या ६ महीने से भी कम समय में जांच हो जाय और उसको सजा हो जाय वैसी इच्छा है।

प्रश्न संख्या ४८

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या पुनर्विभाग मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:–

(क) कश्मीरी शरणार्थी जो नहर समेजा तहसील रायसिंहनगर, जिला गंगानगर में, बसाये गये हैं उनके साथ क्या वायदे किये गये थे ?

(ख) सरकार उन वायदों को कहां तक पूरा कर सकी है ?

(ग) जो पूरे नहीं किये गये हैं वे कब तक पूरे किये जायेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मन्त्री)–उक्त पुरुषार्थियों को सरकार की ओर से कोई वायदा नहीं किया गया था। उन्हें कहा गया था कि भूमि दी जायगी और अन्य सुविधाएं जो हो सकेंगी, दी जायेंगी।

प्रश्न (ख) और (ग) पैदा नहीं होते हैं।

एक माननीय सदस्य–कश्मीरी शरणार्थियों की कितनी संख्या है ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मन्त्री)–इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य–यह तो एक साधारण सा प्रश्न है। इसका जवाब तो आप को मालूम होना चाहिये।

श्री जसवन्तसिंह–मन्त्री महोदय ने यह फरमाया है कि इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। तो वे फिर यह बतलाने की कृपा करें कि उनको किस प्रकार की भूमि दी जायगी तथा उनको और क्या २ सुविधाएं दी जायेंगी?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मन्त्री)–जो पुरुषार्थी हमारे यहां पाकिस्तान से आये हैं उनमें हमने पंजाबी, सिन्धी और कश्मीरी का कोई भेद नहीं किया है। हमारे सामने जो पुरुषार्थी हैं वे सभी वहां से आये हुए हैं और उनको बिना इस बात के भेदभाव के सहायता और सहयोग देते हैं

श्री जसवन्तसिंह–क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुल शरणार्थी गंग केनाल कोलानी में कितने हैं यदि आप यह नहीं बतला सकते हैं कि कितने कश्मीरी हैं, कितने भावलपुरी और कितने पंजाबी ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मंत्री)–डेढ़ लाख।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–कश्मीरी शरणार्थियों को क्या क्या सुविधाएं दी जारही हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मन्त्री)—कोई खास सुविधा की बात नहीं है। जो अन्य शरणार्थियों को सुविधाएं दी जाती हैं जैसे जमीन, तकावी की, वही उनको दी जायगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या उनको लाने से पहले सेंट्रल गवर्नमन्ट की मारफत कोई वायदा दिया गया था ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनर्वास मन्त्री)–सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बात मुझे नहीं मालूम है। राजस्थान सरकार ने कोई वायदा नहीं किया था।

प्रश्न संख्या ४६

श्री तेजमल बापना–क्या सिंचाई विभाग के मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(१) मार्च १९५२ से जनवरी १९५३ तक कितने नये कुए व तालाब बनाये गये व कितने पुरानों की मरम्मत कराई गई ?

(२) कितना रुपया कुल खर्च किया गया ? जिसमें से सब से अधिक किस जिले में व सब से कम किस जिले में खर्च किया गया ?

(३) भीलवाड़ा जिले में कितना खर्च हुआ है ? कितने नये कुए व तालाब बनवाये गये व कितने पुरानों की मरम्मत कराई गई ?

(४) क्या मन्त्री महोदय ने शिकायतों की जांच कर यह इतमिनान कर लिया है कि रुपया वास्तविक तौर पर खर्च हुआ है ?

(५) क्या आगामी वर्ष में कोई योजना कुवों व तालाबों के संबन्ध में इस जिले में भी कार्यान्वित की जायगी ?

(६) यदि हां तो वह क्या, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस प्रश्न के भाग १, २ व ३ के उत्तर संक्षेप में कलकी लम्बी सूची में दिये गये थे। अब इनकी विस्तृत सूची चाही है जो बहुत बडी होगी। अब तक की प्राप्त सूची मेज पर रखी जायगी और शेष प्राप्त होने पर सूची फिर मेज पर रखी जायगी।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री तेजमल बापना—जो शिकायत आपके पास गत वर्ष की गई कि जितना रुपया सरकार ने मंजूर किया वह खर्च नहीं हुआ उसके विषय में क्या कोई एक्शन लिया गया, क्योंकि बहुतसा रुपया खर्च नहीं किया गया और यों ही ऊपर का ऊपर उठ गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने अपने उत्तर में इस बात का ध्यान रखा था और यह कहा था कि यदि कहीं पर ज्यादा रुपया दिया गया और कम खर्च हुआ तो बचा हुआ रुपया उसी जिले में प्राय: खर्च कर दिया जाता है क्योंकि अन्दाजा हमेशा ठीक नहीं होता। यदि आप सूची देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना रुपया कहां पर तालाबों आदि की मरम्मत के लिये खर्च किया गया।

एक सदस्य—मेरे कहने का मतलब यह है कि ५,००० रुपये सरकार ने मंजूर किये मगर वहां पर एक हजार रुपये ही खर्च किये गये; बाकी के रुपये लोग खा गये।

श्री भोगीलाल पंड्या मैंने जो उत्तर दिया उसका मतलब यह था कि ५,००० रुपये जो मंजूर किये गये उस पांच हजार के बजाय यदि एक हजार खर्च हुआ तो बाकी बचे चार हजार रुपये उसी जिले में दूसरी जगह खर्च किये गये।

एक सदस्य—सरकार से तो पांच हजार रुपये ही लिये गये लेकिन वास्तव में एक हजार रुपये खर्च किये गये और बाकी के रुपये लोग खा गये।

श्री भोगीलाल पंड्या—भीलवाडे जिले में दो तालाबों पर ऐसा हुआ मालूम हुआ। इसकी जांच कराई गई और उस केस को ऐन्टी करप्सन डिमार्टमेंट के पास भेज दिया गया।

एक सदस्य—ऐसी कितनी शिकायतें आप के पास आई ?

श्री भोगीलाल पंड्या यदि इस प्रकार का पहले सवाल पूछा जाता तो सब बता दिया जाता। भीलवाडे में दो केसेज हुए हैं। अगर आप औरों के बारे में पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा।

श्री भैरूसिंह—एन्टी करप्सन में ये केसेज कब दिये गये ?

श्री भोगीलाल पंड्या–२।। महीने हुए।

एक सदस्य–किन किन जगह इस प्रकार के केसेज हुए ?

श्री भोगीलाल पंड्या–इसके लिये आप अलग प्रश्न पूछें। मैंने अभी आपको बताया कि दो केसेज भीलवाडे के हैं। उनकी जांच की गई और जांच के बाद उनमें वास्तविकता पाई गई।

श्री जसवन्तसिंह–एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट से कबतक रिपोर्ट आने की आशा की जा सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या–जब जांच पूरी होजावेगी। मैं भी इसके लिये बराबर कहता रहता हूं।

श्री जसवन्तसिंह–आपने यह फरमाया कि प्राइमा फेसी से यह साबित होगया कि केस बनता है तो इसमें राज्य के अधिकारियों का दोष पाया गया या किसी ठेकेदार की गडबडी पाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या–जहां तक मैंने जांच कराई, उसके आधार पर मुझे ऐसा मालूम होता है कि राज्य के कर्मचारियों का दोष पहले है और बाद में ठेकेदारों का भी दोष है।

प्रश्न संख्या ५०

श्री तेजमल बापना–क्या स्वायत शासन मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जबाब देने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगापुर (जिला भीलवाडा) के कस्बे में कितनी स्वायत्त शासन कमेटियां हैं और वे कब से हैं ?

(२) राजस्थान में कितने ऐसे नगर हैं जिनमें म्यूनिसिपल बोर्ड व पन्चायत बोर्ड दोनों काम करते हैं ?

(३) क्या गंगापुर में भी पंचायत व म्यूनिसिपल बोर्ड निर्वाचित हैं और दोनो काम कर रहे हैं ? यदि कर रहे हैं तो कब से और कब तक वह दोनों चलते रहेंगे ?

श्री रामकरण जोशी–(१) गंगापुर में एक ग्राम पंचायत व एक नगरपालिका है। गंगापुर पहले मध्यभारत में था और तब ही से यह स्थापित है।

(२) केवल ३; रोहेडा, शिवगंज, जिला सिरोही व गंगापुर।

(३) मध्यभारत के समय से ही पंचायत व नगरपालिका स्थापित है और कार्य कर रही है। ये मध्यभारत के समय से ही निर्वाचित हैं। गंगापुर से ग्राम पंचायत हटाई जाने की कार्यवाही जारी है।

प्रश्न संख्या ५१

श्री तेजमल बापना–क्या स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) पुर (जिला भीलवाड़ा) की क्या जन-संख्या है?

(२) क्या यहां कोई म्यूनिसिपल बोर्ड कायम है ? यदि नहीं, तो क्या दो वर्ष से म्यूनिसिपेलिटि के चुनाव कराने की सरकार से मंजूरी हो चुकी है?

(३) यदि हां, तो चुनाव नहीं कराने में क्या रुकावट है और अब कब तक चुनाव सम्भव हैं?

श्री रामकरण जोशी–(१) इसकी आबादी ६,०९३ है।

(२) नहीं। इस कस्बे में नगरपालिका स्थापित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और आशा है कि वहां पर शीघ्र ही नगरपालिका स्थापित कर दी जायगी।

(३) यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

प्रश्न संख्या ५२

श्री तेजमल बापना–क्या नागरिक रसद मंत्री महोदय निम्नलिखित प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे:—

(अ) भोजन प्रतिबन्ध आदेश समाप्त करने में क्या कठिनाई है जब कि इससे हजारों जनसाधारण प्रतिदिन पुलिस द्वारा सताये व लूटे जा रहे हैं?

(ब) क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इस आदेश का भार केवल निस्सहाय व गरीबों पर ही पड़ता है जब कि धनवान की ओर कोई आंख उठा कर भी नहीं देखता?

(स) क्या दस्तंदाजी पुलिस ऐसे अभियोगों को नहीं करार देने में भी कोई रुकावट है?

(द) कब तक इस आदेश के उठाने या उसमें सुधार की आशा की जा सकती है जब कई अन्य रियासतों ने इसमें सुधार किये हैं?

श्री भोगीलाल पंडया (रसद मंत्री)-(अ) खाद्यान्न अभी इतनी मात्रा में, प्राप्त नहीं है कि भोजन पर कोई प्रतिबंध ही न रखा जाय। चूंकि इस आदेश की अवहेलना काबिल दस्तन्दाजी जुर्म है अत: पुलिस को उचित कार्यवाही करने का अधिकार है। अनुचित कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाने का ज्ञान होने पर उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही किये जाने के लिये कदम उठाया जाता है।

(ब) इस आदेश का भार केवल गरीबों व निस्सहायों पर ही पड़ता हो यह असत्य है, धनवानों और गरीबों को इस विषय में एक ही दृष्टि से देखा जाता है। इस आदेश का किसी को कोई भार नहीं समझना चाहिये। यह तो गरीब व अमीर सभी के लाभ के लिये है।

(स) ऐसे अभियोगों की सजा, भारत सरकार के बनाये हुये कानून एसेन्शियल सप्लाईज टेम्पोरेरी पॉवर्स एक्ट, १९४६ में तीन साल तक की कैद है और भारत सरकार के बनाये हुये इन्डियन क्रिमिनल प्रासीजर कोड के अन्तर्गत इतनी सजा वाले अभियोग काबिल दस्तन्दाजी पुलिस रखे गये हैं। केवल राजस्थान के लिये ही भारत सरकार इन अभियोगों को नाकाबिल दस्तन्दाजी पुलिस बना दे, यह कठिन है।

(द) इस आदेश को उठा देने का तो अभी कोई विचार नहीं है। इसमें सुधार शीघ्र ही किया जा रहा है। सन् १९५३ का नया आदेश भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजा जाने को है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार के ध्यान में ऐसी घटनाएं भी आई हैं जिसमें बीकानेर में खुले दिन दहाड़े धनाढ्य लोग ३-४ हजार आदमियों का खाना देते है और उसमें पुलिस के अधिकारी भी शामिल होते हैं और फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मेरे ध्यान में तो ऐसी बात नहीं आई है लेकिन जैसा आपने फरमाया है तो मैं जरूर इसकी जांच कराऊंगा।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह भी बात आप के ध्यान में आई है कि इस संबन्ध में मुकदमा भी चलाया गया मगर बाद में मुकदमा वापिस ले लिया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे इस संबन्ध में कोई इत्तिला नहीं है।

श्री मोतीलाल—सरकार के ध्यान में लाने के लिये क्या स्टेप्स लिये जावें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको इसके लिये अर्जी देनी चाहिये। यह एक सीधा सा प्रोसीजर है।

श्री एच. के. व्यास—इसका क्या कारण है कि ऐसी बातें सरकार के ध्यान में अमूमन नहीं आती हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं कह सकता हूं कि यह समाज सेवकों की कमजोरी है।

श्री जसवन्तसिंह—क्या भोजन नहीं बनाने देना समाज-सेवा है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर इसको समाज-सुधार की दृष्टि से देखा जाय तो लोगों को चाहिये कि वे इसको रोकें और जो रुपया इस प्रकार के भोजन में खर्च किया जाता है वह दूसरे प्रकार के समाज सेवाओं में खर्च किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री जसवन्तसिंह—रोकने का सवाल ही कैसे पैदा हो सकता है जब कि खुल्लम खुल्ला ३-४ हजार आदमी बीकानेर में एक साथ भोजन कर सकते हैं, जहां पर कि कमिश्नर, कलेक्टर, डी. आई. जी. पुलिस आदि के दफतर मौजूद हो और वे लोग भी भोजन में शामिल हों। फिर भी अगर सरकार यह कहे कि ऐसी बात हमारे ध्यान में नहीं आई तो फिर हमारे समझ में नहीं आता कि किस तरह से ऐसी बातें सरकार के ध्यान में आ सकती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि कानून म ऐसी सुविधा है जिसमें भोजन किया जा सकता है जैसे मूंग के लड्डू, सिगाडे के आटे की पुड़ी; इस पर कोई रोक थाम नहीं है।

श्री जसवन्तसिंह—इसपर.........

श्री अध्यक्ष—These are all hypothetical questions and answers.

श्री संतोषसिंह—इसी वजह से मिनिस्टरों ने एट होम देना भी बन्द कर दिया है।

श्री अध्यक्ष - ओर्डर, ओर्डर !

प्रश्न संख्या ५३

कुं. श्री तेजमल–क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या यह सच है कि तारीख २६ दिसम्बर सन् १९५२, को ग्रामसभा गोविन्दगढ़, तहसील आमेर, जिला जयपुर का चुनाव सम्पन्न हुआ है?

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि २१ पंचों के चुनाव का नोटिस जारी किया गया और वास्तव में २२ पंचों का चुनाव सम्पन्न हुआ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या यह भी सच है कि उसी दिन व समय, बिना किसी पुर्व सूचना के ग्रामसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष और न्याय पंचायत के पांच सदस्यों का चुनाव भी करवा लिया गया।

(ङ) यदि हां, तो क्यों?

श्री रामकरण जोशी-(क) हां।

(ख) सूचना पत्र के अनुसार चुनाव तो केवल २१ ही पंचों का किया गया था, किन्तु वहां की जनता के आग्रह से एक हरिजन को अतिरिक्त स्थान देने के लिये चुनाव अधिकारी ने विशेष रूप से आज्ञा चाही है। इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। अतएव इस अतिरिक्त सदस्य को अभी तक शपथ भी नहीं दिलाई गई है, न विभागीय पत्रों में ही उसको सदस्य माना गया है।

(ग) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न (ख) में आगया।

(घ) ग्रामसभा के सब सदस्यों को ग्राम पंचायत का चुनाव करने के लिये एकत्रित किया गया। ग्राम पञ्चायत के सदस्यों का चुनाव करने से पहले अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया, जो वैधानिक है। उसके पश्चात् ग्राम पन्चायत के सदस्यों में से फिर न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव किया गया क्योंकि ग्राम सभा

के सदस्यों द्वारा ही न्याय पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है जिनको एकत्रित होने की सूचना दी जा चुकी थी। अतः इससे चुनाव पर कोई वास्तविक असर नहीं पड़ता। फिर भी इसकी जांच हो रही है जिसपर जांच के पश्चात् निर्णय होगा।

(ङ) इस प्रकार चुनाव करवाने में कोई ऐसी त्रुटी नहीं रहती जो चुनाव में बडी चीज पैदा करे फिर भी इस बात पर जांच हो रही है जिसका अभी फल नहीं निकला है। ग्राम सभा के द्वारा ही न्याय पंचायत का चुनाव हुआ करता है। इन्स्पेक्टर ने दूसरी बार फिर लोगों को एकत्रित करने-कराने की झंझटों से मौजूद लोगों की राय से उक्त चुनाव भी तभी सम्पन्न करवा लिया। परन्तु ये सरकार के विचाराधीन है कि न्याय-पंचायत को मान्यता दी जाय या नहीं।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़)–क्या माननीय जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब इस पंचायत के सदस्यों ने शपथ ही नहीं ली तो फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे हो गया?

श्री रामकरण जोशी–साधारण वोटर्स अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास–इस ग्राम सभा का चुनाव इससे पहले कब हुआ था?

श्री रामकरण जोशी–यह सवाल, जो मूल प्रश्न पूछा गया है उससे अलग है, फिर भी में यह बताये देता हूं कि करीब सवा साल पहले हुआ था।

श्री हरिकृष्ण व्यास–पुरानी सभा की अवधि समाप्त हो गई थी या सरकार ने इसे डिज़ोल्व किया?

श्री रामकरण जोशी–सरकार ने डिजोल्व किया।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या नोटिफिकेशन इश्यू किया गया था?

श्री रामकरण जोशी–हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या माननीय मन्त्री उस नोटिफिकेशन की कॉपी हाउस की टेबल पर रखने को तैयार हैं।

श्री रामकरण जोशी–मैं सबके सामने बोल दूंगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास–मेरी सूचना यह है कि नोटिफीकेशन इश्यू नहीं हुआ, इसलिये मैंने टेबिल पर रखने के लिये अर्ज किया है।

श्री रामकरण जोशी–जिस तरह दूसरी पंचायतों के चुनाव होते हैं उसी तरह इस पञ्चायत का भी चुनाव हुआ है।

श्री अवनीकुमार–राजस्थान पंचायत कानून की धारा...

Page No.28

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर, ऑर्डर! नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ५४

श्री तेजसिंह–क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(क) ग्रामसभा गोविन्द गढ़, तहसील आमेर, जिला जयपुर के अधिनस्थ १० ग्रामों को इस ग्रामसभा से यकायक पृथक करने की सरकार को क्योंकर आवश्यकता प्रतीत हुई ?

(ख) क्या यह सच है कि इस ग्रामसभा के चुने हुए नये पदाधिकारियों ने माह अक्टूबर सन् १९५१ से ही कार्य करना प्रारम्भ किया था ?

(ग) यदि हां, तो केवल १४ माह बाद ही दुबारा चुनाव क्यों करवाया गया ?

श्री रामकरण जोशी–(क) गोविन्दगढ़ ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंच की अध्यक्षता में दलबन्दी के कारण अरसे से शिकायतें आ रही थीं। दो तीन मर्तबा विभागीय ऑफिसरों को भेज शिकायतों की जांच करवाई गई तो जो परिस्थिति पाई गई वह ऐसी थी कि कोई पंचायत निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकती थी। इस दलबन्दी का दूषित वातावरण उसकी समीप की पंचायतों में न फैले और गोविन्दगढ़ कस्बे की जनता की दलबन्दियों के कारण पंचायत के अन्तर्गत समीप के ग्रामवासियों को अकारण हर्जाना न भुगतना पड़े, इसलिये गोविन्दगढ़ कस्बे को अन्य गांवों से पृथक करना उचित समझा गया।

(ख) हां

(ग) जब पहले बताए गये कारणों से पंचायत का क्षेत्र दो क्षेत्रों में बांट दिया गया तो चुनाव करवाना अनिवार्य हो गया।

श्री अग्निकुमार–क्या राजस्थान पंचायत एक्ट की धारा ८९ के अनुसार नोटिफिकेशन इश्यू किया गया था ?

श्री रामकरण जोशी–इसे डिज़ोल्व करने की कार्यवाही उसी तरह की गई है कि जिस तरह की कार्यवाही और ग्राम सभाओं को डिजोल्व करने के लिये की जाती है।

एक सदस्य–क्या माननीय मन्त्री शिकायत की जांच की रिपोर्ट को हाउस की टेबल पर रखने के लिये तैयार हैं?

श्री रामकरण जोशी–हां।

श्री हरिकृष्ण व्यास–जिस अधिकारी ने जांच करके सरकार के पास अपने फाइन्डिंग्ज़ भेजे, जिन फाइन्डिंग्ज़ के आधार पर सरकार ने यह कदम उठाया वे फाइन्डिंग्ज़ क्या हैं?

श्री रामकरण जोशी–उसके फाइन्डिग्ज यह हैं कि दलबन्दी का दूषित वातावरण दूसरी जगह नहीं फैले, इसलिये यह कदम उठाया गया।

श्री जसवन्तसिंह–माननीय मन्त्री दलबन्दी का जिक्र कर रहे हैं। क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि किन किन पार्टियों की ओर से यह दलबन्दी पैदा की गई ?

श्री रामकरण जोशी–ग्राम के लोगों में आपस में ही फूट हो गई कोई दूसरी पार्टी नहीं।

श्री जसवन्तसिंह–उन्हें उकसाने वाले कौन कौन से राजनैतिक दल थे ?

श्री राकरमण जोशी–राजनैतिक दल उकसाया नहीं करते, गांव के लोगों में ही आपस में दलबन्दी होगई।

श्री हरिकृष्ण व्यास–केवल दलबन्दी के आधार पर कार्यवाही करने का कौन से सेक्शन में अधिकार दिया गया है।

श्री रामकरण जोशी–दलबन्दी का जो मैंने जिक्र किया उसके साथ साथ दूसरों को हैरेस करते थे और काम ठीक तौर से नहीं करते थे, यह भी एक कारण था।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)–यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है, बड़ी अहमियत रखता है; हम इसपर सप्लीमेंट्री पेश करना चाहते हैं।

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)–इस दलबन्दी का मुख्य कारण क्या है ?

श्री रामकरण जोशी–मालूम नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास–सुना है कि वहां के लोगों ने माननीय मन्त्रीजी को भी दलबन्दी में शरीक किया है।

श्री रामकरण जोशी–हो सकता है।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)–जयपुर ग्राम पंचायत एक्ट की कौनसी धारा के मातहत इसे डिजोल्व किया गया है ?

श्री अध्यक्ष—This is a legal question.

श्री रामकरण जोशी–धारा के बारे में बताने के लिये समय की आवश्यकता है, बाद में बता सकता हूं। लेकिन यह बता देना मैं आवश्यक समझता हूं कि इसे डिजोल्व करना जरूरी था इसलिये इसे डिजोल्व किया गया।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)–यह हमें कब तक बता दिया जायगा ?

श्री रामकरण जोशी–सरकार जब भी कोई एक्शन लेगी तो कानून के आधार पर ही लेगी।

श्री हरिकृष्णव्यास–वह टेबल पर रखा जाय।

श्री अध्यक्ष–He has promised.

श्री रामकरण जोशी–जितने सप्लीमेंटरी प्रश्न किये जायं अभी कर लिये जाएं। नोटिफिकेशन समय पर जल्दी ही टेबल पर रख दिया जायगा। मेरी प्रार्थना है कि फालतू बहस नहीं करके मूल प्रश्न से संबन्धित प्रश्न ही पूछे जायं।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)–अगर सरकार को यह साबित करके बता दिया जाय कि यह सारी कार्यवाही इल्लीगल है तो क्या वह दुबारा चुनाव कराने के लिये तैयार है।

श्री अध्यक्ष–ऑर्डर, ऑर्डर!

श्री जसवन्तसिंह–क्या हम यह आशा करें कि यह नोटिफिकेशन इस सेशन के खत्म होने से पहले टेबल पर रख दिया जायगा।

श्री रामकरण जोशी–जरूर। इस दलबन्दी से लोगों को यह शक पैदा होगया है कि दूसरे लोगों और कांग्रेस के बीच यह दलबन्दी होगी। मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह दलबन्दी यहां के कांग्रेसियों के बीच में ही है।

श्री गोपीलाल यादव–माननीय अध्यक्ष, इस संबन्ध में मैं माननीय मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि वहां की दलबन्दी मेम्बरों के अन्दर या मेम्बरों को चुनने वाली जनता के अन्दर थी और यदि मेम्बरों के अन्दर थी तो क्या एक्शन लिया गया और अगर जनता के अन्दर थी तो उन्होंने किस तरह का एक्शन लिया?

श्री अध्यक्ष–The report of the officer will be placed on the Table and the Hon'ble Member should persue that report and if necessary other questions may be asked on the basis of that report.

श्री जसवन्तसिंह–It has not been clearly stated, Sir.

श्री अध्यक्ष–He says that it will be placed.

श्री जसवन्तसिंह–He may place it next year.

श्री अध्यक्ष–No.

श्री जसवन्तसिंह–But that is what we want to make sure. He may make it clear.

श्री अध्यक्ष–It is clear. It is my business to see that the report comes.

प्रश्न संख्या ५५

श्री तेजसिंह–क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(क) भूतपूर्व जयपुर राज्य में ग्राम सभाओं के साथ अदालती पंचायतों का जो निर्माण किया जा रहा है क्या वह जयपुर राज्य पंचायती कानून के अनुसार हो रहा है?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामकरण जोशी–(स्वायत्त शासन मन्त्री)–(क) हां। (ख) 'क' का उत्तर देने के पश्चात् (ख) के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री तेजसिंह–पंचायत लागू करने से पहले पंचायत का हल्का तय किया जाता है और फिर चुनाव किये जाते हैं। क्या यहां पर भी ऐसा ही किया गया?

श्री रामकरण जोशी–ये सारी बातें चुनाव की कार्यवाही के कायदे के अनुसार डिटेल में की जाती हैं। यदि आप डिटेल चाहेंगे तो आपको बतला दिये जायेंगे।

श्री गोपीलाल यादव–क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि जयपुर पंचायत एक्ट की तहत में डिस्ट्रिक्ट को सरकल्स में बांटा जाता है? चुनाव के लिये क्या इन पंचायतों को पहले सर्कल्स में बांटा गया है?

श्री रामकरण जोशी–गोविन्दगढ़ पंचायत को दो भागों में बांटा गया था। कस्बे को एक भाग में और आस पास के क्षेत्र को दूसरे भाग में बांटा गया था।

श्री रामदयाल–क्या सरकार की घोषणा राजस्थान गजट में होती है?

श्री रामकरण जोशी–अन्य पंचायतों के बारे में जो कार्यवाही की जाती है वही कार्यवाही इसके बारे में भी की गई है।

श्री तेजसिंह–पंचायत बनाने और सर्कल्स बांटने मे डिफ्रेन्स है। कई पंचायतों को मिला कर सर्कल्स में बांटा जाता है।

श्री रामकरण जोशी–पंचायतों के सर्कल्स नहीं बनाये जाते हैं बल्कि पंचायत के क्षेत्र के बारे में तय किया जाता है कि अमुक क्षेत्र या गांव अमुक पंचायत के अन्तर्गत रहेगा। कहीं कहीं अकेले गांव की एक एक पंचायत होती है।

श्री गोपीलाल यादव–माननीय मन्त्री गलती कर रहे हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट को सर्कल्स में बांटा जाता है न कि पंचायतों को। सवाल यह है कि क्या जयपुर डिस्ट्रिक्ट को सर्कल्स में बांटा गया है? यदि वे आज उत्तर देने को तैयार नहीं हैं तो कानून देख कर कल बतादें।

श्री रामकरण जोशी–गोविन्दगढ़ क्षेत्र के बारे में बता दिया गया है।

श्री गोपीलाल यादव-सवाल है सर्कल्स के बारे में।

श्री अध्यक्ष--This is a separate question : if the member wants he can table a question.

श्री गोपीलाल यादव-I may point out that the election of the Panchayat Adalat cannot be held if.........

श्री अध्यक्ष--You can ask supplementary questions arising or likely to arise out of that report and if you ask for an independent question you will have to take a separate question. Your question is about the classification of divisions of Jaipur District, circles of the Panchayat. That forms a separate question.

प्रश्न संख्या ५६

श्री तेजसिंह-क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) ग्राम सभा गोविन्दगढ़, तहसील आमेर, जिला जयपुर के न्याय पंचायत के चुनाव अवैधानिक होने के संबंध में स्थानीय ग्रामवासियों ने सरकारी पंचायत कार्यालय में कुछ ऐतराज पेश किये हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या ?

(ग) क्या यह सच है कि ग्रामवासियों के इन ऐतराजों पर ध्यान दिये बिना ही ग्राम सभा व अदालती पंचायत को कार्य करने की सरकार ने आज्ञा प्रदान कर दी है ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकरण जोशी-(क) भूतपूर्व सरपंच के नजदीकी २ रिश्तेदारों ने कुछ ऐतराजात पेश किये हैं।

(ख) कदाचित भूतपूर्व सरपंच के कहने से पेश किये होंगे।

(ग) स्थिति यह है कि भूतपूर्व सरपंच के २ रिश्तेदारों के ऐतराजों पर दर्याफ्त की कार्यवाही जारी है परन्तु इस प्रकार की आपत्तियों पर चुनाव के सम्बन्धों में आगे होने वाली कार्यवाही स्थगित नहीं होती है। यदि ऐतराजों में तथ्य पाया जाएगा तो पीछे उचित आदेश हो सकेगा।

(घ) यह पंचायत जयपुर पंचायत विधान सन् १९४८ के अन्तर्गत चल रही है। इस विधान में ऐसी कोई धारा नहीं है कि चुनाव के विरुद्ध ऐतराज आ जाने पर पंचायत को कार्यारम्भ करने से ही रोक दिया जाए। शिकायतों की जांच अवश्य करवा ली जाती है और जांच के पश्चात् यदि ऐसी अवैधानिकता प्रतीत होती हो कि पुनः चुनाव की आवश्यकता है तो वह करवा दिया जाता है अन्यथा वह पंचायत कार्य करती रहती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास-क्या शिकायत करने वालों ने अपना निशान दिया है कि वे भूतपूर्व सरपंच के रिश्तेदार हैं इसलिये आप कह रहे हैं ?

श्री रामकरण जोशी--उनके नाम सुनकर हरएक व्यक्ति जो उनको जानता है वह कह सकता है कि वे पहले के सरपंच के रिश्तेदार हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास-मेरा प्रश्न यह है कि क्या शिकायत में यह बात लिखी है?

श्री रामकरण जोशी-शिकायत जब सरकार के सामने आती है तो जांच करनी पड़ती है कि कहीं इन्ट्रेस्टेड पार्टी ने यों ही तो शिकायत नहीं कर दी है। जब नये चुनाव में नये आदमी आये और पुराने सरपंच व पंच नहीं आ सके तो उन दोनों में मनमुटाव होना स्वाभाविक ही है। जांच करने पर मालूम हुआ कि इन्ट्रेस्टेड पार्टी की ही शिकायत थी।

अल्पकाल-सूचना प्रश्न

श्री एच. के. व्यास-Will the Minister Incharge for Labour be pleased to answer—

(a) Is it a fact that the Maharaja Kishangarh Mills have declared and are continuing a lock-out for the last 85 days?

(b) Will the Government make a full statement of the circumstances of this lock-out and the step taken by the Government to get the Mill re-opened?

श्री रामकरण जोशी—महाराजा किशनगढ़ मिल्स लि०, किशनगढ, के व्यवस्थापक ने तारीख १०-११-५२ से, यह कारण बतलाकर कि मिल बहुत नुकसान से चल रहा है ताला बंदी घोषित करदी। राजस्थान सरकार ने इस औद्योगिक झगड़े को ता० २५-११-५२ को इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, १९४७ की धारा १० के अन्तर्गत फैसले के लिये इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। ता० २६-११-५२ को सरकार ने उक्त एक्ट की धारा १० (३) के अनुसार एक और आज्ञा दी कि तालाबंदी फौरन समाप्त कर दी जाय। व्यवस्थापकों ने सरकार की इस आज्ञा का पालन नहीं किया लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में रिट के लिये प्रार्थना-पत्र पेश कर दिया और राजस्थान सरकार व इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के विरुद्ध जब तक उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार न हो जाय, आगे कोई कार्यवाही न करने के लिये एक स्थगन आज्ञा जारी करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना हाईकोर्ट ने स्वीकार करली। मामला अभी तक हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

श्री जसवन्तसिंह-क्या यह बात सच है और क्या यह बात राजस्थान सरकार के ध्यान में आई है जैसा कि इस मिल के लेबरर कह रहे हैं कि जब पिछले अगस्त के महीने में चुनाव हो रहे थे तब इस मिल के मालिक ने कांग्रेस को चुनाव में मदद दी थी और कांग्रेस ने मालिक के साथ वादा किया था कि इस तरह की अनुचित कार्यवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायगी?

श्री रामकरण जोशी-मैं समझता हूं सरकार का कदम स्पष्ट है; परन्तु हाईकोर्ट ने मालिक की रक्षा की है। उन्होंने रिट को मंजूर कर लिया है और सरकार की कार्यवाही को बंद कर दिया है।

सरकार ने इस तालाबंदी को अवैध घोषित किया और मामले को इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को सौंपा। इससे सरकार का कदम साफ जाहिर होता है।

श्री अध्यक्ष–You have asked for a statement. That he has stated. And on a statement you are not entitled to ask supplementaries.

(विराम)

You cannot put any supplementary question which arises out of (2) of the question.

श्री एच. के. व्यास –I am asking supplementaries about part (a) of the question.

श्री अध्यक्ष–That he has replied, and the opportunity has gone.

श्री एच. के. व्यास–He has replied to both the parts togethar. Therefore occasion for asking supplementaries to part (a) has not gone.

श्री अध्यक्ष–Part (a) asks for a fact and after that you have asked for a statement of the circumstances, which he has made. So the occasion for asking supplementaries to part (b) has gone.

श्री एच. के. व्यास–He has replied to both the parts together, and therefore my occasion arises only now.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—उन्होंने सवाल दोनों एक साथ पूछे थे इसलिए मैंने जवाब भी एक ही साथ दे दिये थे।

श्री हरिकृष्ण व्यास–आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तो यह बात अध्यक्ष महोदय से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–I invite the attention of the Hon'ble Member to rule 69 of the rules of Business which says that a statement may be made by a Minister on a matter of public importance with the consent of the Speaker but no question shall be asked at the time the statement is made.

श्री जसवन्तसिंह–स्टेटमेन्ट के मुताल्लिक अध्यक्षजी ने जो फरमाया है वह दुरस्त है, लेकिन जब एक सवाल पूछा जाता है तो चाहे वह किसी किस्म का हो तो इस हाउस के सदस्यों का हक हो जाता है कि वे उस सम्बन्ध में सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन्स पूछें। प्रश्न पूछने की कहां रुकावट है इस सम्बन्ध में बताया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष–The question is that the Hon'ble Member wanted the Minister to make a statement. That I have allowed and because it was a matter of public importance.

श्री जसवन्तसिंह–But he has asked a short notice question.

श्री अध्यक्ष–He can ask only a question. He cannot ask for statement If the Hon'ble Member asked for a statement I allowed it only because it was a matter of public importance. If therefore, he has asked for a statement and that matter is a matter of public importance, I do not think it advisable to allow supplementary question.

श्री जसवन्तसिंह–Then it is not a short notice question.

श्री अध्यक्ष–He has asked a short-notice question and in that case he has requested for a full statement on the subject. That I have allowed because I consider it a matter of public importance.

श्री जसवन्तसिंह–But according to us, the answer may not be satisfactory and if it was not satisfactory than we are entitled to ask for supplementaries.

श्री अध्यक्ष–The Hon'ble member ean table another question on the same subject. But he cannot ask supplementaries on a statement.

श्री जसवन्तसिंह–We are asking supplementaries on a short notice question and according to the Rules of Business we can ask for such supplementaries.

श्री अध्यक्ष–No. You cannot ask supplementaries on a statement.

श्री जसवन्तसिंह–Can our notice be drawn to any rule, Sir ?

श्री अध्यक्ष– That I have already done.

श्री एच.के. व्यास–I have to make a submission on this point, Si .In the first place, Sir, part (a) of my question relates to an incident about the Kishangarh Mills. Then part (a) and (b) were answered simultaneonsly. Therefore my first submission is that the occasion for asking supplementaries even in regard to part (a) arises only now. My second submission is that the statement referred to in rule 68 is undoubtely a different one from the answer required in part (b). My question is "will the Government make a full statement of the circumstances of the lock-out and the steps taken Government to keep the mills open. I wanted a statement on two specific points. It was not a statement of policy or a statement of general nature. So my submission is that Rule 68 applies to statements of policy or statements of a general nature. But it does not apply to statements asked in regard to specifie points. I therefore request you to permit me to ask supplementary questions.

श्री जसवन्तसिंह–इसके अलावा रूल संख्या ६८ है। हम माननीय अध्यक्ष के आदेश को मानने के लिए तैयार हैं किन्तु शोर्ट नोटिस क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारा हक हो जाता है कि

हम उन पर सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन पूछें। अगर इस विषय में इजाजत नहीं दी जाती है तो हम यही समझेंगे कि हमारे हकों पर कुठाराघात किया जाता है।

श्री गोपीलाल यादव–अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमेन्ट दिया था वह स्टेटमेन्ट नहीं था किन्तु सवाल का जवाब था। इस पर हम सब्मिट करते हैं कि सवाल पूछने का हक हमको है।

श्री अध्यक्ष–Well, I may make it more clear. It is not my intention to rather shut the mouths of members by not allowing them to put supplementary questions. This may be very clear to members. But the statement which the Hon'ble Minister has made is not on a matter of policy but it is a statement on a matter of public importance which is warranted by Rule 68 and as such on such a statement of public importance supplementaries may not be asked. It has been held and I hold accordingly that no supplementaries can be put.

श्री एच. के. व्यास–And what is the rule, Sir, according to which supplementaries can be asked on part (a) of the question ? I think supplementarie can be asked to part (a) for which occasion arises only now.

श्री अध्यक्ष– Only on part (a) I can allow.

श्री एच. के. व्यास– How many workers are involved in this lock-out ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)–११०० के करीब होंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास–क्या भारत सरकार से राजस्थान सरकार ने कोई रिक्वेस्ट की है कि मिल को ले लिया जावे ?

श्री रामकरण जोशी–हाँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास–रिक्वेस्ट करने का कोई खास कारण है? भारत सरकार ने राजस्थान सरकार को इस सम्बन्ध में क्या कोई उत्तर दिया है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)–The circumstances of this lock-out and the steps taken by the Government to get the mill reopened are related to part (b) of the question and not to part (a).

श्री अध्यक्ष–Order ! My main purpose of not allowing supplementary questions was that this matter is sub-judice and there can be no hard and fast line between this question which might affect the case on its vary merits.

श्री एच. के. व्यास–But, Sir, in that case the question should not have been allowed. But once it is placed on the table, it is not fair to us not to get replies. Of couse I shall not touch the sub-judice part of the question

श्री अध्यक्ष– You put your specific question.

श्री एच. के. व्यास–What reply the Central Government have sent to the Rajasthan Government regarding this request for taking over the Mill ?

श्री बी. एन. जोशी–On a point of order, strictly speaking the question is not admissible under the Rules of Business of this House.

श्री अध्यक्ष–Order !

श्री हरिकृष्ण व्यास–I have another supplementary.

श्री अध्यक्ष–Order !

(विराम)

सदस्यों को अनुपस्थिति पर सदन की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मुझे हाउस को सूचना करनी है कि निम्नलिखित सदस्यों ने उनके सम्मुख लिखी अवधिकाल के लिये विधान सभा की बैठक से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिये प्रार्थना की है- (१) श्री अमरसिंह—६ फरवरी से एक सप्ताह तक।

(२) श्री छीतरलाल शर्मा—९ फरवरी से १२ फरवरी तक ।

(३) श्री माधोसिंह—९ फरवरी से १२ फरवरी तक ।

(४) श्री भानुप्रतापसिंह—९ फरवरी से १९ फरवरी तक ।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा दी जाय ।

श्री अमरसिंह–मैं तो आज उपस्थित हूं।

श्री अध्यक्ष–क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा दी जावे। और श्री अमरसिंह को न दी जावे ।

(अनुमति प्रदान हुई)

प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में पूछताछ

श्री जयेन्द्रसिंह–अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अर्ज करना है कि पिछले सेशन में मैंने स्टार्ड सवाल पूछे थे और उनका पब्लिक में जवाब देना मेरे लिये बहुत जरूरी था। उसके पीछे अधिवेशन में भी पूछे थे उनके जवाब नहीं दिये गये । क्या मैं समझूं कि वे हजम होगये या उनका जवाब देने की मरजी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष–What the Leader of the house has to say ?

Page No.38

श्री जयनारायण व्यास–उनको अगर जवाब नहीं मिला है तो या तो वे टेबल पर रख दिये गये होंगे और अगर नहीं रखे गये होंगे तो में दरयाफ्त करके टेबल पर रखवा दूंगा।

श्री जयेन्द्रसिंह–कितने दिन में दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष–But there must be time limit for that.

श्री जयनारायण व्यास–मुझे वे क्वेश्चन मिल जावेंगे तो उनका जवाब तीन दिन में दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष–सवाल आपके पास भेजे हुए हैं। उनका जवाब ही प्राप्त करना है।

श्री जयेन्द्रसिंह–में उनकी नकल फिर नजर करने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष–No, No. these questions have already been sent to the Government. Our office has got them and you will get their answers.

श्री जयेन्द्रसिंह–उत्तर पाने की ताकीद इसलिये है कि वहां कॉन्स्टीट्युऐंसी में ऐसी हालत हो रही है कि वसूली के सिलसिले में बडी धींगामस्ती हो रही है। कई जगह वसूली हो रही है और कई जगह नहीं हो रही है।

श्री हिम्मतसिंह–मेरे भी क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिया गया। इसका भी मुझको उत्तर नहीं मिला ?

श्री अध्यक्ष–हमारे ऑफिस से नहीं मिला है ?

श्री हिम्मतसिंह–जी, हां।

श्री अध्यक्ष–सेक्रेटेरियेट से आया नहीं होगा इसलिये नहीं मिला। हमने गवर्नमेन्ट को भेज दिया है वहां से जवाब आने पर आपको भेज देंगे।

एक सदस्य–मैंने भी एक मन्त्री महोदय से उनके दौरे के संबन्ध के सवाल के जवाब के लिये पूछा। उन्होंने कहा कि जयपुर आकर जवाब दूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस पर भी जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। क्या मेरा जवाब रिजेक्ट करदिया गया है?

श्री अध्यक्ष–प्रश्न रिजेक्ट करने के बारे में सूचना दी जाती है। क्यों रिजेक्ट किया जाता है इसके बारे में आप स्वयं उपस्थित होकर देख लें और अगर संशोधन करने की बात हो तो संशोधन करलें। इस तरह दफ्तर में मुश्किल हो जावेगी कि सबके कारण बताए जावें।

श्री मानसिंह–दूसरे फोर्म में रक्खे जाते तो ठीक था।

श्री अध्यक्ष–आप रखिये। हम बाउन्ड नहीं हैं।

श्री जसवन्तसिंह—श्री राजप्रमुख के अभिभाषण पर कल भी मैं बोल रहा था और मैं अपना भाषण समाप्त न कर पाया था और सदन का समय होगया था। मैंने जो कुछ कल श्री राजप्रमुख के अभिभाषण के विषय में कहा उसको संक्षेप में मैं दोहराऊंगा ताकि मेरे आज के भाषणका सिलसिला जारी रहे।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर बहुत चिन्ता व्यक्त की और उन्होंने यह भी फरमाया कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थीं या हो गई हैं जिनसे कि आर्थिक स्थिति हमारी चिन्ताजनक है। जो परिस्थितियां सरकार के सामने आईं या जिन परिस्थितियों का श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषणमें जिक्र किया गया है उनसे हमें विदित नहीं कराया गया। परन्तु मैंने अपने भाषण में कल जो बतलाया उससे मुझे तो यह विश्वास हुआ है कि इस खराब और विकट आर्थिक स्थिति की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है।

अगर हमारी सरकार अच्छी तरह से काम करती, लापरवाही नहीं करती, पूरी तवज्जोह बरतती और योग्यता से काम करती तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती। राजस्थान एक बहुत बड़ी रियासत है। इस राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और बीकानेर करके तीन रियासतें थीं; जो इसके मुकाबले में छोटी थीं। यह बात थी कि इतनी ही नहीं बल्कि ज्यादा एफी-शियेंसी के साथ जनता पर ज्यादा रुपया खर्च किया करती थी और फिर भी बजट बैलेंस होता और अब राजस्थान स्थापित हुआ; उस वक्त जैसा कि कल मैंने बतलाया बीकानेर से ५ करोड़ रुपये नकद दिये गये जयपुर से भी साढे चार करोड़ दिये गये लेकिन आज क्या स्थिति होगई जिस से यह हाल होगया

इसका कारण सिर्फ हमारी सरकार है और वही इसकी जिम्मेदार है। मैंने तीन चार उदाहरण दिये थे। मैं डिटेल में इन पर न जाकर सिर्फ थोड़े से शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि सब से पहले मैंने यह बत-लाया था कि अगर हमारी सरकार पूरी तवज्जह देती और राजस्थान की जनता की पसीने से कमाई हुई रकम का दुरुपयोग नहीं करती, जैसा कि मैंने बताया था, यहां जयपुर में 'सी' स्कीम में कुछ हमारे मन्त्रियों ने, अफसोस की बात है, उनके मित्रों ने, उनके रिश्तेदारों ने, और उनके कृपा पात्रों ने काफी कीमती प्लॉटों को करीब करीब मुफ्त में ले लिया। हम बार बार इस बात पर इस हाउस में कह चुके हैं कि क्यों नहीं गवर्नमेन्ट, अगर जनता की है और जन प्रिय है तो इन्डिपेन्डेंट इन्क्वायरी बिठाती जिससे यह मामला साफ हो जाता। इस सिलसिले में कुछ सज्जनों ने बड़े बड़े महलात भी इन प्लॉटों पर बना लिये हैं। कुछ ने नहीं भी बनाये। इस सिलसिले में मैंने अर्ज किया था कि आज हमारी सरकार के दिन हैं और मैंने उनको चेतावनी दी थी कि इस पद के नशे में आकर उनका यह ख्याल हो कि हमेशा उनके यही दिन रहेंगे और वे मनमानी करेंगे और बगैर जनता की परवाह किये चाहे जो कर सकते हों, करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि सबका समय एकसा नहीं रहता। मैंने व्यक्त किया था कि आज हमारे इधर के व्यासजी, समय आ सकता है,उधर बैठे दीख सकते हैं और हमारे उस तरफ बैठे व्यासजी इस तरफ़ की कुर्सी पर बैठ सकते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—अबतक यह नहीं मालुम था कि दोनों में आपके व्यासजी कौन हैं।

श्री जसवन्तसिंह—(जारी)तो मुमकिन है कि उस पक्ष के व्यासजी की जगह हमारे पक्ष के व्यासजी उस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। वह समय आवेगा।

[श्री जसवन्तसि]

मैंने मेरे मित्रों को कहा था कि हम लोग जो इधर बैठे हैं उन्हें (हम लोगों को) खतम करने के लिये हमारी सरकार ने कुछ कानून बनाया हैं। और करीब एक साल पहले कानून बन गया और इस तरह कागजों में जागीरदारी प्रथा को खतम कर दिया। लेकिन कानून की वजह से और कॉन्स्टिट्यूशन के बचाव से कचहरियों और वकीलों के द्वारा साल भर से इस कानून को रोक रखा है। बराबर यह नोबत आ रही है कि सरकार की इस कार्यवाही को सफल नहीं होने दें।

पर हमारे व्यासजी जब उस कुर्सी पर बैठेंगे तो अगर हमारे मित्रों को यह प्रेम हो कि उनके वक्त भी यह कार्यवाही वर्षों तक चल जावेगी तो यह केवल उनका भ्रम ही होगा। वे उस पार्टी के हैं जो फौरन न्याय करते हैं। उनका न्याय फौरन होता है। वर्षों तक कानूनी कार्यवाही नहीं चलेगी। जैसा कि हम लोगों ने वर्षों तक चला दिया। यह बात ध्यान में रक्खें। हमारे मित्र हमें भी उस पार्टी की तरफ ढकेल रहे हैं तो न्याय करना होगा।

तो आपको मालूम होगा कि कितना जल्दी न्याय होता है। वह न्याय ऐसा होगा कि जांच की भी परवाह नहीं करेगा और तमाम को एक या दो दिन में साफ कर दिया जायगा। इसलिये में आप सज्जनों से प्रार्थना करता हू, और मेरा चेलेंज है कि आप इस बारे में इन्डिपेन्डेन्ट कमेटी बैठाकर इन्क्वायरी करायेंगे तब तो आपके लिये बेहतर है; नहीं तो हम समझेंगे कि यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट के नाम पर जो धांधली की जा रही है वह ठीक नहीं है।

दूसरी बात जैसा कि श्री जोशी जी ने कल राजप्रमुख के भाषण के सिलसिले में कही थी कि भारत सरकार ने जो हमसे रेल्वे की आमदनी लेली है, जो जबरन लेली है, उसका हिस्सा लेना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी–मैंने 'जबरन लेली है' ऐसा नहीं कहा था ......

श्रीजसवन्तसिंह–'जबरन' शब्द आपने नहीं कहा होगा; परन्तु आपने यह अवश्य कहा था कि उसका हिस्सा जरूर लेना चाहिये। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को ऐसे मामले में कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिये और राजस्थान का हिस्सा हो ही नहीं सकता। मैंने यह बतलाया था कि जो रकम ली गई है उसमें हमारा हिस्सा क्यों नहीं हो सकता; अगर माननीय सदस्य को मालूम है कि राजस्थान को रेल्वे से कितनी आमदनी होरही थी। केन्द्रीय सरकार ने हमसे करीब डेढ़ करोड़ रुपये की इन्कम हमारे रेल्वे से ली है। राजस्थान में सब से बड़ी रेल्वे लाइन बीकानेर की थी; दूसरा नम्बर जोधपुर रेल्वे का था। पाकिस्तान में बनने से पूर्व जोधपुर रेल्वे सब से बड़ी थी। उदयपुर और जयपुर की रेल्वे से राजस्थान को करीब दो दो, लाख रुपये की आमदनी होती थी। नट इन्कम जो सेन्टर ले ली है वह करीब डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं कही जा सकती। इसके अलावा भी माननीय मित्र को मालूम होना चाहिये कि चार पांच करोड़ रुपये की बचत राजस्था सरकार को होगई क्योंकि फौजों का खर्च भार केन्द्र ने ले लिया। हम फिर किस तरह से सेन्टर से रेल्वे की आमदनी का हिस्सा मांग सकते हैं? यह एक भ्रम मात्र है कि राजस्थान से रेल्वे की आमदनी लेने पर राज्य की इन्कम में नुकसान हुआ।

[जसवन्तसिंह]

तीसरी बात, जैसा कि कल मैंने बतलाया था सबसे ज्यादा खर्चा हमारे माननीय मन्त्रियों की मोटर कार पर होता है। मैं इस बारे में चेलेंज स्वीकार कर सकता हूं कि भारत के केन्द्रीय मंत्रियों पर या अन्य प्रान्तों के मंत्रियों की मोटर कारों पर इतना खर्च नहीं होता है जितना कि हमारे प्रान्त के मंत्रियों की मोटर कारों पर खर्च होता है। कहीं पर २५०) रुपया या २००) रुपया दिया जाता है। अगर यह प्रश्न एस्टिमेटस कमेटी के सामने लाया जाय, जिसमें हमारे पक्ष के भी आदमी हों, तो मैं यह चेलेंज के साथ कह सकता हूं कि हजार-हजार रुपये मोटर कार पर खर्च होते हैं। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ मंत्रियों के द्वारा इतना खर्च किया है। मेरा यह निवेदन है कि यह हालत पैदा करने की जिम्मेदारी किस पर है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि यह सब जिम्मेदारी आपकी है।

श्री भवानीसहाय—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जब मंत्रि-मंडल में थे उस वक्त में और आज के वक्त में फर्क क्यों किया जाता है; इसका जवाब आप देंगे।

श्री जसवन्तसिंह—मैं इसका भी जवाब देने के लिए तैयार हूं। अगर चाहें तो इसका बहुत सुन्दर उत्तर दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—No necessity.

श्री जसवन्तसिंह—श्रीमन् राजप्रमुख ने हमें यह भी उपदेश दिया कि दलबन्दी के दलदल से हमें ऊंचा उठना चाहिये। जहां तक विरोधी दल का संबन्ध है इस पक्ष के लोग इस सहृदयतापूर्ण बात को खुशी से मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब एस्टिमेट्स कमेटी मुकर्रर करदी जाय और उसमें हमारा प्रतिनिधित्व होगा और अगर आयन्दा साल के बजट बनाने में हमारी सलाह ली जायगी तो बड़ी खुशी के साथ यह जिम्मेवारी हम लेने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार यह उम्मीद करे कि हम मनचाहे एशो-आराम करें, जनता के पैसे का दुरुपयोग करें और हम लोग उसका विरोध न करें; हमें अफसोस है कि हम ऐसी बात को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे।

दूसरी बात, जैसा कि मैंने कल अपने भाषण में निवेदन किया था जिसमें पालीवालजी को बधाई दी थी कि कानून और व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, वे बधाई के पात्र हैं; मगर अब भी बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इस सिलसिले में माननीय जोशीजी ने फरमाया था कि अब राजस्थान डाकुओं का घर नहीं रहा। मैंने उनसे निवेदन किया है कि वे हमारे इलाके में पधारने की कृपा करें और वहां पर देखें तो उनको मालूम होगा कि उनके ख्याल इस विषय में दुरुस्त हैं या और कुछ। आज भी हमारा इलाका डाकुओं का जबर्दस्त घर है, वहां पर हिफाजत के बगैर मामूली आदमी का रहना भी मुश्किल होगया है। साथ ही साथ संकेत की तौर पर माननीय सदस्य ने फरमाया था कि कुछ अप्रिय कदम लेने की वजह से राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और आयन्दा भी यदि जरुरत होगी तो इसके लिए सख्त कदम उठाया जाएगा। इसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहता। कल मैंने विस्तार से इस पर काफी रोशनी डाल दी है। मैं इतना तो अवश्य निवेदन करूंगा कि सरकार यह समझती

[जसवन्तसिंह]

होगी कि विरोधी पक्ष वालों के बरखिलाफ जो सख्त कदम उठाया गया है उससे शान्ति होगयी है ; यह उनको कभी विचार नहीं करना चाहिये। हमको इस विषय में उतनी ही खुशी है जितनी कि राजस्थान की अन्य जनता व अन्य व्यक्तियों को। हमारे वर्तमान उपमुख्य मंत्री व भूतपूर्व मुख्य मंत्री को हम आश्वासन दे चुके हैं, इस हाउस में कई बार कि हम प्रान्त को शान्ति व सुरक्षा कायम रखने में पूरा सहयोग देंगे इस सिलसिले में हमारी जो सशस्त्र कॉन्स्टेबुलरी है उसके विषय में श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में इनके प्रशंसनीय कार्य की प्रशंसा करके संतोष प्रकट किया। हम इस बात में भी उनके इन विचारों से सहमत हैं। आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी बहुत कुछ काम कर रही है। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से, हमें दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ है। उन लोगों की परिस्थितियों पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री टीकाराम पालीवाल–आपकी इस तरह की बातों से उनमें डिस-सेटिस्फेक्शन फैल सकता है।

श्री जसवन्तसिंह–अगर सच्ची बात कहने से असन्तोष फैल सकता है तो जरूर फैलना चाहिये। तो मैं कहता हूं कि जितना जल्दी हो डिस्सेटिस्फेक्शन (असन्तोष) फैले और सरकार को चेतावनी मिले। उनकी सेवाओं के साथ दुर्व्यवहार है तो असन्तोष जरूर फैलना चाहिए। अगर हमारी सरकार की यह मन्शा है कि वह कुछ नहीं करे और हमारे जो जवान हैं, जिनको कि वह मौत के मुंह में भेजती है, भेजती चली जाय। तो अगर इससे डिस्सेटिस्फेक्शन (असंतोष) फैलेगा तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। हमारे सामने हमारी राजस्थान की जनता का हित ज्यादा है, मगर हमारी सरकार उनका हित नहीं करके उनको मौत के मुंह में भेजना चाहती है। हमारे सिपाहियों का २५), ५०) या ७५) रु० देकर मौत के मुंह में भेजे और उनके लिए कुछ नहीं करे तो हम सरकार के साथ कभी भी सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।

इसके साथ साथ जैसा कि मैंने बतलाया था कि करीब २०–२० या १५–१५ मील उनको सामान, आटा और खाने पीने की वस्तुओं को पैदल लाना पड़ता है। पानी के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकार केवल इतना सा देकर उन बहादुर सिपाहियों को मौत के मुंह में जाकर डकैतों का सामना करने के लिए कहती है, और अगर वे डकैतों का सामना करते हैं तो क्या सरकार उनके लिए कुछ करती है ? कल मैंने चिमन सिंह के लिए कहा था। लेकिन उसका सही नाम चांदसिंह है। वह आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी पुलिस का सब-इन्सपेक्टर है। वह डाकुओं, नामी डाकू जगमालसिंह को जानता भी था......

श्री अध्यक्ष– You should keep in view the time also.

श्री जसवन्तसिंह–The mover of the resolution took an hour and I, the main speaker in Opposition, should at least be given equal time.

श्री अध्यक्ष–He took only 40 minutes. It is noted by the Deputy Speaker.

श्री जसवन्तसिंह–I have plenty to say. Thank you.

विरोधी दल की ओर से एक सदस्य–I will cut down from my speach as many words as are necessary................

श्री जसवन्तसिंह–तो मैं ....

श्री कुम्भाराम–अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नम्बर बोलने का है। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता था। मैं बहुत देर से इस इन्तजार में था कि माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें तो मैं बोलूं, लेकिन बहुत इन्तजार करने के बाद भी ऐसा महसूस हुआ कि वह भाषण शायद समाप्त होगा ही नहीं। इस लिये बीच में बोलने की धृष्टता करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–(श्री कुम्भाराम को संकेत करते हुए) Order, Order! you will have your own turn.

श्री जसवन्तसिंह–(अपना भाषण जारी रखते हुए) मैं उनके लिये यह कह रहा था कि उसको जानकारी थी और उसके लिए वह भेजा गया और उसे कहा गया कि तुम खुफिया तौर पर अन्दर मिक्स करो। उनके साथ दो-चार आदमी रख दिये गये। उनको इस तरह से भेजा गया जैसे कि किसी बीन्द (दूल्हा) को ससुराल भेजा गया हो। उसका नतीजा यह निकला कि वह बेचारा जो कि अपने देश के लिए ऐसा कठिन काम कर रहा था, पकड़ा गया। डाकुओं ने, उसके पास जो १–२ सिपाही या १–२ गांव वाले भेजे गये थे, मार दिया। आज वह डाकुओं के हाथ में मौजूद है। आज वे डाकू कह रहे हैं कि १५ हजार रुपये उन्हें दो तो उन्हें मुक्त कर सकते हैं। टाइम लिमिट भी दे दिया है। मैं नहीं कह सकता हूं कि सरकार रेन्सम (ransom) के तौर पर रुपया देने को तैयार है या नहीं? आप अगर उनके बालबच्चों की हालत को देखेंगे तो आपसे देखा नहीं जाएगा। ऐसी हालत में किस दिल से दूसरे सिपाही डाकुओं का सामना करेंगे। यह जरूर खुशी की बात है कि सरकार सहृदयता के साथ उनके स्त्री और बच्चों को वह तनख्वाह जारी रखे हुए है। मगर यह कितने समय तक जारी रहेगी। मियाद खतम हो जायगी तो मुमकिन है कि वह मार दिया जायगा। यह एक इन्स्टान्स है। इस तरह का बर्ताव हमारी सरकार द्वारा जो अपनी सेवाओं के साथ किया जाता है तो किस दिल से वे डाकुओं का सामना करेंगे।

अब मैं अन्य विषयों पर ३, ४ मिनट कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–You should cut down your speech because you have taken ample time.

श्री जसवन्तसिंह–मैं कुछ बातों को छोड़ दूंगा।

(विराम)

अब मैं पंचवर्षीय योजना के मुतालिल्के कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। हमें हमारे श्रीमन् राजप्रमुख द्वारा यह बताया गया है कि हम बड़े भाग्यवान हैं, राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। अगर सरकार यह इसी से मान लेती है कि भूखे आदमी को दो एक टुकड़े फेंक दिये जाय और वह खुश हो जाय और अपने आप को भाग्यशाली समझे तो फिर यह ठीक हो

(श्री जसवंत सिंह)

सकता है। राजस्थान के साथ भारत सरकार ने कितना बुरा व्यवहार किया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने उसके लिए क्या एतराज किया है, और क्या आन्दोलन किया है, और क्या उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया है ? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राजस्थान का कौन सा दोष है। आप देखिये कि प्लानिंग स्कीमों के अन्दर राजस्थान सरकार या राजस्थान प्रान्त को, जो सिवाय मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा इलाका है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल एक लाख २८ हजार स्क्वायर माइल्स का है, और एक करोड़ ५३ लाख जनता रहती है १६ करोड़ रुपया किया गया है। इस प्रकार पर माइल १३००) रु० दिया गया है। फी आदमी, मुमकिन है कि हमारे मंत्री महोदय यह भी कहें कि एरिया से कोई मतलब नहीं है, ११) रुपये हमें प्लानिंग के लिए फाइव इयर प्लान में दिये गये हैं। जिसके बर खिलाफ सदन के माननीय सदस्यों को सुनकर ताज्जुब होगा कि ५४) रु० फी आदमी कच्छ में दिये गये हैं, ४६) रु० फी आदमी हिमांचल प्रदेश में दिये गये हैं, ४९) रु० फी आदमी सौराष्ट्र में दिये गये हैं, २३) रु० फी आदमी पेप्सू में दिये गये हैं और ४०) रु० फी आदमी सबसे धनाढ्य रियासत मैसूर को दिये गये हैं। दूसरी ए क्लास स्टेट्स, बम्बई, उत्तर प्रदेश आदि इतनी बड़ी बड़ी जो धनाढ्य रियासतें हैं उनको भी २०) और २३) रु० फी आदमी दिये गये हैं किन्तु भारत सरकार ने हमको, राजस्थान सरकार को, राजस्थान के भुखमरे आदमियों की सहायता और हित के लिये बड़ी कृपा करके ११) रु० फी आदमी दिये हैं। इसके लिए राजप्रमुख साहब ने अपने भाषण में बड़ी प्रसन्नता प्रकट की है कि "यह हमारा सौभाग्य है"। यह हमारी सरकार का सौभाग्य हो सकता है, मगर जनता के प्रतिनिधि के रूप में मैं कह सकता हूं कि इस राजस्थान की अभागी जनता के लिए इस फाइव इयर प्लान में क्या हिस्सा हमारे राजस्थान प्रान्त को दिया गया है ? अगर आप क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भी राजस्थान को सबसे कम फी माइल के हिसाब से दिया गया है। फी आदमी के हिसाब से सबसे कम दिया गया है, तो फिर किस दिल से राजस्थान की जनता इस फाइव इयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में दिलचस्पी ले। अगर दिलचस्पी दिखाई जाती है तो इतनी है कि चूंकि हमें सबसे कम मिला है और शायद मिनिस्टर साहब यह कहें कि यह हमारा त्याग है तो मैं यह कहूंगा कि भूखे आदमियों के लिए त्याग कोई महत्व नहीं रखता है। राजस्थान राज्य एक पिछड़ा हुआ देश है। उसमें बहुत कुछ तरक्की करने की जरूरत है। दूसरे "ए" क्लास के जो प्रान्त हैं उनमें इतनी ग्रान्ट की आवश्यकता नहीं मालूम होती है जितनी कि राजस्थान के रेगिस्तानी और दूसरे इलाकों में है।

अब चूंकि समय बहुत कम है इसलिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूं। हमें राजस्थान के रेगिस्तान को आगे फैलने से बचाना है। श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में कहा है कि सरकार, राजस्थान के रेगिस्तान को आगे और फैलने से रोकने की आवश्यकता के प्रति जागरूक है और आपने फरमाया है कि जोधपुर और बीकानेर के डिविजनों के रेगिस्तान के सूखे और रूखे भागों को हरे भरे जंगलों से ढंक दिया जायगा। अगर यह कागजों में जो लिखा है उससे हम संतुष्ट हो जायं तो हम संतुष्ट हो गये, लेकिन हमारी सरकार की ओर से इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? मैं बीकानेर से जानकारी रखता हूं। वहां के बारे में दो चार शब्द कहता हूं।

आप जानते होंगे कि हमारे बीकानेर में वृक्षों को कायम रखने के लिये लोग किस प्रकार से प्रयत्न करते थे। जिस प्रकार बच्चों का पोषण किया जाता था उसी प्रकार वृक्षों का भी वहां पोषण किया जाता

(श्री जसवंत सिंह)

था। वहां के लोग बच्चों, मवेशियों को पानी पिलाये बगैर रह जाते हैं मगर वृक्षों को पानी पिलाये बगैर नहीं रहते; जिससे वे और उनके जानवर उन वृक्षों की छाया में बैठ सके। इसके अलावा हमारे बीकानेर में यह कानून था कि अगर कोई हरे वृक्ष को काट लेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। यहां तक कि वृक्षों को काटने में लोगों को ७ साल से १० साल तक की सजा दी गई। इतने प्रयत्न किये जाते थे तब कहीं जाकर हमारे यहां वृक्ष देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारी राजस्थान सरकार बनने के बाद हम देखते हैं कि जिन वृक्षों का वहां के लोगों ने अपने बच्चों की तरह पोषण किया उनको वे ही लोग अपनी आखों के सामने बड़ी निर्दयता से काटे जाते देख रहे हैं और उधर हमारी सरकार और केन्द्रीय सरकार यह कहती है कि हम रेगिस्तान को रोकने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं! मेरे पास एक फोटोग्राफ थी जिसको मैं बाद में आपके सामने पेश करूंगा क्योंकि अभी जल्दी में मैं उसको भूल गया हूं, जिसमें एक टाल का फोटो है। आप देखेंगे कि टाल रखने वाले ने अपनी टाल में बड़े बड़े खेजड़ी के पेड़ों को काट कर सुखाये हैं। बीकानेर में कमिश्नर, कलक्टर, डी. आई. जी. पी. आदि के हेड क्वार्टर्स हैं। फिर भी उनकी आखों के सामने उस टाल में बड़े बड़े पेड़ खेजड़ी के काट कर सुखाये हुए हैं। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. इसका कारण यह है कि टाल वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वह टालवाला मामूली आदमी होता तो फौरन उसको सजा मिल जाती। मगर वह टालवाला कांग्रेस का एक नेता है और आप जान सकते हैं कि अभी उसके खिलाफ कौन एक्शन ले और कौन लेने की हिम्मत कर सकता है। मगर आज उसकी जगह आज मैं होता या और कोई दूसरा व्यक्ति होता तो जरूर एक्शन लिया जाता। जब लोग इस प्रकार से करते हैं और हमारी सरकार उनको सजा नहीं देती और हमें यह उपदेश दिया जाता है कि हमारी सरकार इसके लिये बहुत बड़ा कदम उठाती है, तो मैं यह कहूंगा कि उनके सिर्फ यह कहने से हमको कोई संतोष नहीं होता, और हो भी कैसे सकता है। हम अपनी आंखों के सामने बच्चों की तरह से पाले हुए वृक्षों को निर्दयता से काटे जाते देखते हैं। इसके अलावा मैं आपसे यह अर्ज करूं कि हमारे यहां धार्मिक ख्यालों से भी वृक्षों की रक्षा की जाती है। मंदिरों के चारों ओर एक-एक मील तक वृक्षों को काटना पाप समझा जाता था और इसको देवताओं का औरन कह कर पुकारते थे और अगर कोई व्यक्ति वृक्ष काट डालते थे तो उनको सजा दी जाती थी, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों न हो और उसको मंदिर में दंड डालना पड़ता था। एक मंदिर से मैं भी ताल्लुक रखता हूं, जहां औरन है। हमसे वृक्ष काटने के संबन्ध में कलक्टर से शिकायत की और कलक्टर ने तहसीलदार को हिदायत की। तहसीलदार की क्या हिम्मत कि वह कांग्रेस वर्कर से झगड़ा करे। इसलिये मुझे संक्षेप में यह कहना है कि रेगिस्तान को रोकने की जो नीति है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं।

बिजलीघर के लिए बहुत कुछ श्रीमन् राजप्रमुखके भाषण में कहा गया है। इस सिलसिले में माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि वास्तव में बहुत कुछ काम हुआ है और इस कारण पानी का भी प्रबन्ध हुआ है।

श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में चिकित्सा संबन्धी सहायता तथा जन-स्वास्थ्य संबन्धी सुख-सुविधाओं के बारे में कहा है और यह भी कहा है कि शिक्षा-क्षेत्र में सरकार ने एक प्रगतिशील नीति का अनुसरण किया। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो बातें कही गई हैं वे सब नाम मात्र की तारीफ

(श्री जसवंत सिंह)
की हैं और मैं यह कहूंगा कि जो शिक्षा पहले रियासतों में दी जाती थी उसके मुकाबले में आज कल की शिक्षा कुछ नहीं है। इसलिये हमें इससे बिल्कुल संतोष नहीं है।

अब चूंकि समय कम रह गया है इसलिये अन्त में आबू पर कुछ कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। आबू के सवाल पर इस सदन में हम सबने एक मत होकर प्रस्ताव पास किया था और हमारे माननीय राजप्रमुख नें अपने भाषण में यह फरमाया था कि इस विषय पर सरकार बहुत कुछ कर रही है। इस संबन्ध में एक स्पेशल कमेटी बना दी गई थी। आज सवालों के वक्त हमें इस कमेटी के बारे में मालुम हुआ और चीफ मिनिस्टर ने यह जिक्र किया कि एक डेलिगेशन डा० काटजू, रियासती मंत्री, के पास गया।

हमें इस पक्ष की तरफ से, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार इस विषय में कदम उठा रही है उसे देखते हुए तो हमारी तरफ से कम से कम यह उम्मीद हो गई है कि आबू हमारे पास अब नहीं आवेगा, जहां तक कि माननीय रियासती मंत्री के साथ मेरी बातचीत हुई, जो बातचीत हुई वह प्राइवेट थी और उसका उल्लेख मैं यहां पर नहीं करूंगा। जहां तक मैं अपनी सरकार के दिमाग को समझ पाया हूं यह कह सकता हूं कि आबू हमारे पास नहीं आवेगा। यह मामला एक विद्वानों की कमेटी के सुपुर्द किया गया है जो इन सब बातों को जानते हैं कि कब से आबू किसके पास रहा है।

यह आबू का प्रश्न एक राइट (अधिकार) का प्रश्न नहीं है। यह एक राजनैतिक प्रश्न है। आप देखेंगे कि हमारे मुकाबले में बंबई सरकार आबू को प्राप्त करने के लिये बहुत प्रयत्न कर रही है और किस प्रकार कदम उठा रही है, हालांकि वहां के चीफ मिनिस्टर एक नामी गांधीवादी हैं; मगर अपने राजनैतिक ध्येय की पूर्ति के लिये हर प्रकार के कदम उठा रहे हैं, आबू की जनता को तरह तरह से तंग कर रहे हैं, वहां के लोगों को धमकाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रस्ताव पेश करवाते हैं और केन्द्रीय सरकार पर भी जितना वजन डलवाया जा सकता है, डालते हैं। यह एक राजनैतिक सवाल है। जिधर केन्द्रीय सरकार को फायदा नजर आयगा उधर ही तय कर दिया जायगा। हमको इसके लिये न्यायालय में जाने का हक है। मगर चूंकि यह एक राजनैतिक प्रश्न है, हमने एकमत होकर इस विधान सभा में प्रस्ताव पास कर दिया और सरकार ने उसको केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट पर ही सफलता मिलना काफी समझें। हम यह कहें कि हम तो गांधीवादी हैं, लड़ना नहीं चाहते; यदि कोई हमारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी सामने कर देंगे; ऐसा नहीं होना चाहिये। हमें इस मामले पर हरकिस्म का कदम उठाना पड़ेगा। इसके लिये हमें सेन्टर से बहुत कुछ झगड़ना पड़ेगा, उसको धमकी देनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल के जमाने में शान्ति से बैठ कर अपने हकों को पाने की कोई आशा करता है तो वह निराश होता है। अभी आंध्र प्रान्त बनाने के लिये भी कितना झगड़ा करना पड़ा। बहुत कुछ कोशिश करने पर भी नहीं बना; लेकिन एक त्यागी ने अपनी जान लड़ादी तो सरकार को घुटने के तल आना पड़ा और आंध्र प्रान्त का निर्माण फौरन मंजूर करना पड़ा। आज मद्रास के लिये कुछ सत्ता-धारी यह धमकियें देते हैं कि खून की नदियें बह जायगी। हम लोगों को तो प्रतिक्रियावादी समझते थे। अब आप समझते हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता। हम जानते हैं कि हमारे सामने बैठे हुए लोग बहुत त्यागी हैं और हम आशा करते हैं कि वे त्यागी लोग फिर

(श्री जसवंत सिंह)

मैदान में आवेंगे और केन्द्रीय सरकार को दिखाएंगे कि आबू हमारा है और हमको मिलना चाहिये। लेकिन एक कमेटी बना कर और प्रस्ताव पास करके यह आशा रखना कि आबू हमको मिल जायगा ; यह ठीक नहीं है और हमारा बेली परमात्मा ही है। हम तो यह सोचते हैं कि बंबई सरकार के साथ साम, दाम, दंड, भेद सभी से काम लें; जिस प्रकार बंबई सरकार ले रही है। आबू को प्राप्त करने में जो सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है वह बहुत ही हल्का कदम उठाया गया है और हम सरकार के इस उठाये गये कदम को बिल्कुल ही संतोषप्रद नहीं मानते और हमें उनकी बातों से कतई संतोष नहीं होता।

श्री गोपीलाल यादव–माननीय अध्यक्ष, मैं धन्यवाद के प्रश्न के प्रस्ताव पर अपना एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। मैं यह मान कर चलता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख हमारी स्टेट के हैड हैं और जब वे यहां पर अपना एड्रेस देने आयें तो हमको उसके लिये धन्यवाद देना ही ठीक है, लेकिन उनका भाषण एक ऐसा भाषण माना जाता है जो गवर्नमेंट के एचीवमेंट से संबन्ध रखता है, भविष्य में आनेवाले लेजिस्लेशन से संबन्ध रखता है और इस धन्यवाद के प्रस्ताव को ज्यों का त्यों पास करने का मतलब यह है कि हमने उन सब बातों को जो कि राजप्रमुख ने कही हैं ज्यों का त्यों मान लिया है। इसलिये मैं एक संशोधन इसमें पेश करता हूं और उम्मीद करके चलता हूं कि हाउस के नेता इस संशोधन को अवश्य मानेंगे ; क्योंकि इससे अधिक रीजनेबिल और कोई चीज नहीं हो सकती। वह संशोधन यह है कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द और जोड दिये जावें :

"But respectfully beg to point out that the advice given by the Raj Pramukh to the House about the successful working of democracy is the very anti-thesis of real democracy; and that he has omitted to advise the majority party to have the greatest regard for the feelings and views of the minority, and that he has faild to make use of the opposition and other sources available to him to make sure that whatever material was placed before him by the Government for his address to the Assembly is the whole truth."

माननीय अध्यक्ष, मेरे एमेण्डमेण्ट में सबसे पहली चीज श्रीमन् राजप्रमुख के सबसे आखिरी पेरा के संबन्ध में है। उन्होंने इस पेरा में प्रजातन्त्र को सक्सेसफुल्ली चलाने के लिये बड़े उपदेश देने का प्रयत्न किया है। लेकिन इस पेरा पर गौर फरमाइये—

"It is all right to hold different views on common problems but for the successful working of democracy it is necessary that such differences are resolved by acceptance of majority decisions, for the real basis of democracy is the willing co-operation of the people in the enforcement of laws passed by the majority."

हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र अभी अभी आया है। प्रजातन्त्र किस तरह चले, इसके संबन्ध में जानना चाहें तो हमें अमेरिका और इंग्लेंड से सीखना चाहिये। इंग्लैंड के प्रधान

(श्री गोपीलाल यादव)

मन्त्री एटली अभी अभी भारत पधारे थे और उन्होंने प्रजातन्त्र किस प्रकार कामयाबी से चलता है इस संबन्ध में अनुभव बताये। वह चीज ऐसी है जो श्रीमन् राजप्रमुख ने जो कहा उस से उल्टी है। श्रीमन् राजप्रमुख कहते हैं कि मेजोरिटी डिसिजन को स्वीकार करके अपने मतभेदों को दूर करें, माइनोरिटी मेजोरिटी के सामने सिर झुकादे। प्रजातन्त्र को कामयाबी से चलाने का तरीका किसी भी देश में ऐसा नहीं है। अगर मेजोरिटी के सामने ही सिर झुकाना है तो फिर डिफरेंसेज को रिजोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। मेजोरिटी जो कानून बनायगी उसको माइनोरिटी को मन्जूर करना ही होगा। यों ही मेजोरिटी के पास पुलिस है, कानून है और फौज है। वह अपने डंडे के जोर पर उसको चला सकती है। इसलिये ऐसा उपदेश देने की बजाय यह उपदेश देना चाहिये था कि मेजोरिटी की ड्यूटी है कि वह माइनोरिटी की हर बात का खयाल रखे, माइनोरिटी के फीलिंग्स का, खयालात का, गिव एन्ड टेक का, खयाल रखते हुए राज्य को चलायें।

जो यह मेजोरिटी है यह तो एक धोखा है। राजस्थान की जनसंख्या डेढ़ करोड़ है, उसमें से ७५ लाख वोटर्स हैं, उनमें से १३ लाख वोट कांग्रेस के सदस्यों को मिले हैं, तो क्या १३ लाख के नुमायन्दे मेजोरिटी के नुमाइन्दे हो सकते हैं ? कभी नहीं। वह भी १३ लाख के नुमाइन्दे ८० हैं उनमें से हुकूमत करते हैं सिर्फ ८ ही। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बाकी लोगों की राय की कद्र नहीं की जाती।

(श्री उपाध्यक्ष ११ बजे पदासीन)

८ लोगों की मर्जी के मुताबिक ८० आदमियों को दबाया गया है और कहा गया है कि डिसिप्लिन यही कहता है कि हमारी बात मानो। ८० को दबा दिया जाता है और बाकी को कहा जाता है कि मेजोरिटी डिसिजन होगया है, इसको मानो। यह डेमोक्रेसी नहीं। मैं मेरे मित्रों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि मिस्टर एटली ने कहा है कि बगैर अपोजीशन के डेमोक्रेसी का हमारा शासन चल ही नहीं सकता, क्यों कि अपोजीशन प्रजातन्त्र का जरुरी अंग है, मेजोरिटी को हर काम माइनोरिटी की सलाह से चलाना चाहिये। यदि ऐसा होता है तो, मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हम मेजोरिटी को हर चीज में सहयोग देने को तैयार हैं।

आप देखिये फाइनेन्स की ओर। फाइनेन्स के सवाल पर श्री राजप्रमुख ने कहा कि दलबन्दी से ऊपर उठ जाना चाहिये। यह भी वह चीज है जिसको मैं आखिर में साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं। इस भाषण में मुझे जो चीज नजर आई वह सिर्फ एक ही है कि आप लोग गवर्नमेन्ट की गलतियों को मत बताओ, गवर्नमेंट को फिजूलखर्ची करके रुपया बरबाद करने दो और किसानों का जो कुछ खून और हड्डियां बाकी रह गई हैं उनको भी निचोड़ लेने दो; मेजोरिटी के सामने सर झुकादो। That is the whole sum and substance of this Address. इस चीज के सिवाय इस ऐड्रस में कोई चीज नहीं है। श्रीमन् राजप्रमुख ने बार बार यह कहा है कि दलबंदी से ऊपर उठो और मेजोरिटी के डिसिजन को मानो। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार जो मनमानी करे उसको हम मानें। अभी एक बिल एग्रीकल्चरल इन्कमटेक्स बिल के नाम से

(श्री गोपीलाल यादव)

आयगा, जिससे किसानों पर टेक्स लगेगा। किसान इस तरफ भी हैं और किसान हाउस के उस तरफ भी बैठे हैं। यदि ये सभी किसान एक हो जाते हैं तो राजस्थान के किसानों का हित हो सकता है, पर उधर के किसानों को डिसिप्लिन के नाम पर रोक दिया जायगा और इधर के किसानों को तो दलबन्दी से ऊपर उठने की बात कह ही दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको फाइनेन्शियल पोजिशन को देखना है। राजप्रमुख महोदय ने भी यही कहा था। मेरे एक मित्र ने बतलाया था कि यह राजनैतिक दूरदर्शिता को चेलेन्ज है। लेकिन जब तक आप हमको साथ नहीं लेते तब तक यह चेलेन्ज कैसे हो सकता है; उधर के लोगों ने जो बजट बनाया है तो इधर के लोगों की सलाह तक भी नहीं ली गई; जब आप बजट पेश करेंगे तब कहेंगे कि अब तो हमने बजट बना लिया है इसलिये अब तो हम उसमें से एक कोमा भी नहीं बदलेंगे; लेकिन खर्च करते समय इस बात का ख्याल रखेंगे। यह हमारा पिछला तजुर्बा है। ये कहते हैं कि इस समय हम कुछ चेन्ज नहीं करेंगे; क्योंकि हमारे प्रेस्टिज का सवाल है। इस पर भी हमें कहते हैं कि आप दलबंदी से ऊपर उठिये और हमारी योग्यता के लिये चेलेन्ज देते हैं; यह कैसे हो सकता है? आज सारे राजस्थान के रुपयों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी बात बतलाना चाहता हूं। बाकी बातें बजट के समय बतलाई जायेंगी। एक जागीर डिपार्टमेन्ट खोला गया है। जागीर रिजम्प्शन के लिये हाई कोर्ट से स्टे आर्डर (Stay Order) हो गया है। इसलिये इस डिपार्टमेन्ट में और कोई काम नहीं है सिवाय फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठे करने के। इसके लिये २२ एसिस्टेन्ट कलेक्टर राजस्थान के जिलों में मुकर्रर किये गये हैं जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। छः महीनों से कुछ भी काम उनके पास नहीं है और तनखा बराबर उठ रही है। पटवारी फिगर्स इकट्ठ करते हैं और ये लोग उनको हैड ओफिस में भेज देते हैं। यह काम तहसीलदार, एस. डी.ओ. कलेक्टर या कमिश्नर भी कर सकते थे, लेकिन इन २२ अफसरों को व्यर्थ में लगाया गया। इसी तरह हाल ही में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों का सिलेक्शन हुआ था और उसी के आधार पर उनमें से ९० प्रतिशत लोगों का तबादला किया गया। इन तबादलों में जो डी. ए. और टी. ए. पर रुपया खर्च हुआ है उसका पता जिस समय हाउस के सामने क्वेश्चन के रूप में आयगा तब लगेगा कि किस तरह से व्यर्थ में रुपया बर्बाद किया जाता है। इसी तरह से आर. ए. एस. में आये हुए योग्य आदमी तो बगैर किसी काम के तनखा ले रहे हैं और उनके स्थान पर नोन आर. ए. एस. तहसीलदार आदि लोगों को ओफिशियेट करने के लिये लगा दिया जाता है और उनको ओफिशियेटिंग तनखा मिलती है। एक आदमी जो होशियार है कई वर्षों तक यहां पर काम कर चुका है उसे तो समय से पहले ही रिटायर कर दिया जाता है और उसके स्थान पर बाहर से हजार रुपया मासिक वेतन वाला या ५००) रु० मासिक वेतन वाला नया आदमी लाया जाता है। इस समय राजस्थान में सैकडों तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, न उनके पास रेवेन्यू के पावर्स हैं, न क्रिमिनल के पावर्स हैं और न सिविल के पावर्स हैं। उनके पास सिर्फ एक काम है म्युटेशन करने का। गिरदावर लोग मौके पर जाकर खसरा तैयार कर लेते हैं फिर नायब तहसीलदार दोनों फसलों के समय एक एक महीना या दो दो महीने तक दौरा कर लेते हैं। राजस्थान में एक सौ के करीब ऐसी तहसीलें हैं जिनके नायब तहसीलदार बेकार बैठे हैं और तनखा पाते हैं। उनके पास जो क्रिमिनल का काम था वह सब मैजिस्ट्रेटों को दे दिया

(श्री गोपीलाल यादव)

गया। वास्तव में एक पलटन सी, एक्स्ट्रा मेजिस्ट्रस, सिटी मेजिस्ट्रेट आदि की खड़ी कर दी गई। तहसीलदार का सारा काम एस. डी. ओ. और इन एकस्ट्रा मेजिस्ट्रेटों में बांट दिया गया और उनकी तादाद बढा दी गई और ये लोग तहसीलदारों से ज्यादा तनखा पाते हैं। इस तरह की फिजूलखर्ची बढ रही है मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपोजीशन के लोगों से मिलकर कोई काम करना नहीं चाहते और न आप के पास बजट को बेलेन्स करने के लिये स्टेन्डिग कमेटी है तो हमारी यह योग्यता, अयोग्यता का कारण कैसे हो सकती है। यदि हमारी योग्यता के लिये राजप्रमुख चेलेन्ज देते हैं तो हम उसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं जबकि एक तरफ तो हमसे कहते हैं कि लड़ो मत और दूसरी तरफ आप हमारी बात मानने को और सलाह पूछने को तैयार नहीं हैं। मैं हाउस से निवेदन करना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी का सिद्धान्त यह है कि माइनोरिटी पार्टी को कोन्फिडेन्स में लेकर, उनसे सलाह करने के बाद, बजट बनाया जाता है। यदि आपको उनकी राय पसन्द नहीं है तो मेजोरिटी की ताकत तो आपके पास है ही; लेकिन उनको कोन्फिडेन्स में लेने से आपको फायदा ही होगा।

इसके अलावा मैं आपसे एक दो बातें और कहना चाहता हूं। फूड प्रोब्लम के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि फूड प्रोब्लम क्या है? यह अब तक हमारी गवर्नमेन्ट समझ ही नहीं पाई है। कितने आदमियों की यहां आबादी है और कितना अनाज पैदा होता है और कितना खर्च होता है यही जान लेना वास्तव में फूड प्रोब्लम नहीं है। फूड प्रोब्लम यह है कि जिस तरह से प्रत्येक नागरिक को हवा और पानी मिलना आवश्यक है उसी तरह प्रत्येक नागरिक को भोजन मिलता है या नहीं, यह मालूम करना वास्तव में फूड प्रोब्लम है। लोगों को रोटी कैसे मिले, यह वास्तव में फूड प्रोब्लम है। आप बाहर से अनाज मगा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप कहीं से भी अनाज मंगाएं पर जिनके पास पैसा है वे ही उसे खरीद सकते हैं, बाकी लोगों के लिये आपने क्या किया? जो लोग बेकार बैठे हैं उनके लिये क्या सिलसिला हो सकता है, यह भी आपको सोचना चाहिये। गंगा नहर बीकानेर में मौजूद है। आपको यह देखना है कि क्या गंग नहर से सारे बीकानेर कमिश्नरी के लोगों को सिंचाई के लिये पानी मिल गया है और लोगों की हालत सुधर गई है? चंबल और भाखरा डेमों से नहरें आयेंगी तो क्या उनसे सारे राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी? हो सकता है कि दस साल बाद इतनी पैदावार बढ़ जाय जिससे कि जिसके पास पैसा है वे उसको खरीद सकें। लेकिन हरेक आदमी को रोटी मिल सकेगी, इसकी क्या गारंटी है?

आज राजस्थान में कई समस्याएं हैं। राजस्थान के अन्दर पानी की समस्या है। न भाखरा नांगल बांध से वह समस्या हल होने वाली है और न ही चम्बल पर बिजली का कारखाना लगा देने से हो सकती है। उनसे हमारी पैदावार जरुर बढेगी और वह भी आज नहीं पांच दस साल बाद बढेगी। अगर आज हमारी गवर्नमेन्ट हर साल पांच करोड़ रुपया कुओं पर खर्च कर दे तो किसानों को काफी मदद मिल सकेगी। हर किसान के पास पांच एकड़ जमीन और एक कुआ होना लाजमी है। आप जितनी रकम चाहें उनके कुओं के लिये रख दीजिए। उसमें से एक तिहाई आप उनको लोन के रुप में दे दीजिए और एक तिहाई

Page No.51

(विपक्ष की ओर से एक मंत्री के उपस्थित होने की आवाज)

[श्री हरिदत्त]

आप फ्री ग्रान्ट के रूप में उनको दीजिए और एक तिहाई आप उनको खुद को लगाने के लिए कहिए। हर किसान इससे अपना कुआ बना सकेगा। एक तिहाई रकम जो ग्रान्ट के रूप में आप देते हैं उसे दूसरे साल आप उसकी पैदावार बढ़ जाने से टेक्स के रूप में वसूल कर लेंगे। एक तिहाई रकम जो आप लोन देते हैं वह भी आपकी वसूल ही होजाती है। अगर इस तरह से हर एक किसान जिसके पास पांच एकड़ जमीन होती है और उसका कुआ बन जाता है तो आपकी फूड प्रोब्लेम भी हल होजाती है और किसानों के ऑल राउन्ड डेवलप्मेन्ट का प्रश्न भी हल होजाता है। आज जिस किसान के पास कुआ नहीं है और जिनकी फसलों को समय पर पानी नहीं मिला है और बाजरा वगैरा नहीं हुआ है वे आज भूखों मर रहे हैं। जिनके पास कुए थे उन लोगों ने समय पर फसल को पानी दे दिया और उन्होंने कुछ पैदा किया। तो मेरा यह निवेदन है कि गवर्नमेन्ट इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी बड़ी नदी घाटी योजनाओं से राजस्थान के गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है। लाखों रुपया उन पर लगा कर और देश को गरीब बना कर भी आप उन पर बेजा दबाव डालने को तैयार हो रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सही रास्ते पर आकर राइट प्लानिंग किया जाय। यहां राजस्थान में घाटी योजनाओं की जरुरत नहीं है।

श्री हरिदत्त--ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर, अपोजिशन की ओर से जो भाषण हो रहे हैं वे गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर साहबान के सुनाने के लिये हैं, मगर दुःख है कि भाषण सुनने के लिये कोई भी मिनिस्टर सदन में उपस्थित नहीं है यदि एक मिनिस्टर साहब उपस्थित हैं तो फिर आठ को रखने की क्या जरुरत है? (विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि) हम लोग जो यहां समय दे रहे हैं, वह जनता के फायदे के लिए ही दे रहे हैं। यदि उनका समय बेकार जाने देने के लिए नहीं है तो हमारा समय भी बेकार नहीं जाने देने के लिए है। हम ऑपोजिशन की ओर से अपने भाषणों में सच्चाई की बातें रखना चाहते हैं किन्तु वे उन्हें सुनना नहीं चाहते हैं। मैं माननीय उपाध्यक्षजी से अनुरोध करूंगा कि कल से मिनिस्टर साहबान से खास तौर से प्रार्थना की जाय कि वे राजप्रमुख के अभिभाषण पर जब तक ऑपोजिशन की ओर से उनके भाषण खत्म न होजायं, तब तक उपस्थित रहें।

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष, आप आज्ञा दे सकते हैं। वे इधर उधर ही बैठे हुए हैं। अभी आजावेंगे। उनका इन भाषणों को सुनना बहुत जरूरी है।

मैंने कुछ बातें प्लानिंग पर जो गलतियां हो रही हैं और उसकी वजह से जो रुपया बर्बाद हो रहा है उस सम्बन्ध में कही थीं। एक चीज जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, वह है नेशन बिल्डिंग के सम्बन्ध में। राजप्रमुख महोदय ने अपने अभिभाषण में नेशन बिल्डिंग का जिक्र किया है और उसमें बतलाया गया है कि कुछ सड़कें बनाई जा रही हैं और कुछ स्कूल की इमारतें। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब से राजस्थान बना है स्कूल की इमारतें बनना बिल्कुल बन्द होगया है। हां, कुछ सड़कें

[श्रीगोपीलाल यादव]

जरूर बनी हैं। कल दो तीन बातें बताई गई थीं कि स्ट्रेटेजिक रोड बन रही हैं अथवा इलेक्शन रोड बन रही है। लेकिन वे नेशन बिल्डिग के हिसाब से नहीं। नेशनल बिल्डिग के अलावा एक दूसरी चीज है जिसका कि जिक्र अभिभाषण में राजप्रमुख महोदय द्वारा नहीं किया गया है और वह है करेक्टर बिल्डिग। हमारे भाषण में तमाम बातें आई हैं किन्तु करेक्टर बिल्डिग की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसके न होने से ब्लेक मार्केटिंग चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है और रिश्वत खोरी चल रही है। हमें सबसे अधिक ध्यान, नेशन बिल्डिग, रोड्स और इमारतों पर नहीं देना है किन्तु करेक्टर बिल्डिग की ओर बहुत जोर देना है और उसके बगैर हमारे देश की भलाई नहीं हो सकती। और वह तब ही हो सकती है जब कि गवर्नमेन्ट की बेन्चेज पर उधर बैठे हुए सदस्य सब यह समझ लें कि यह राजस्थान सारा एक कुटुम्ब है और हम पर सारे कुटुम्ब की जिम्मेदारी लदी हुई है। जिस तरह से सारे कुटुम्ब के लोग एक मोहब्बत से काम करते हैं और वह उस कुटुम्ब की भलाई करने के लिए ही करते हैं, तो उसी तरह से हम लोग इस देश के लिए काम करें। हम इस ख्याल से न करें कि ये विरोधी दल में बैठे हैं और हमारी पार्टी के नहीं हैं। इस भावना को छोड कर यह भावना पैदा करें कि जिस तरह से अपने भाई से न तो रिश्वत ली जाती है और न दी जाती है, न वेजिटेबल घी की मिलावट करते हैं और न ही गेहूं के आटे में जौ और ज्वार का आटा मिलाते हैं अर्थात कोई भी बेईमानी अपने भाई के साथ नहीं करते हैं। उसी तरह से आपको अपने देश के निवासियों के साथ नहीं करना है। अतः हमें इस ड्राइव को जोर से चलाना है जो कि गवर्नमेन्ट की ओर से नहीं रखा गया है।

मैं एक दो बातें और निवेदन करना चाहता हूं। मुझे बेकवर्ड कॉम्युनिटीज के बारे में कहना है। बेकवर्ड कॉम्युनिटीज के बारे में श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण में कहा गया है कि इस ओर ध्यान है और फाइनेन्सेज एलाउ नहीं करते हुए भी रुपया खर्च किया जाता है। जहां तक मेरा ध्यान है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, बेकवर्ड अपलिफ्ट पर कोई खास खर्चा नहीं किया जा रहा है। बेकवर्ड कॉम्युनिटी तीन क्लास में है। एक है शिड्युल्ड कास्ट, दूसरी है शिड्युल्ड ट्राइब्स और तीसरी है इनमें से बची हुई बेकवर्ड कम्युनिटी। बेकवर्ड क्लास को हिन्दुस्तान के कान्स्टियूशन में तीन हिस्सों में बांटा गया है। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को अलग निकाल दिया गया है। इन दो के निकाल दिये जाने पर जो बेकवर्ड क्लास रह जाती है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस बारे में मिसअन्डर-स्टेन्डिग होगई है कि यदि हम शिड्यूल्ड कास्ट ले लेते हैं तो ये भी इसमें शामिल होजाते हैं और कह दिया जाता है कि बेकवर्ड कॉम्युनिटीज के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। बेकवर्ड क्लासेज के लिए सर्विसेज का दरवाजा बन्द है। इसमें कोई शक नहीं है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन किया हुआ है और थोड़े से आदमियों को थोड़ी जगह मिल जाती है। किन्तु उस रिजर्वेशन से कोई अधिक लाभ नहीं मिलता। बेकवर्ड क्लास के आदमियों को कोई जगह नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं किया गया है। इन पिछले पांच सालों में बेकवर्ड क्लास के आदमियों को जितना प्रोत्साहन पिछली गवर्न-मेन्ट्स द्वारा मिलता था वह अब नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा बची हुई बेकवर्ड कम्युनिटीज के लिए भी जिस तरह से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स

[गोपीलाल यादव]

के लिए रिजर्वेशन किया गया है उसी तरह से रिजर्वेशन किया जाय और फिर देखा जाय कि बेकवर्ड एरियाज में क्या किया गया है, उनको ऊपर उठाने के लिए । शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं और वह यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से आपने रिजर्वेशन कर दिया है और उसका फायदा केवल १०० या १५० फेमिलीज को जो की ब्राह्मण क्लास से ऊंची पहुंची हुई हैं, उन्हीं को हुआ है। हर क्लास में ऊंचे दर्जे के लोग रहते ही हैं। इस रिजर्वेशन से फायदा उन्हीं लोगों को हुआ है जिनकी माली हालत अच्छी है, जिनका सोशियल स्टेटस अच्छा है; उन्हीं लड़कों को उस रिजर्वेशन में लिया जाता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन को ठीक तरह से किया जाना चाहिये; ताकि जो फेमिलीज वाकई में बेकवर्ड हैं उनको और उनके बच्चों को कुछ फायदा मिले न कि उन लोगों को और उन लड़कों को जिनकी माली हालत अच्छी है; उन्हीं को वजीफे मिले जैसा कि आज हो रहा है।

इसी तरह से बेकवर्ड क्लास के संबन्ध में भी कहना चाहता हूं। देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे बेकवर्ड कह दिया जावे । अगर आप इस नाम से कहेंगे तो जिस जात-पांत को दूर करना चाहते हैं उसे फिर वापस ला रहे हैं और पूरे देश में फिर मुस्लिम लीगी कम्युनलिज्म पैदा कर देंगे। इसलिये आप हरेक एरिया में देखिये कि कौनसा इलाका बेकवर्ड है और कौनसा एडवान्स है । यह देखने के बाद फिर आप ध्यान देंगे तो वास्तव में इस राज्य को ऊंचे स्तर पर ले जावेंगे । इस गलत ढंग से काम चलने का नहीं है ।

इसका जिक्र करते हुए राजप्रमुख ने रिहेबिलिटेशन के संबन्ध में भी और कह दिया कि तरक्की कर रहे हैं ।

इस डिपार्टमेन्ट से और शरणार्थी के महकमे से मेरी खास दिलचस्पी है और रही है; इसलिये मैं बता देना चाहता हूं कि जिसको आप प्रोग्रेस कह रहे हैं वहां ऐसी चीज हो रही है कि दुनियां में आप जिसकी मिसाल नहीं पाएंगे। और वह किस तरह से हो रही है यह भी बता देना चाहता हूं। भरतपुर और अलवर के शरणार्थियों के बारे में बता देता हूं। वहां शरणार्थी उस जमीन पर बसे हुए नहीं हैं जो जाने वालों ने खाली छोड़ी हो। आज शरणार्थी उस जमीन पर बसे हैं जिसके मालिक कहने को तो मेव थे पर लोकल काश्तकार उन पर काश्त करते थे, मेवों से लेकर। इनमें से बहुतों की तो काश्त दर्ज थी और कुछ की नहीं थी । हजारों वर्षों से वे मेव और हिन्दू मिलकर रहते थे और काश्त करते थे पर फिर हुआ क्या ? एक हवा बन गई। पहले मेव हटाये गए, फिर वह जमीन शरणार्थियों को दी गई। अब कानून बन गया बेदखली बन्दी का। अब मेवों को ख्याल हुआ कि बेखदली तो बन्द हो गई। अगर हिन्दू भाई को जमीन दे देते हैं तो उसे फिर बेदखल नहीं कर सकेंगे। दूसरे कुछ मेव ऐसे भी पड़े हैं जिनके पास पहले से ही जमीन नहीं है । इसलिये इनको इनकी जमीन देने के बजाय दूसरों की दे दो । तो नतीजा क्या हुआ कि जितनी जमीन लोकल काश्तकार की थी उसे सरकार ने छीनना शुरु कर दिया और जहां पर शरणार्थी बसा दिये गये थे उनके बदले में लोकल काश्तकारों की जमीन छीन ली और आज बीसियों हजारों की

[श्री गोपीलाल यादव]

तादाद में लोकल काश्तकार, जो हजारों सालों से उस इलाके में काश्त कर रहे थे उनके पास कोई जमीन नहीं है । आप उनकी हालत का अन्दाज लगाएं ; वे इस तरह से डिसप्लेस्ड परसन्स बनाये जा रहे है जैसे पाकिस्तान से आये हमारे अन्य भाई । यह जो तरक्की की बात कही जा रही है वह वास्तव में है नहीं । में छोटी सी चीज बताऊं कि (श्री अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी और इस पर वक्ता महोदय ने कहा) कि अध्यक्ष महोदय, में एक चीज अर्ज करना चाहता हूं कि में अमेन्डमेन्ट पर बोल रहा हूं और अमेन्डमेन्ट एक ही है । अतः चीफ स्पीकर की तरह टाइम मिलना चाहिये । एक भी चीज दोहराई नहीं गई है, इसलिये वही चीजें आपको बताना चाहता हूं जिससे कि ट्रेजरी बैंचेज और गवर्नमेन्ट के अफसरान फायदा उठावें । अगर आप समझें कि वे फायदा न उठावें तो ठीक है । ("लेकिन खाली बैंचें क्या फायदा उठावेंगी", "धीरे धीरे भर रही हैं साहब"—आवाजें) तो इस लिये इधर तो लोकल काश्तकार को डिस्प्लेस्ड कर दिया ।

अब शरणार्थियों के संबन्ध में बतलाऊं । उनको कुछ लोन दिया गया था और वह इकट्ठा नहीं दिया गया । कभी बैल के रूप में, कभी अनाज के रूप में तो कभी मकान बना कर देने के रूप में दिया गया और आज उसी बुरी हालत में वे हैं । लेकिन उनसे लोन वसूली का तकाजा हो रहा है । उन्हें तहसीलों में बिठा कर रक्खा जाता है । अगर वह खेत पर है या घर पर है तो उन्हें वहां से बुला लिया जाता है और दिन भर तहसील में बिठा रक्खा जाता है । इस तरह की चीजें इन शरणार्थियों के साथ हो रही हैं, लोकल काश्तकारों के साथ हो रही हैं और इस तरह की चीजें मेवों के साथ हो रही हैं । मेव, लोकल काश्तकार और शरणार्थी, तीनों के तीनों, वहां पर इस बुरी हालत में हो गये हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता । किसी के लिये यह कहा नहीं जा सकता है कि यह बस गया है और अच्छा है और यह ठीक है ।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्री और लेबर के संबन्ध में राजप्रमुख ने कहा कि हालत कुछ बिगड़ गई और आज किशनगढ़ मिल का जिक्र भी आया । यह सब कह कर कि यह मामला सब ज्यु–डिस है इसे छोड दिया जाता है । में यह मानने को तैयार नहीं हूं कि गवर्नमेन्ट अगर कुछ करना चाहे तो नहीं ही कर सकती । अभी स्टेटमेन्ट में बताया गया कि मिल घाटे में चल रहा है और हाई कोर्ट में जो पिटीशन दायर की गई है वह भी इस बात पर है कि मिल घाटे में चल रही है । तालेबन्दी का यह कारण बताया गया है । तो फिर किस कानून के तहत में बहस करने से इन्कार किया जा रहा है । यह ठीक है कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि घाटे में चलाओ । पर सरकार यह कह सकती थी कि ठीक है, तुम घाटे में नहीं चलावो । तुम मिल चलावो अगर घाटा है तो हम जिम्मेवार हैं, हिसाब किताब हम देखते हैं ; कैसे घाटा होता है । अगर सरकार ऐसा कहती तो मिल मालिक यह नहीं कह सकता था कि नहीं, में कुछ भी करने को तैयार नहीं, में तो लड़ूंगा । अगर वह यह कह सकता है और रीजनेबिल बात भी नहीं मानता और यह गवर्नमेन्ट ऐसी है कि अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखती है, में यह भी नहीं मानता । जब हमारे लोग इतना असर रखते हैं मिल मालिक पर कि वह चुनाव में ६ लाख

Page No.55

[गोपीलाल यादव]

चन्दा दे दे, सारे मजदूरों को हर तरह के वादे करके दबावे और दबा कर चुनाव में वोट दिला दे तो यह सम्भव नहीं है कि हम यह मान लें कि सरकार का प्रभाव मिल मालिक पर नहीं है। वह बात उससे मनवा सकती है, मिल चालू करवा सकती है यह कर कि घाटे के लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारे भी अफसर बैठ जाते हैं, आमदनी और खर्चे पर हम भी अंकुश रखते हैं, तुम भी रक्खो, अगर घाटा हुआ तो सरकार देगी आप ऐसा अवश्य करिये, और इन बारह हजार गरीब मजदूरों को भूखों मत मारो। इनको भूखों मरने से बचाने के लिये सरकार ने क्या किया। अगर इतने पर भी मिल मालिक नहीं मानता तो इनको दूसरी जगह काम पर सरकार लगा सकती थी।

इसके अलावा एक चीज इन्डस्ट्री और लेबर के संबन्ध में बतला दूं। यह समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जबतक आप हरेक इन्डस्ट्री में कोआॅपरेटिव बेसिस चालू नहीं कर देते। आप कई जगह जो कुछ कर रहे हैं जैसे देहातों के लिये कानून बना रहे हैं और जिस उद्देश्य से यह सब कर रहे हैं वे फिर आप नहीं देखते कि इससे फायदा हो रहा है या नुकसान। यह सब तो मैं बजट के अवसर पर विस्तार से बताऊंगा। अभी तो सिर्फ यह बतलाऊंगा जो मिल मालिक और मजदूरों के संबन्ध में सोच रहा हूं। कोआॅपरेटिव बेसिस पर मिलें चलाएं और मिल मालिक भी इसमें अपनी रकम पर इन्ट्रेस्ट ले और गवर्नमेन्ट उसमें उसका हक मुकर्रर कर दे। इसमें वह भी काम कर सकता है। जिस तरह आपकी रेलवे, पोस्ट आॅफिसेज आदि का काम आप कर रहे हैं और लाखों आदमियों को रोजी दे रहे हैं इसी तरह से मिल भी लाखों आदमियों को काम दे सकती है अगर आप इस ओर कुछ ध्यान दें।

तो माननीय अध्यक्ष, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके संबध में कि मेरे मित्र ने कह दिया है तो उनके बारे में मैं नहीं कहूंगा। एक चीज और है जिसके संबन्ध में मैं कहने से रह गया, पंचायत एवं म्यूनिसिपल बोर्ड के तरीके।

इसके संबन्ध में कहना तो इतना ही है कि पंचायत को म्यूनीसिपेलिटियों को प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के खिलाफ कहीं कहीं तोड़ा जा रहा है। प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के खिलाफ इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। जिस तरह से कि कोटा की म्यूनीसिपेलिटी को तोड़ा गया। यह ऐसा उदाहरण है कि जो बतलाता है कि जहां पर मेजोरिटी पार्टी के आदमी चुन कर नहीं आते हैं वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं रह सकती। डेमोक्रेसी के माने हो रहे हैं मेजोरिटी पार्टी के सपोर्टर्स होना। यह चीज जब तक है तबतक वास्तव में सच्चा प्रजातन्त्र नहीं हो सकता।

इसके बाद आखिर में अपने अमेन्डमेन्ट में जो कहा है उसके सम्बन्ध में दो शब्द और कह देना चाहता हूं :—

And that he has failed to make use of the opposition and other sources available to him to make sure that whatever material was placed before him by the Government for his address to the Assembly is the whole truth."

[गोपीलाल यादव]

मैं यह नहीं मानता कि राजप्रमुख की केवल यही ड्यूटी है कि जो कुछ गवर्नमेन्ट उनके पास भेजदे उस पर हस्ताक्षर कर दें, जो लिख कर दे दे उसी को बोल दें । अगर राजप्रमुख इसी काम के लिये हैं तब इस प्रकार का आदमी कपड़े और रोटी देकर भी रखा जा सकता है । इसके लिये ४५ लाख रुपया सालाना वेस्ट क्यों किया जाय ? जब कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो गरीब जनता का पैसा इस तरह वेस्ट नहीं किया जाना चाहिये केवल इसलिये कि जो कुछ हमें दें उस पर दस्तखत कर दें और उसमें कुछ नहीं करें । चाहे राज्य का गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो उनका केवल यहीं काम नहीं कि जो कुछ भी सरकार दे उस पर दस्तखत कर दे । मेरा सुझाव है वे अपोजिशन नेताओं से मिलकर या अन्य सोर्सेज से मालूम करें कि गवर्नमेन्ट जो कुछ कर रही है वह सही कर रही है या गलत ? अगर राजप्रमुख इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते और नहीं कर रहे हैं तो मैं यह समझता हूं कि जो संशोधन रखा है वह प्रजातन्त्र को सफलता पूर्वक चलाने के लिये बड़ा अच्छा सुझाव है । अगर आप अमेन्ड-मेन्ट को स्वीकार करेंगे, मोशन ऑफ थैंक्स के साथ और यह अमेन्डमेन्ट राजप्रमुख के पास जायगा तो राजप्रमुख को अपने कर्तव्य का बोध होगा । इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

श्री चन्दनमल वैद–माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री गुलाबचंद कासलीवाल ने श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और उन्होंने जो भावनाएं प्रगट की हैं कि सरकार के सामने जो सवालात आये हैं उनका सरकार ने ईमानदारी से और मजबूती से सामना किया तथा मुसीबतों पर अधिकार पूर्वक कब्जा किया इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं । इसके साथ साथ मैं सरकार का ध्यान कुछ ऐसी बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन बातों को मेरे पूर्व वक्ताओं ने छोड़ दिया है । मैं समझता हूं कि बीकानेर डिविजन में जो अकाल की स्थिति उत्पन्न होगई है उसके संबन्ध में हमारी सरकार लापरवाही से कार्य कर रही है । श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने अभिभाषण में इस ओर केवल एक इशारा मात्र किया है । उन्होंने इस बात को इस तरीके से कहा है जैसे कोई भागता हुआ आदमी किसी चीज के हाथ लगा कर छोड़ कर चला जावे ।

दूसरे, दुख की बात यह है कि हमारे विरोधी दल के नेता ने भी इस विषय में कुछ विशेष बात नहीं कहीं ।

श्री जसवन्तसिंह–अबतक भी मेरे पास इस विषय में बोलने के लिये नोट्स रखे हुए हैं। मेरे भाषण में रुकावट कर दी गई थी । मेरे पास बीकानेर के अकाल के लिये कहने को काफी मसाला है । मैं बजट के सिलसिले में कहूंगा और ज्यादा मजबूती के साथ किसी बेसिस पर कहूंगा । माननीय सदस्य को यदि बीकानेर से इतना प्रेम है तो उन्होंने इतने दिनों तक बीकानेर के लिये क्या क्या कष्ट उठाये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद–मैंने माननीय मित्र पर आक्षेप की दृष्टि से कुछ नहीं कहा । अगर माननीय मित्र को इस बात से दुःख हुआ हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं ।

श्री जसवन्तसिंह–मेरे पास अकाल पर बोलने के लिये करीब एक पेज है ।

श्री चन्दनमल वैद–जहां आज अकाल पड़ा हुआ है वहां १४ लाख आदमियों में से ७ लाख आदमी अकाल से ग्रसित हैं। एक नहीं, सैंकड़ों नहीं, हजारों आदमियों ने एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, कई महीनों तक भूरट का घास खाकर अपना जीवन-यापन किया है। इस विषय में मैंने एक अल्पकालीन सवाल भी पूछा था। सरकार की तरफ से इस बात का विरोध किया गया था कि ऐसी बात नहीं है। मैं नम्रता पूर्वक कह देना चाहता हूं कि सरकार अगर जांच कराना चाहे तो मैं साबित करने के लिये तैयार हूं कि ऐसा हुआ है।

श्री जसवन्तसिंह–इस पर भी आप सरकार को बधाई दे रहे हैं।

श्री चन्दनमल वैद–मैं स्थिति सामने रख रहा हूं। आप कृपया बीच मे दखल न दीजिये। मैं यह जानता हूं कि आर्थिक तंगी चल रही है इसलिये सरकार जितना चाहिये, नहीं कर रही है। सरकार जिस हल्केपन से इस प्रश्न को ले रही है वह ठीक नहीं है। उसको चाहिये कि वह इस प्रश्न को गंभीरता से ले। हमें इस प्रश्न को सरकार द्वारा गंभीरता से न लेने का ज्यादा दुख है। इसके लिये अब सेन्टर से मदद मांगनी चाहिये थी तीन महिने पहिले। केन्द्रीय सरकार से मदद के लिये मांग करनी चाहिये थी, उनसे प्रार्थना करनी चाहिये थी कि हमारी ऐसी स्थिति है कि हमको मदद दी जाय। तीन महीने बाद मदद मांगने से राहत-कार्य इस बात पर निर्भर कर रहा है कि केन्द्रीय सरकार के मदद मिलने पर ही कार्य शुरू किया जायगा। यह बीकानेर डिविजन के अकाल ग्रसित लोगों के साथ अन्याय है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके साथ मैंने यह भी महसूस किया कि अकाल सहायता विभाग तथा दूसरे जितने विभाग हैं वे हमारी स्थिति की गंभीरता को महसूस नहीं कर रहे हैं, वे उसकी ओर ध्यान नहीं देते। इस विषय में मैं एक दो बातें रखना चाहता हूं। जैसे कई फाइनेन्शियल वर्ष में पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के बजट में ७०–७५ हजार रुपया लिंक रोड्स बनाने के लिये रखा गया था, लेकिन इस बात को महसूस न करते हुए कि यह इलाका अकाल ग्रसित है इन सड़कों का निर्माण शुरू कराया जाय, नहीं किया गया। मैं मानता हूं ७०–७५ हजार रुपये की रकम इस क्षेत्र को सहायता पहुंचाने के लिए काफी नहीं है। लेकिन जिस चीज के लिए रुपया मन्जूर कर लिया गया है वह कार्य शुरु कर दिया जाना चाहिये था। सड़कों का काम शुरू नहीं हो रहा है, न मालूम कब शुरू होगा ? हमें तो यह चाहिये कि अकाल ग्रसित क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचानी चाहिये। हम जितनी भी सहायता कर सकते हैं करनी चाहिये। लेकिन जो इस तरह की लापरवाही इस कार्य के लिए दिखाई गई है, यह देख कर दुःख होता है। मैं आशा करता हूं कि आगे से सरकार इस विषय में ज्यादा सचेत रहेगी और यह कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा रुपया आगामी आर्थिक वर्ष में इस कार्य के लिए स्वीकृत हो। मैं यह भी मानता हूं कि आर्थिक तंगी के होते हुए भी हमारी सरकार ने इस तरफ तवज्जोह की है, वक्त पर सहायता दी है; यह जरूर स्तुत्य है। एक बात इस सिलसिले में यह भी कह देना चाहता हूं कि बीकानेर स्टेट में एक पब्लिक वेलफेयर फंड था जिसमें करीब १६॥ लाख रुपया है। उस ट्रस्ट के चेयरमैन हमारे विरोधी दल के नेता और भूतपूर्व बीकानेर रियासत के प्रधान मंत्री होने की

[चन्दनमल वैद]

हैसियत से हैं । उसमें यह प्रोविजन था कि वे पब्लिक वेलफेयर फंड का सारा रुपया सारे डिविजन में खर्च करें क्योंकि यह सारी स्टेट से इकट्ठा किया गया है। जहां तक मुझे मालूम है वे पूरा का पूरा रुपया अपने निर्वाचन क्षेत्र पर तथा अपने मित्र के निर्वाचन क्षेत्र पर व्यय करना चाहते हैं। रकम इकट्ठा करते वक्त यह शर्त थी कि आधा रुपया जहां से इकट्ठा किया गया है वहां खर्च होगा । १६।। लाख का आधा ८। लाख तो इसी हिसाब के अनुसार खर्च होगा ऐसा मुझे विश्वास है लेकिन बाकी ८। लाख रुपया.......... ..

श्री जसवन्तसिंह–ओन ए पाइन्ट आफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सर। जो बात माननीय मित्र कह रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठी हैं ।

श्री चन्दनमल वैद–आपके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन थी ।

श्री उपाध्यक्ष–आपको पर्सनल रेफ्रेन्स नहीं देना चाहिये ।

श्री चन्दनमल वैद–I am sorry. वेलफेयर फंड पर सारे बीकानेर का अधिकार है। मैं ट्रस्ट के चेयरमेन से प्रार्थना करूंगा कि वे पैसों को लगाते वक्त इस बात का अवश्य ख्याल रखें कि बीकानेर डिविजन के बगल में चूरू का क्षेत्र भी है जहां अकाल पड़ा हुआ है, उसमें भी वे पैसों को खर्च करें। मैं आशा करता हूं कि वे जो कुछ काम उनके हाथ में है, उसको न्यायपूर्वक करने की कृपा करेंगे । दूसरों से पक्षपात न करने तथा न्यायपूर्वक कार्य करने के पहले अपने हाथ में जो कार्य है उसको न्यायपूर्वक करना जरूरी है ।

दो एक बातें इस दौरान में मैं और कह देना चाहता हूं कि जो विरोधी दल के नेता होते हैं उन पर बडी जिम्मेवारी होती है। आज वे इस पद पर आसीन हैं वे भी काफी जिम्मेवार व्यक्ति हैं क्योंकि वे बीकानेर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं; इसलिए के जो भी बात कहें वह आपको उन्हें फैक्ट्स और फीगर्स के साथ और पूरे दायित्व के साथ कहनी चाहिये । लेकिन मैंने देखा है कि जो कुछ बातें उन्होंने अपने भाषण के दौरान में कही हैं वे इस बात का संकेत करती हैं कि वे पूरी जिम्मेवारी से नहीं कही गई हैं । आपने श्री हरिदेव जोशी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि रेल्वे की इन्कम को राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार ने ले लिया है, उससे भी ज्यादा सेन्टर को फौज पर खर्च करना पड रहा है। मैं आपका ध्यान बीकानेर, जोधपुर और जयपुर स्टेटों के पुराने बजटों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उनका यह कहना कि पुरानी जितनी भी स्टेटें थीं उनके बजट सरप्लस थे, ठीक नहीं पुराने बजटों के आंकड़ों को मैं यहां रखता हूं—

सन् ४७–४८ में बीकानेर में	२७ लाख का डेफिसिट
सन् ४८–४९ में बीकानेर में	१९ लाख का सरप्लस

[श्री चन्दनमल वैद]

इसी प्रकार सारी स्टेटें, जोधपुर, जयपुर, फॉर्मर राजस्थान और मत्स्य का हाल है।

सन् ४७–४८ में जोधपुर में	१,३५,००,००० रु० का डेफिसिट
सन् ४७–४८ में बीकानेर में	२७,०२,००० रु० का डेफिसिट
सन् ४७–४८ में फॉर्मर राजस्थान में	१६,४६,००० रु० का डेफिसिट
इस तरह कुल	१,७८,४८,००० रु० का डेफिसिट
सन् ४८–४९ में जयपुर में	३८,००,००० रु० का डेफिसिट
सन् ४८–४९ में जोधपुर में	६८,००,००० रु० का डेफिसिट
सन् ४८–४९ में बीकानेर में	१९,००,००० रु० का सरप्लस
सन् ४८–४९ में फार्मर राजस्थान में	२०,००,००० रु० का डेफिसिट
सन् ४८–४९ में मत्स्य में	८,००,००० रु० का डेफिसिट
	१,१६,००,००० रु० का डेफिसिट

मैं मानता हूं कि रेल्वे की इन्कम से फौज पर ज्यादा खर्च था। लेकिन अगर फेडरल सब्जेक्ट्स के डेफिसिट जो अलग दिये गये हैं उनको देखें तो मालूम होगा कि यह डेफिसिट सारे डेफिसिट से बहुत कम हैं। फेडरल सब्जेक्ट्स जो कि आज केन्द्रीय सरकार के पास चले गये हैं उनके हिसाब से भी देखें तो जयपुर के फेडरल फील्ड में सन् ४७–४८ में १० लाख का डेफिसिट था, जोधपुर में केवल ७ लाख का सरप्लस था, बीकानेर में १२ लाख का डेफिसिट, फॉर्मर राजस्थान में ५१ लाख से डेफिसिट था। इस प्रकार सन् ४७–४८ में ये रियासतें फेडरल फील्ड में ६६ लाख से डेफिसिट थीं, और ४८–४९ में सारा डेफिसिट ३४ लाख का था। फिर भी वह व्यक्ति जिनके हाथ से बीकानेर स्टेट के कई बजट बन चुके हैं उनका यह कहना कि सारे के सारे बजट सरप्लस थे और अब बजट डेफिसिट हो गये हैं तो मैं समझता हूं कि यह कोई माने नही रखता है, और यह कोई बड़ी भारी जिम्मेदारी की बात नहीं हो सकती है।

श्री जसवन्तसिंह–५ करोड़ रुपये कहां से आये।

श्री चन्दनमल वैद–यह जो चीज दी गई है वह आज नहीं है बरसों से चली आ रही है। हमने, जिस प्रकार देशी रियासतों से, यानी उन राज्यों से मिलकर जब से राजस्थान बना है तब से इसमें फैले हुए लॉ एण्ड आर्डर के प्रोब्लम का सामना किया है, उसी तरह हम सारे लोग मिलकर इस प्रोब्लम का सामना कर सकते हैं।

एक माननीय सदस्य–उस वक्त क्या यह मंत्री मंडल कामयाब हो सकता है?

श्री चन्दनमल वैद–मैं जब दूसरी बात कहने जा रहा हूं तो मुझ अफसोस है कि आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं।

[श्री चन्दनमल वैद]

माननीय विरोधी दल के नेता का पंचवर्षीय योजना के सिलसिले में यह कहना कि प्रत्येक व्यक्ति को जो रुपये मिले हैं वह राजस्थान में सबसे कम हैं गलत बात है । मैं इस बात को मानता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो मिला वह दर असल में ९-१० रुपये ही है, लेकिन मेरे माननीय मित्र ने दूसरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया । फाइव ईयर प्लान (पंचवर्षीय योजना) में केन्द्रीय सरकार केवल भाखरा नांगल के सिलसिले में २९ करोड़ रुपये खर्च कर रही है, हरिकापत्तन की योजना में ४० करोड़ रुपये, राजस्थान में चम्बल योजना में ३५ करोड़ रुपये खर्च होंगे । चम्बल के खर्चे को राजस्थान के हिस्से में आधा ही मान लें तो भी राजस्थान के हिस्से में जो रुपया इस तरह से मिलेगा वह है करीब ७५ करोड़ प्लस १८ करोड़ यानि करीब १ अरब राजस्थान में पंचवर्षीय योजना में खर्च होगा । इस तरह से १६ करोड़ के साथ मिलावें तो हमारे प्रत्येक व्यक्ति को उतना मिलेगा जो सब राज्यों से ज्यादा होगा । वे इस बात को भूल जाते हैं कि उन राज्यों में जिनमें प्रति व्यक्ति ज्यादा रुपये मिले हैं नदी-घाटी योजनाएं उतनी नही हैं जितनी कि हमारे राजस्थान में हैं ।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे विरोधी दल के नेता को यह शिकायत करने से पहले यह सोचना चाहिये कि यदि वे चाहते हैं कि इस पक्ष के लोग उनकी बातों पर तवज्जोह दें, उनकी बातों को मानें तो उन्हें अपनी बातें आंकड़ों के साथ, अच्छी हालत में, ज्यादा जिम्मेदारी के साथ पेश करनी चाहिये । ऐसा होने पर ही उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने का अवसर और गंभीरता से सोचने का मौका मिलेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, इसके पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो बातें हम उठायेंगे उनके उत्तर देने का जिम्मा किसको दिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद—माननीय उपाध्यक्ष, इसका रेफरेन्स मुझसे है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा रेफरेन्स मंत्रियों की बेंचेज से है । मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्रीगण यहां बैठे हुए हैं उनमें से किसी ने उत्तर देने का जिम्मा लिया है या वह लीडर आफ दी हाउस की जिम्मेदारी होगी अथवा डिप्टी लीडर आफ दी हाउस की ?

श्री अमृतलाल यादव (पुनः संस्थापन मंत्री)—यदि मंत्रियों में से एक भी मंत्री उपस्थित है तो मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि वही नहीं बल्कि सारी केबिनेट इस बात के लिए जिम्मेदार है और उन सब बातों का जवाब मंत्री मंडल की तरफ से लीडर ऑफ दी हाउस द्वारा अवश्य दिया जायगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जब इतने महत्वपूर्ण विषय पर यह बहस हो रही है तो और बातें तो जाने दीजिये लेकिन मंत्री लोगों से इतनी तो आशा रखनी चाहिए कि शिष्टाचार के नाते वे अपनी आलोचना सुनने के लिए और एक शब्द और इस्तेमाल करदूं, कड़ी आलोचना सुनने के लिए हाउस के नेता और

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उप-नेता को यहां रहना चाहिए था, ऐसी मेरी राय है। वे रहें या नहीं रहें, और आप उनको रहने की आज्ञा दें या न दें, यह उनके और आपके सोचने का विषय है। मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, इस बात पर, कि आज ४ साल से, ७ अप्रेल, १९४९ से, जब से राजस्थान का निर्माण हुआ था, तब से ३ साल से तो स्टेट्स मिनिस्ट्री की इच्छा से कांग्रेसी हुकूमत यहां रह चुकी है और १ साल से विधान सभा के मुकर्रर होने के बाद से कांग्रेसी हुकूमत यहां राज्य कर चुकी है। इन चार सालों के बाद पहली बार सरकार के दस्तावेजों में इस आशय को इस गंभीरता से लिखा गया है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत खराब है, चिन्ता-जनक है। पूरे ४ साल के दौरान में एक भी मौका ऐसा हम लोगों के सामने नहीं आया कि इस विषय पर सरकार के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से इतनी गंभीरता से यह प्रश्न उठाया गया हो। श्रीमन् राजप्रमुख ने सबसे पहले इसी आर्थिक स्थिति का जिक्र किया है। आखिर क्यों ४ साल के बाद आज अचानक यह प्रश्न सामने आया है। इसकी गहराई में जाऊंगा। चाहे श्रीमन् राजप्रमुख ने अपने भाषण में जिक्र किया हो, लेकिन इस सदन की सूचना के लिए यह जरूरी होगा कि मैं मेरे एक मित्र, उधर बैठे हुए मेरे एक मित्र ने जिन दस्तावेजों को जोर जोर से पढ़कर सुनाया उसी, उनके द्वारा तारीफ की जाने वाली राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार को दिये गये मेमोरेन्डम, जो उन्होंने फाइनेन्स कमीशन के सामने दिया है, की पृष्ठ संख्या ५६ की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें यह लिखा हुआ है कि राजस्थान बनने के समय हमारे पास अलग अलग मदों में चाहे वे शेयर हों, चाहे वे स्टर्लिंग सिक्योरिटीज हों, चाहे किसी बैंक में जमा हों, इस प्रकार कुल मिलाकर १८ करोड़ रुपये की सिक्योरिटीज़ जमा थीं। और उसके अलावा ट्रस्ट फन्डस् जो हैं उनमें ८५ लाख रुपये ऐसे हैं जो बीच में खर्च कर दिये गये हैं। ३२ लाख रुपये तो ट्रस्ट फन्डस् में राजस्थान सरकार ने खर्च कर दिये हैं जिसे कि खुद फाइनेन्स कमीशन के मेमोरेन्डम में उन्होंने मन्जूर किया है। वह अब उनको वापिस ट्रस्ट फन्डस् को देना है। इस प्रकार करीब १९–२० करोड़ रुपये की पूंजी राजस्थान सरकार के पास मौजूद थी, सिक्योरिटीज के अन्दर। उसका आज क्या हुआ? उसी मेमोरेन्डम के मुताबिक ५६ करोड रुपये की सिक्योरिटीज़ बेच दी गई हैं, १० करोड ५३ लाख का ओवरड्राफ्ट इम्पीरियल बैंक से उठा लिया गया है, और अब कोई बैंक ओवरड्राफ्ट देने को तैयार नहीं है। इस तरह से सिक्योरिटीज बेच २ कर अपना खर्च पूरा किया गया है और ४ साल के अन्दर २० करोड़ की सिक्योरिटीज बरबाद कर दी गई है, और ऐसी हालत राजस्थान की बना दी गई है कि मुलाजिमों को माहवारी तनख्वाह देने के लिए भी बैंकों के दरवाजे खटखटाये जा रहे हैं। ऐसी हालत पैदा करने के बाद श्रीमन् राजप्रमुख हमसे कहते हैं कि हम दलबन्दी में नहीं पड़ें, पार्टीबाजी में नहीं पडें और राजस्थान की आर्थिक हालत जो बिगड़ रही है उसका ख्याल कर जनता के हित की बात करें। हम जी खोलकर जनता के हित का खयाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चाहेंगे कि जिन लोगों ने, सालाना जो आमदनी होती थी वह खर्च करके, केन्द्रीय सरकार से जो मदद मिलती थी वह खर्च करके और ज्यादा २० करोड़ रुपये ४ साल में खर्च कर दिये, उनसे सबसे पहले जबाब पूछेंगे कि पब्लिक के पैसे को इस प्रकार नाजायज और गैर जिम्मेदारी से खर्च क्यों किया? यह कोई पार्टीबन्दी या दलबाजी नहीं है, लेकिन राजस्थान की जनता के हित का सवाल है।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इसकी एक मिसाल में आपको इस वक्त पेश करता हूं। दूसरी बात बजट के अवसर पर कहूंगा। एक मिसाल में आपके सामने देना चाहता हूं और वह है इन लाउडस्पीकरों के के संबन्ध की, जो चीज हमारे सामने है। इन लाउडस्पीकरों की व्यवस्था, जिन्हें हम देखते हैं, ६५ हजार रुपये खर्च करके की गई है और मैं समझता हूं कि ये माइक्स रद्दी से रद्दी माइक्स हैं, । हमारी सरकार ने ६५ हजार रुपये में ठेका दिया। मैं लीडर ऑफ दी हाउस या फाइनेन्स मिनिस्टर जिन्होंने इसके लिये हुक्म दिया हो उनको चेलेंज करने के लिये तैयार हूं कि जिस कंम्पनी का सामान यहां पर लगाया गया है उसी कम्पनी का सामान यदि बाजार में छपी हुई दरों से हिसाब लगाकर देखें और उस पर सौ प्रतिशत इजाफा भी लगाया जावे मैं यह कहूंगा कि कि इसका खर्चा २५-३० हजार से ज्यादा नहीं हो सकता। सरकार ने न तो इस संबन्ध में कोई नोटिफीकेशन टेन्डर्स निकाला और न किसी से पूछ-ताछ की कि आया कोई दूसरा इसको कितने रुपये में पूरा करने के लिये तैयार है। हमारा काम भी अच्छा नहीं हुआ, जैसा कि आपको पिछले अधिवेशन में मालूम है कि दो तीन दिन तक लाउड स्पीकरों का हिसाब ठीक नहीं था और खर्चा भी ६५ हजार रुपयों का हुआ। मेरे कहने का मतलब यह कि जितना खर्च होना चाहिये उस से ६ गुना या ८ गुना पैसा ज्यादा खर्च हुआ। यह है दरअसल में राजस्थान में अर्थ-व्यवस्था की हालत। जब हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें उस दृष्टि से फाइनेन्स की व्यवस्था पर देखना चाहिये। पर आज तक ऐसा नहीं किया। लेकिन सुबह का भूला हुआ अगर शाम को भी अगर घर आजावे तो हम सोचते हैं कि वह भूला नहीं कहाता। अब भी इस समस्या को हल करने के लिए हम कुछ करें तो अच्छा है। लेकिन अब भी क्या कदम उठाने के विषय में राजस्थान सरकार ने सोचा है? आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर है तो कौनसा कदम उठाना राजस्थान सरकार ने तय किया है।

मुझे ताज्जुब है कि खर्चे का सबसे बड़ा मद राजस्थान में है श्रीमन् राजप्रमुख पर और प्रिवी पर्स पर। यदि काश्मीर गवर्नमेन्ट भारत सरकार को कह सकती है कि आपके फायदे पर खर्चा करना है तो जेब में से प्रिवी पर्स दो, तो हम देने को तैयार नहीं। तो क्यों नहीं राजस्थान सरकार भारत सरकार को कह देती कि राजप्रमुख और प्रिवी पर्स पर जो ५५ लाख रुपया सालाना खर्चा होता है, यह खर्चा करने को हम तैयार नहीं हैं।

एक और विषय है, महत्व का जिसका जिक्र मैं आवश्यक तौर से करना चाहता हूं। जिस सरकार की ओर से निरन्तर यह कहा जाता है कि हमारी आर्थिक स्थिति गंभीर है, सुधर नहीं सकेगी, उसी सरकार ने कायदा पास किया है, जागीर उन्मूलन का कायदा और उस कायदे के मातहत १० गुना मुआवजा देने का तय किया है। हिन्दुस्थान में एक भी प्रांत ऐसा नहीं जहां इतना मुआवजा देने का तय किया हो। अगर राजस्थान सरकार वास्तव में अपनी आर्थिक हालत को सुधारना चाहती है तो वह इस मुआवजे को कम करे; बिल्कुल रोक नहीं सकती तो कम करे। यह है दूसरा तरीका जिससे आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। परन्तु कम करना तो अलग बात है, मैं फिर सदन का ध्यान राजस्थान सरकार द्वारा फाइनेन्स कमीशन को पेश किये गये मेमोरेंडम के पेज ४२ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें लिखा है कि सेटलमेन्ट का खर्चा जो सरकार ने किया उसके पिछले के २२ लाख रुपये अभी तक

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बाकी हैं। किसानों से वहीं का वहीं चैन मैन और अमीनों का खर्चा लिया गया है, लेकिन जो हिस्सा जागीरदारों पर पड़ने वाला है उसकी २२ लाख की रिकवरी बाकी है। राजस्थान सरकार इसके बारे में क्या कर रही है ?

और सुनिये, एक ही तरीका हो यह बात नहीं है। राजस्थान सरकार का अपने ऊपर जो खर्चा होता है उसको लीजिये। छोटे-मोटे अफसरों के खर्च को छोड़ दीजिये। एक के बाद एक जो अफसरों का बाहर से हर साल इम्पोर्ट होता है उसको छोड़िये। राजस्थान के मंत्रियों के ऊपर जो खर्चा होता है उस पर रोशनी डाल देना चाहता हूं, जो कि राजस्थान सरकार के छापे हुए १९५२-१९५३ के मेमोरेंडम के पेज ७३ पर मौजूद है।

मिनिस्टर्स और कौंसिलर्स-इन पर सन् १९५०-५१ में १८८०००) रुपया खर्चा हुआ।

सन् १९५१-५२ में ३९००००) रुपया खर्चा हुआ।

आर्थिक स्थिति विषम है परन्तु सन् १९५२-५३ में ६१४०००) रुपया खर्च किया गया। यह खर्चा १८८०००) रुपये से बढ कर ६१४०००) रुपये तक बढ़ा।

९ मंत्री और १ कौंसिलर कुल दस हुए। उन पर ६ लाख रुपया साल का, एक-एक पर ६०,०००) रुपया साल का यानि फी मंत्री और कौंसिलर के ऊपर ५००० रुपया हर महीने खर्चा किया जा रहा है। यह आपके बजट के आंकड़ों से जाहिर है। यह केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों से ज्यादा खर्चा है। वह बंगले, स्टाफ, मोटरों का हो और न जाने क्या क्या मद डाले हैं।

फिर जिस हुकूमत को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना हो उसको अपना खर्चा कम करना चाहिये। जो खर्चा होता है उसका चौथाई, आठवां हिस्सा कीजिये, फिर अफसरों की तनख्वाह काटिये और कहिये कि एक हजार रुपये से ऊपर की तनख्वाह का अफसर हमें नहीं चाहिये। यह ५५ लाख बोर्डर पुलिस का खर्च मत कीजिये, राजप्रमुख को रुपया मत दीजिये।

यह किये बगैर अगर नये नये टेक्सों का बोझा डालेंगे और यह कह कर करेंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है तो मेरा यह कहना है कि ऐसी हालत में जनता के हित के लिये, किसानों की बर्बादी को रोकने के लिये हम डट कर, चाहे ऐसे अनेकों भाषण सुनाये जाय, चाहे सैकड़ों समंन्स दिये जाय, विरोध करेंगे। इसलिये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजप्रमुख को धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं है।

(श्री उपाध्यक्ष ने समय समाप्त होने की सूचना दी तथा श्री हरिकृष्ण व्यास ने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा)

मैं यह मानता हूं कि आप चाहे किसी हैसियत से माने, मैं एक दृष्टिकोण के प्रतिनिधि की हैसियत से बोलता हूं। अतः आधा घंटा आपने औरों को दिया है तो आधा घंटा तो मुझे भी मिलना ही चाहिये।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

श्री उपाध्यक्ष—पांच मिनट और।

श्री हरिकृष्ण व्यास—फाइनेन्स के बारे में एक ही बात कह कर खत्म करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है।

आज जो सरकार की नीति है उस पर आप गौर करेंगे कि वह नीति किस प्रकार की है। एक प्रश्न का उत्तर सुना उससे इस नीति का पता चला। भीलवाड़ा पॉवर हाउस के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर देते हुए सरकार की ओर से बताया गया कि भीलवाड़ा पॉवर हाउस का २३००) रुपया खर्चा है और ११००) रुपये की आमदनी है। प्रश्न पूछा गया कि ११००) की ही आमदनी क्यों है तो कहा गया कि नये कनेक्शन्स नहीं दिये जा रहे हैं। इस पर पूछा गया कि नये कनेक्शन्स क्यों नहीं दिये जा रहे हैं तो उत्तर मिला कि आमदनी नहीं बढ़ रही है। पूछा गया कि आमदनी क्यों नहीं बढ़ रही है तो कहा गया कि बजट में घाटा है। पूछा गया कि बजट में घाटा क्यों है तो जवाब दिया गया कि आमदनी नहीं बढ़ रही है। मैं पूछता हूं कि आपका यह विशियस सर्कल कहां तक चलता रहेगा, इसका अंत होगा कि नहीं ?

एक जगह की नहीं कई जगह की मिसालें मैं दे सकता हूं। जोधपुर की मिसाल है, जहां के लिये कहा गया है कि बिजली और पानी की व्यवस्था सुधर रही है। जोधपुर में पाइप लाइन पुरानी है इसलिये उससे ३० हजार गैलन पानी दिया जाता है, अगर पुरानी पाइप लाइन की जगह नई पाइप लाइन बना दी जाय तो ८० हजार गैलन पानी प्रति दिन दिया जा सकता है। इससे आपकी आमदनी दुगुनी हो सकती है पर ऐसा नहीं किया जाता। जब अकाल पड़ेगा तो मोटर लॉरियों से थोड़ा थोड़ा पानी पहुंचा कर एक लाख रुपया खर्च कर देंगे पर केपिटल खर्च करके पानी की व्यवस्था सुधरे, ऐसा नहीं करते। यही हाल बिजलीघर और हर जगह का है कि जहां फिजूल खर्ची के नाम पर केपिटल एक्सपेंडीचर को रोका जाता है।

मुझे खुशी है इस बात की कि सरकारी बेंच पर बैठने वाले मेरे एक मित्र ने अकाल के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। मैं उन्हें मुबारिकबाद देना चाहता हूं। यह प्रश्न पिछली बार इसी प्रकार मैंने रखा था पर पिछली बार राजस्थान सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि अकाल है। मुझे याद है कि मैंने सरकार के सामने यह प्रश्न पेश किया था और उत्तर यह दिया गया था कि बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। उसी बात को सरकार आज कह रही है कि कुछ जगह अभाव क्षेत्र है। मैं कहता हूं कि कुछ जगह नहीं कई जगह लोग इलाके छोड़ कर चले गये हैं, लोग मुरट का बीज खाते हैं और अगर जल्दी सहायता का इन्तजाम नहीं किया गया तो राजस्थान में राजस्थान के रहवासियों की जानें खतरे में हैं, मवेशी मरना शुरू हो गये हैं।

मगर इन्तजाम जो किया जाता है इसका नमूना मैं आपके सामने पेश करता हूं। म नवम्बर महीने में माननीय मंत्रीजी से मिला था तो मालूम हुआ कि उन्होंने ढाई लाख रुपये की सहायता तुरंत मंजूर की है। फिर मालूम हुआ कि कमिश्नर की मंजूरी होने पर कलक्टरों और तहसीलदारों में हिस्सा

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

बंटा। किसी को हजार दिये गये, किसी को दस हजार दिया। पर यह सब मुकर्रर करने में नवम्बर से जनवरी के मध्य का समय चला गया, इसके बाद उन्हें कहा गया कि अपनी योजनाएं पेश करें। वे योजनाएं पेश कर रहे हैं, फिर एक एक हजार हिस्से में आयेगा। ऐसी हालत में भी, मुझे अफसोस है कि लोग धन्यवाद का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। इस बारे में राजप्रमुख महोदय ने अपने भाषण में कुछ भी जिक्र नहीं किया इसलिये जनता की जिन्दगी के साथ उनकी और राजस्थान सरकार की खिलवाड़ थी। इसलिये वे धन्यवाद के पात्र नहीं हैं।

राजप्रमुख महोदय के भाषण में इकोनोमिक डेवलपमेन्ट का जिक्र किया गया, आर्थिक उन्नति का जिक्र किया गया। बहुत आर्थिक उन्नति हो रही है राजस्थान की। यहां पर कोई उद्योग नहीं है। और जो हैं भी वे या तो सरकारी मुलाजमात या छोटी मोटी दुकानों के हैं। सरकारी मुलाजमात का यह हाल है कि हजारों की छंटनी की गई है। पी. डब्ल्यू. डी. के मजदूरों की छंटनी की गई है, क्लर्कों और चपरासियों की छंटनी की गई है और की जा रही है, पर किसी भी मोटी तनखा पाने वाले अफसर की छंटनी नहीं हो रही है, इतना मैं जानता हूं। अब बिजलीघर में छंटनी की जाने की तैयारी की जा रही है। सरकार कहती है कि वैज्ञानिक तरीके पर काम करो। मैं बतलाना चाहता हूं कि बिजलीघर के मजदूर आज पूरे दो साल से सरकार से बातचीत कर रहे हैं। सरकार को कई मेमोरेन्डम दिये, डेपूटेशन के रूप में मिले, कई चिट्ठियें और तार भेजे, ६००) रु० से ज्यादा तार और चिट्ठियों आदि में पोस्टल विभाग को दे चुके; पर राजस्थान सरकार की हालत यह है कि १८-१८ साल २०-२० साल पुराने मुलाजिमों को कहा जा रहा है कि आपकी नयी भरती समझी जायगी। यह हाल तो है नौकरी करने वालों का। व्यापारियों का यह हाल है कि कस्टम लागू है। ओक्ट्रॉय हर म्युनिसिपेलिटी की ओर से लगाने के लिये सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है। उनको धमकी देकर मजबूर किया जा रहा है कि यदि ओक्ट्रॉय नहीं लगाएंगे तो खर्चा कैसे चलेगा। सैद्धान्तिक तौर पर यह बात ठीक हो सकती है पर आप इस बात को महसूस करेंगे कि स्टेशन से बाहर निकलते ही एक चौकी वाले कहेंगे कि कस्टम दो। कस्टम आखिर किस चीज का लिया जाता है। राजस्थान के बाहर से जो माल आता है उस पर कस्टम लिया जाता है। पहली चौकी से आगे दस कदम पर दूसरी चौकी वाले कहेंगे कि आप शहर में जा रहे हैं इस लिये ओक्ट्रॉय दो। अब तो सिर्फ एक चीज बाकी रह गई है; वह यह है कि शहर के जो वार्ड हैं उनके नाकों पर भी चुंगी घर लगा दिये जायं जिससे कि एक वार्ड से दूसरे वार्ड में सामान लेजाने पर भी चुंगी ली जा सके। किसानों के ऊपर तो अभी सेटिलमेन्ट द्वारा बीघोडी की नई दर मुकर्रर की जा रही है। मारवाड़ के बारे में मैं कह सकता हूं कि वहां पर पुरानी दर से दुगनी तिगनी दर मुकर्रर की जा रही है। सच बात तो यह है कि आर्थिक स्थिति सुधारने के बहाने लोगों पर नये बोझ लादे जा रहे हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

अब खासकर मैं मजदूरों के बारे में कुछ कहूंगा। मुझे इनके बारे में कुछ कहने का मौका दो दिनों से नहीं दिया जा रहा है पर अब वह समय आ गया है।

मुझे ताज्जुब है कि श्रीमन् राजप्रमुख के अभि- भाषण में नाम लेने से इन्कार किया जा रहा है और कहा गया है कि बाहर लेबर ट्रबल होरहा है कुछ

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

इलाकों के अन्दर। कुछ इलाकों में लेबर ट्रबल होरहा है यह कहा गया है। किन्तु यह नहीं कहा गया कि यह लेबर ट्रबल हो रहा है किशनगढ इलाके में और उसके करने वाले सज्जन हैं सेठ हीरालाल पाटनी। अभ्यस्त अपराधी बिल हमारे सामने आने वाला है और में कह सकता हूं कि अगर कोई "अभ्यस्त-अपराधी" हैं तो वे हैं सेठ हीरालाल पाटनी। हमसे सारी बातें छिपाई जा रही हैं। हकीकत तो यह है कि भूतपूर्व राजस्थान में श्रम मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाडिया ने एक फैसला मजदूरों को ५५) रुपये देने के लिये किया था जब कि उन लोगों को २२) या २५) रुपया मिल रहा था। जब से यह फैसला लागू है तब से एक वार नहीं सात बार मिल की तालाबन्दी की कोशिश की गई है और राजस्थान सरकार ने बराबर प्रोत्साहन दिया है। एक बार प्रोत्साहन दिया था कि उसको अपने कपड़े को, अपने ९० फीसदी कपडे को ब्लेक मार्केट में बेच कर मजदूरों को वेतन दे। इसी तरह से बार बार प्रोत्साहन देकर उसका दिमाग आसमान पर चढ़ाया गया है। अगर आपने प्रोत्साहन दिया था तो मजदूरों के हकों को छीनने के लिये नहीं दिया था। कल मुख्य मंत्री महोदय और लीडर आफ दी हाउस कह रहे थे कि इस तरह से हड़ताल करा कर लोगों को भडकाने का तरीका गलत है। मुझे अफसोस है कि वे अभी यहां हैं नहीं। मुझे उम्मीद है कि उनके कॉलिग्स जो यहां बैठे हैं मेरी ओर से उनके पास यह जवाब पहुंचा देंगे कि जहां ताला बन्दी खोलने की मांग की जा रही है वहां हडताल की बात कहकर किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। गलत तरीके इस्तेमाल किये गये उन लोगों से जिनसे चुनाव के वक्त वायदे किये गये थे, जिनसे वोट लेने के लिये वायदे किये गये थे। (विपक्ष की ओर से करतल ध्वनि) और आज जब उन वायदों को पूरा करने का मौका आता है तो कहा जाता है कि मामला हाईकोर्ट बेंच में आ गया है। मैं छना चाहता हूं कि किशनगढ़ मिल कितने घाटे में है और जो कारोबार चल रहा है क्या वह वाकइ में घाटे में चल रहा है ? क्या बजट के आंकडे जो उन्होंने छाप कर पेश किये हैं उन्हीं से तो घाटे की बात नहीं कही जा रही है ?आप देखिये कि दरअसल घाटा है या यह केवल दिखाने के लिये ही घाटा हुआ ? आपने एक एक्सपर्ट को जांच के लिये भेजा। उसने अपनी रिपोर्ट दी, हालांकि उसे शाया नहीं किया गया। किन्तु मैं कह सकता हूं कि जो पचास हजार स्पिन्डल्स जल गये थे उनका रुपया इन्स्योरेन्स से ले लिया गया। इस तरह दिखावे के घाटे की धमकी से राजस्थान सरकार को हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ जाना चाहिये था। तो आप कहेंगे कि क्या किया जा सकता था। इसके लिये मैं कह सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार से कह कर, जिस तरह से शोलापुर की मिल ले ली गई थी, उसी तरह से इसको भी ले लिया जा सकता था। हीरालाल पाटनी ने यदि पूंजी बर्बाद कर दी है और मजदूरों को वेतन देने के लिये नहीं है तो फिर मिल को ले लेना चाहिये था। यदि हाई कोर्ट की वजह से आपका काम नहीं चलता है तो फिर आपने उन १२०० मजदूरों के पेट के लिये क्या किया है ? आपने उनको भत्ता देने की क्या व्यवस्था की है ? शायद आपने यह सोचा हो कि इस मामले में हमें टाइम लगे किन्तु आपको यह सोचने की फुर्सत नहीं कि इनको भत्ता देने की व्यवस्था की जानी चाहिये ! किन्तु उनके लिये कुछ नहीं किया गया। क्या केवल वोट लेने के लिये ही उनसे वायदे किये गये थे ? जब वे अपनी आवाज लेकर यहां आ रहे थे तो उन पर रास्ते में लाठियां बरसाई गईं और उनको पचास मील दूर जंगल में इस कड़कड़ाती सर्दी म छोड़ दिया गया जहां उनका कोई आसरा नहीं। यह राहत उनको मिली है। (विपक्ष की ओर से

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

'शेम-शेम' की आवाज) यह रास्ता इसलिये अख्तियार किया गया था कि उनकी आवाज आप तक न पहुंचे जो वादे किये गये वे अधूरे ही रह गये । उन वायदों को टालने की कोशिश की जा रही है किन्तु उनको टाला नहीं जा सकता है । लेबर के बारे में न्याय पूर्वक कानूनी तरीका अख्तियार करना होगा ।

मैं प्रेजेन्ट करना चाहता हूं कानूनी तरीकों को । पाली का एक मामला है । वहां की यूनियन ने मांग की, दस्तावेज पेश किये । इसको पेश करने के एक साल आठ महिने बाद इसे ट्रिब्यूनल के सुपुर्द किया । इसकी तीन पेशियां हुई । इस बीच में ट्रिब्यूनल के जज हाई कोर्ट के जज बन गये और वह स्थान रिक्त हो गया । जुलाई में स्थान रिक्त हुआ । अक्टूबर–नवम्बर में इस बारे में प्रश्न किये गये । इसके कुछ ही दिनों पहले डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को सुनवाई करने को मुकर्रर किया । जब नोटिफिकेशन हुआ, उसके दस–बारह दिन बाद ही वह रिटायर्ड हो गये । एक साल आठ महिने तक उनकी मांगों का मेमोरेन्डम रहा सरकार के पास । एक साल से ज्यादा अर्सा बीत गया पर सुनवाई नहीं हुई । फिर अब मजदूरों से कहा जाता है तुम कानून से चलो । अब वह कौनसे कानून से चलें ? आपका कोर्ट बैठता नहीं । आपकी मशीनरी इतनी तेज है कि छःछः महीने नये जज को मुकर्रर करने में लग जाते हैं और वह भी रिटायर हो जाता है । आखिर कौनसा कानून है मजदूर के लिए जो उसका मददगार हो ? मैं बताऊं मेरे पास बहुत सी मिसालें हैं, पर उनमें से एक ही दूंगा । केवल किशनगढ़ की हालत ही ऐसी नहीं है । सरकार की नाक के नीचे इसी शहर में हिन्दुस्तान के एक बहुत नामी सेठ बिड़ला जी की एक बॉल-बीयरिंग फैक्टरी है । उन्होंने भी तालाबन्दी की थी डेढ़ साल पहले । उनकी फैक्टरी के मजदूरों ने श्रम विभाग में जाकर अपनी रिपोर्ट पेश की । मामले की जांच हुई । जिस अधिकारी ने जांच की उसने स्पष्ट लिखा अपनी रिपोर्ट में कि यह तालाबन्दी केवल मजदूरों की छंटनी के लिए साजिश मात्र है और सारा का सारा मामला अदालत को सौंपा जाना चाहिये । यह कांसीलियेशन आफीसर की रिपोर्ट है इस केस में । यह रिपोर्ट सेक्रेटरियेट में आई । पर न मालूम कौनसे और कहां कहां से तार खटखटाये गये कि मामला सेक्रेटेरियट में ही पड़ा रह गया । आज भी दबा पड़ा है । आज तक सवाल कोर्ट में पेश नहीं किया गया । मैं पूछता हूं कानूनों की दुहाई देने वालों से, इन कानूनों की सलाह देने वालों से कि अगर बिड़लाजी ने ऐसा कुछ किया है तो उन बिड़लाजी को कानून के कटघरे में लाने से क्यों हिचकिचाते हो ? केवल मजदूरों को कहने से काम चलने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, काफी समय हो गया है । मैं एक चीज और कहकर खतम करूंगा और वह यह है कि एक कहावत है हमारी जिसमें कहा गया है "आंखों देखी परसराम कदे न झूठी होय ।" लेकिन ऐसी हालतें पैदा हो गई हैं आज कि जग में दो-दो तरह की आंखों देखी बातें होती हैं । एक तो श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण में छपा हुआ देखने को मिलता है जिसमें कहा गया है कि बिजली की बहुत अच्छी सुन्दर व्यवस्था हो रही है । एक और तो यह प्रशंसा है । दूसरी और रात के समय अपना प्रश्न तैयार करते समय वह बिजली का बल्ब आंखों के सामने और ही नज्जारे पेश करता है । वह अचानक अदृश्य हो जाता है । रोज के रोज । किसी दिन कुछ समय के लिए, किसी दिन कुछ घंटों । एक दिन से नहीं बल्कि सालों से यही

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नज्जारा देखने में आया है। लेकिन तारीफ हो रही है बिजली पैदा करने के इन्तजाम की। अब किसको सच माना जावे ; स्टेटमैन्ट में तारीफ हो रही है उसको या रोज हम आंखों देख रहे हैं उसको ?

शिक्षा में तरक्की हो रही है। लेकिन आठवीं क्लास के विद्यार्थी दो रुपया फीस दे रहे हैं और नवमी क्लास के डेढ़ रुपया दे रहे हैं। और माननीय मन्त्री महोदय ने एक बार नहीं, दस बार आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी कार्यवाही की जावेगी। लेकिन तरक्की इतनी तेज हो रही है कि आज भी दो रुपया फीस देनी पड़ रही है।

अस्पताल के, पब्लिक हेल्थ के इन्तजाम में भी यही तरक्की है। कहा जाता है बेमारों को खाना मुफ्त दिया जाता है। लेकिन मिसालें हैं जब अस्पताल में खाने का चार्ज वसूल किया गया; खर्चे की कमी की वजह से और उधर नियम बन रहे हैं कि जो केन्द्र के मुलाजिम हैं उनकी तनखा अगर सौ रुपये से ऊपर है तो उन्हें खाने का भी खर्च देना पड़ेगा। इस प्रकार के नये हुक्म राजस्थान सरकार शाया कर रही है। इस पर भी कहते हैं तरक्की हो रही है। एक बिचारा बच्चा अस्पताल म भरती था। पन्द्रह दिन के बाद उसकी हालत सुधरी। ऐसे समय उस बच्चे के पिता को कहा जाता है कि कल या परसों बच्चे को घर ले जाइये। ७ नवम्बर की तारीख को अचानक शाम को उसकी तबियत बिगड़ती है। बगैर डाक्टर से पूछे वहां जो नर्स ड्यूटी पर थी उस बच्चे को एक इंजेक्शन दे देती है। बच्चा रात को मर जाता है। उसके माता पिता को कह सुन कर रात को बारह बजे घर भेजा जाता है। जांच की मांग की जाती है। कहते हैं जांच करली है, मामले में कुछ नहीं पाया गया। और यह केस हमारे मन्त्रियों के सामने मौजूद है। ऐसा मामला इस एक बच्चे का ही नहीं है हजारों गरीबों बच्चों का, गरीब मरीजों का है। अधिकारियों की ओर से लापरवाही बरती जावे, जानें चली जावें, जांच हो तो जांच की जाने पर पता नहीं लगे। पूरी तरक्की हो रही है। और कासलीवालजी ने तो कह दिया कि एक पत्थर में दो शिकार किये गये हैं। आर्थिक स्थिति का नाम लेकर बोझा पब्लिक पर बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी और इसके खिलाफ आवाज उठावें तो एसेन्शियल सर्विसेज बिल है ही, उससे उन्हें दबा दिया।

प्रजातन्त्र का जिक्र करते समय इसका खयाल नहीं रक्खा कि क्या आप वास्तव में प्रजातन्त्र चाहते हैं। मैं चेलेन्ज देता हूं ट्रेजरी बेन्चों को, इस बिल को लाने वाले मन्त्री महोदय को कि आप चाहें जिस तरह से, आप चाहें तो उद्योग धन्धों में, आप चाहें तो सरकारी मुलाजिमों में, चाहें तो प्रान्त की समूची जनता में इस एसेन्शियल सर्विसेज बिल पर रेफरेन्डम ले लीजिये। मैं चेलेन्ज करता हूं कि ७५ फी सदी वोट आपके खिलाफ न आवें तो जो बात मैं कहता हूं वह बात नहीं कहूंगा, बैठा रहूंगा। लेकिन रेफरेन्डम लेना होगा।

आपने वादे तो किये थे चुनावों में आजादी के, पंचवर्षीय योजना के। मिसाल के तौर पर किशनगढ़ के चुनाव पर वहां के मजदूरों को दिये गये वादे ही ले लीजिये और यहां आकर अपने उन वायदों के खिलाफ एसेन्शियल सर्विसेज बिल पास कराने की कोशिश करते हैं।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

प्रजातंत्र के नाम पर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप जो प्रजातंत्र के हामी बनते हैं उनसे मेरा कहना है कि वे जिन कानूनों को जिन व्यक्तियों के फायदे के लिए उसे लागू करना चाहते हैं वे उनका रेफरेन्डम लें, उनकी राय का पता लगायें जिनके हित के नाम पर आप कानून लागू करने को जा रहे हैं। आपको पता चल जायगा कि कितने इसके पक्ष में हैं और कितने इसके खिलाफ राय देते हैं। मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि श्रीमन् राजप्रमुख का यह भाषण "Is really a declaration of the insolvency of the Rajasthan Government." राजस्थान गवर्नमेंट को दिवाला निकालने की नोबत आ रही है। इस बात का एलान है राजप्रमुख का अभिभाषण। वह एक एलान की तौर पर नत्थी किया गया है। (It is pinned to action list) यह पिन करके लोहे का डंडा ऊपर लगा दिया गया है जिसका तात्पर्य यह है कि तुमको कुछ मांगना है तो यह उत्तर है कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब है और अगर हमारा हुकुम मानने से इन्कार करोगे तो यह लोहे का डंडा है। इस प्रकार दिवालियापन डंडा, डंडे के जोर पर राज्य शासन चलाने का ऐलान है। इसलिये मैं कहता हूं कि जैसा कि श्री कासलीवालजी ने कहा था कि एक पत्थर से दो चिड़ियों का शिकार करने की नीति है। यह एक पत्थर से दो चिड़ियों के मारने की ही बात है। राजप्रमुख का भाषण सरकारी नीति का समर्थन है। उसका हम समर्थन नहीं कर सकते। यही कारण है कि हम उनके प्रति कृतज्ञता का प्रस्ताव भी पास नहीं करना चाहते और साथ में यह भी नहीं चाहते कि राजप्रमुख बार बार इस सदन में भाषण करते रहें।

श्री मानसिंह (जमवा रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्षजी, आज कुछ थोड़ा समय है। इसलिये थोडासा आज कह दूंगा, बाकी कल कहूंगा। दो दिनों से राजप्रमुख के अभिभाषण पर वाद-विवाद चल रहा है। राजप्रमुख महोदय ने अपने अभिभाषण में जो सबसे बड़ी मार्के की बात कही है वह यह कि हमारे प्रान्त की वित्त स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। माननीय उपाध्यक्षजी, यह कह देना आसान होता है कि हमारे प्रान्त की वित्त स्थिति असन्तोषजनक है। लेकिन राजप्रमुख महोदय जरा इस बात पर कुछ रोशनी डालते कि हमारे यहां वित्त स्थिति सन्तोषजनक क्यों नहीं है; अगर इस बात का जिक्र किया जाता तो उत्तर दिया जा सकता था। यह बात जो कही गई है वह इसलिये कही गई है कि वित्त स्थिति असन्तोषजनक बताकर आयन्दा बजट में हम कुछ टेक्स जनता पर लागू कर सकते हैं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि राजस्थान की वित्त स्थिति खराब हुई है, उसका मूल कारण है हमारी सरकार की अयोग्यता। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारी वित्त स्थिति खराब होने का मुख्य कारण जिन अयोग्य हाथों द्वारा हमारा फाइनेन्स डिपार्टमेंट है उनकी वजह से हुई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि मौजूदा मंत्रि-मंडल में परिवर्तन होते ही हमारे मुख्य मंत्रीजी ने यह महसूस किया कि हमारा फाइनेन्स डिपार्टमेंट ऐसे व्यक्ति के हाथ में था जो इसके अयोग्य है। इसलिये उन्होंने आते ही इस विभाग को अपने हाथ में ले लिया। मैं यह जानता हूं कि मुमकिन है कि हमारे फाइनेन्स में थोड़ा बहुत सुधार माननीय मुख्य मंत्री जी कर सकें। लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी को और काम भी इतने रहते हैं कि वे फाइनेन्स जैसे इम्पोर्टेन्ट (मुख्य) पोर्टफोलियो को अच्छी तरह देख नहीं सकते। लेकिन यह तो राजस्थान का दुर्भाग्य था कि राजस्थान का फाइनेन्स, जब से राजस्थान बना है अनएक्पीरियेन्स्ड (अनुभवहीन) आदमियों को तजुर्बा हासिल करने के लिए

[श्री मानसिंह (जमवा रामगढ)]

सौंपा गया और उसे सौंपने के अलावा, अध्यक्ष महोदय, वह आदमी ऐसे साबित हुए कि ६–७ महीने उनको देने के बाद हमारी सरकार ने अपनी कमजोरी को महसूस करके उनको बदलना शुरू कर दिया । यह स्थिति है । वस्तुस्थिति जो जनता के सामने आज है वह यह है कि मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि जिस समय देशी रियासतें थीं उस समय आज जो सरकार बनाये हुए बैठे हैं वे लोग उन राजाओं, शासकों की बुराइयां करते थे । वह कहते थे कि रियासतों के राजा एशोआराम करते हैं । उन राजाओं के जमाने में जनता के ऊपर इतने टेक्स नहीं थे । जयपुर के अन्दर जो नल लगे हुए थे उन नलों पर कोई टेक्स नहीं लगा था । आज दिवालिया राजस्थान में उन पर टेक्स लगाये जाने के बावजूद भी हमारा दिवाला दूर नहीं होता है । मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि दरअसल स्थिति यह है कि राजा क्या एशोआराम करते थे, उनके बेचारों के एशोआराम के मुकाबले में आज की हमारी सरकार के जो एशोआराम हैं वह देखने ही लायक हैं ।

हमारे एक मित्र महोदय ने बताया कि राजस्थान के बनने के बाद हमारे मिनिस्टरों में जो बड़ा खर्चा होता है वह साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं । अध्यक्षजी, यह पैसा साल दर साल बढ़ता ही नहीं है, मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि यह पैसा मिनिस्टरों के खर्चे में बढ़ा है। मगर हम यह देखें कि मिनिस्टरों के जो चपरासी हैं उनकी तनख्वाह एक रुपया भी बाढ़ दी जाती महावारी में तो मैं यह समझ लेता कि यह खर्च कुछ उन गरीबों के अन्दर भी हुआ है । जिस समय जयपुर रियासत थी और सर वी. टी. कृष्णामाचारी दीवान थे तो एक प्रस्ताव इसी हाउस में जयपुर लेजिस्लेटिव कौन्सिल के सामने रखा था कि चपरासियों की तनख्वाह बढ़ा दी जाय । सर वी. टी. ने आश्वासन दिया था, लेकिन उन गरीबों के दुर्भाग्य से राजस्थान बन गया । उस समय, जिसे जयपुर में ४५)–४६) रुपये मिलते थे आज भी ४५) या ४६) झाड़शाही के बदले कल्दार ही मिल रहे होंगे, बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं है । मैं राजस्थान सरकार को यह बता देना चाहता हूं कि हमारी वित्तीय स्थिति जो खराब हुई है वह केवल मोटी मोटी तनख्वाह पाने वालों को बढ़ावा देकर, उनकी उदरपूर्ति करने के लिये ही हुई है । राजस्थान में देखा जाय तो वास्तविकता यह है कि अगर हमारा फाइनेन्स खराब है तो, उपाध्यक्षजी, मैं आपके जरिये मेरे मित्रों को बताना चाहूंगा कि क्या वजह है कि मोटी मोटी तनख्वाह पाने वाले अफसरान को हमारे ऊपर दिल्ली से, बाहर से, बुलाये जाते हैं । यह राजस्थान के दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में योग्य व्यक्ति होते हुए भी उनकी योग्यता के अनुकूल जगह नहीं दी जाती, और बाहर से बड़े बड़े अफसरों को बुलाया जाता है । अगर वह एक दो बड़े अफसर तक ही सीमित हो जाय तो हमें इतना एतराज नहीं होता ।

लेकिन दुर्भाग्यवश जो ऑफिसर महोदय दिल्ली, मदरास, बंबई आदि आदि से आते हैं वे अपने साथ कुछ अन्डे–बच्चे और ले आते हैं और क्या होता है कि उनका भार भी राजस्थान के सिर पर पड़ जाता है । अगर हमारे माननीय मंत्री एक भी मिसाल ऐसी दे दें कि राजस्थान के इतने ऑफिसर अपनी योग्यता के कारण किसी दूसरे प्रान्त में आये तो मैं मान लूंगा कि राजस्थान में बाहर से आदमी आते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है ; लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि राजस्थानियों को दूसरी जगह उपेक्षा की नजर से

[श्री मानसिंह, (जमवा रामगढ़)]

देखा जाता है और राजस्थान के अन्दर बाहर से जो लोग आते हैं उनको बड़ी इज्जत से देखा जाता है। हमारे यहां का कितना भी योग्य आदमी क्यों न हो उसको कभी भी सही तरीके पर तरक्की नहीं मिलती और बाहर वालों को समझा जाता है कि वह बहुत योग्य हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि........

श्री खेतसिंह–माननीय उपाध्यक्ष, राव साहब का भाषण तो अभी १५ मिनिट और चलेगा और समय हो गया है; यदि कल पर रखा जाय तो ठीक होगा।

श्री मानसिंह–जैसी श्रीमान् जी की इच्छा।

श्री उपाध्यक्ष–चूंकि समय हो गया है; इसलिये आज का अधिवेशन समाप्त किया जाता है और कल ८।। बजे फिर मिलेंगे और चूंकि श्री मानसिंह का भाषण समाप्त नहीं हुआ है इस लिये इनको कल और बोलने की इजाजत देता हूं।

(सभा की कार्यवाही १२.३४ पर समाप्त हुई और सदन की बैठक तारीख १२ फरवरी, १९५३, के ८.३० बजे प्रातः तक के लिये स्थगित की गई)

सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक ११ फरवरी, सन् १९५३ ई०

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या ४६ देखिये)

(१) मार्च सन् ५२ से जनवरी सन् ५३ तक १५ नये तालाब व ४ नये कुए बनवाये गय और ३६० पुराने तालाब व ४ पुराने कुओं की मरम्मत करवाई गई।

(२) कुल रुपया ३२,६२,६३३) खर्च किया गया। सबसे ज्यादा खर्चा उदयपुर जिले में व सब से कम खर्च जैसलमेर जिले में हुआ।

(३) भीलवाड़ा जिले में कुल खर्च ४,१३,५६४) रुपया खर्च हुवा। उक्त समय में इस जिले में कोई नये तालाब व कुए नहीं बनवाये गय। ११६ पुराने तालाबों की मरम्मत करवाई गई।

(४) प्रत्येक योजना पूर्णरूप से आधारित है एवं उसकी उपयोगिता की जांच करली गई ह। इससे पहले कि वह कार्यान्वित की जाय प्रत्येक शिकायत पर पूर्ण रूप से जांच की गई है व उन पर पूरा ध्यान दिया गया है।

(५-६) निम्नांकित कार्य सन् १६५३-५४ में भीलवाड़ा जिले में कार्यान्वित किये जायेंगे।

नाम तालाब या बांध	अनुमानित लागत
गजून्दा	६,०००
गगलास	७,०००
इरास	४,०००
फतहपुर	१०,०००
जामरा	५,०००
प्रेमसागर	३.०००
बघेलासागर	४,०००
सोनियानासागर	८,०००
नीम खेडासागर	६,०००
माधोपुर सागर	१२,०००
अमली सागर	५,०००
जनारया ताल	५,०००
सागया	१०,०००
रूपारेल	६,०००
कालाखेडा	५,०००
घवला ताल	५,०००
जोरावरपुरा	६,०००
बोहरा	५,०००
सुथूरिया	८,०००
हिमासागर	५,०००